सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा | सोमवार, तिथि 06 मार्च, 2023 ई0

अष्टम सत्र | 15 फाल्गुन, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप माननीय वीरेन्द्र बाबू एक मिनट बैठ जाइये । माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सदन व्यवस्थित, सुचारू रूप से चले विपक्ष पूरा सहयोग करने के लिये तैयार है । नियम-61 के तहत विपक्ष जब कोई मामला उठाता है, उस पर भी उसे बोलने का मौका नहीं मिलता है । अध्यक्ष महोदय, पूर्वकों को नकाराना एवं आचार समिति के रिपोर्ट को सदन पटल पर नहीं रखना । कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है ताकि सदन व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग मिल सके । महोदय, आपसे निवेदन है कि विपक्षी सदस्यों को भी प्रोत्साहित करने एवं परम्परा का पालन करने की कृपा करें और जब माननीय सदस्य अपनी बात को आसन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये रखते हैं तो आसन ट्रेजरी बेंच के निर्देश पर अगर विपक्ष का मनोबल गिराये और हतोत्साहित करे, यह कतई उचित नहीं है और इस तरह से चेतावनी देकर के सदस्यों को अगर नियम से सदन चलता है तो पहले जो आचार समिति का रिपोर्ट है, जो आसन को रौंदा है, उस पर कार्रवाई करिये, सभी सदस्यों के बीच में संदेश जायेगा । कोई हिम्मत नहीं करेगा कि आसन का अपमान कर सके ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष अब आप अपना स्थान ग्रहण करें, पूरे नियम प्रक्रिया में सदन चल रहा है । भाई वीरेन्द्र ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सदन में ये बी0जे0पी वाले देश में नफरत पैदा करने का अफवाह फैलाये कि तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी और ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, देश में अफवाह फैलाकर देश को बार्बाद करना चाहते हैं...

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-27 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र सं0-7444, दिनांक- 30 अप्रील, 1979 द्वारा राज्य सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान किया गया था । इस क्रम में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र सं0-12981, दिनांक- 3 दिसम्बर, 2009 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-4558, दिनांक- 27 मार्च, 2012 द्वारा क्रमशः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये वर्ष 2010-11 से तथा बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये के वर्ष 2011-12 से PAR (Performance Appraisal Report) सिस्टम लागू किया गया है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-922, दिनांक-30 मार्च, 2011 द्वारा रुपया 6,600 तक के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/PAR में अभ्युक्ति कम-से-कम 'अच्छा' तथा रुपया 7,600 एवं उसके ऊपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0 दिये जाने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/PAR में अभियुक्ति कम-से-कम 'बहुत अच्छा' होने का निदेश परिचारित है ।

3- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि PAR के अभिलेखन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के Online PAR अभिलेखन की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-16389, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा वर्ष 2018-19 से की गई है एवं इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-1781, दिनांक- 24 जनवरी, 2023 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 से SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System में Online PAR लिखे जाने की व्यवस्था करने का निदेश परिचारित किया गया है ।

4- उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी उत्तर मुद्रित है, आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

आप बैनर हटा दीजिये, आप बैनर हटाइये, बैनर रख दीजिये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

आप अपना आसन ग्रहण करें और प्रश्नकाल को हो जाने दीजिये फिर आप अपने स्थान पर बैठकर के जो माननीय नेता प्रतिपक्ष अन्य अगर कोई सुझाव देंगे उसको आसन सुनेगा।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सैद्धांतिक उत्तर दिया है कि क्या व्यवस्था है । मैं सरकार को जानकारी देकर पूछना चाहूंगा, यह अंग्रेजों के समय की परिपाटी है कि टॉप अधिकारी अंग्रेज होते थे और जो भारतीय जूनियर अफसर उनकी चटुकारिता करते थे उनका ACR (Annual Confidential Report) बहुत अच्छा कर उनके प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता था । क्या सरकार इससे अवगत है कि आज सरकारी सिस्टम में जाति, धर्म और चेहरा देखकर PAR लिखा जाता है जिसके कारण सरकारी कर्मी हतोत्साहित हो रहे हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है समुचित उत्तर इसमें दिया गया है । इसमें कोई सप्लीमेंट्री की गुंजाईश, जो नियम है उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, दूसरा पूरक मंत्री जी से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत विस्तृत तरीके से प्रश्न के जवाब मुद्रित हैं...

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक पूछ लेता हूं । सरकार का जो उत्तर है उसमें उदारता नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक आदेश निर्गत करेगी कि जिस अधिकारी के विरूद्ध उल्लेखित वित्तीय वर्ष में कोई चेतावनी या विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं है उसके PAR में बहुत अच्छा (Very Good) अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई मामला अगर माननीय सदस्य का हो तो लिखकर भिजवा दें, उसको दिखवाया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी । माननीय मंत्री गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अगर सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया तो परसों ये गृह विभाग का उत्तर ऑनलाईन आपने उपलब्ध कराया है । महोदय, ये तो बहुत गंभीर विषय है, एक तरफ विभाग प्रश्न को ट्रांसफर करता है और दूसरी तरफ जवाब उपलब्ध होता है । ठीक है सामान्य प्रशासन विभाग ही जवाब दे इसका लेकिन ये गंभीर विषय है, ये विभाग की गंभीरता को दर्शाता है कि विभाग कितना गंभीर है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी अगले तिथि को इस प्रश्न का आप जवाब दे दें ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, हम केवल एक बात की ओर इंगित करना चाहते हैं । अभी जो ये पुस्तिका हमलोगों को मिली है, महोदय, सामन्य प्रशासन विभाग ने ज्ञापांक-128, दिनांक-22 फरवरी, 2023 को गृह विभाग में स्थानांतरित किया है, महोदय ये है और गृह विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि फिर सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित किय गया है तो ये क्या है ? तालमेल नहीं है क्या शासन व्यवस्था में ? महोदय, आपके कागज में लिखा है ये सामान्य प्रशासन में प्रश्न हुआ था, इसको गृह विभाग में स्थानांतरित किया गया है और गृह विभाग ने जवाब दिया । महोदय, सामान्य प्रशासन ने जब गृह विभाग में स्थानांतरित किया तो गृह विभाग ने लिखित जवाब दिया और फिर यहां हाउस में कहा जा रहा है कि फिर से सामान्य प्रशासन को स्थानांतरित किया गया है । मतलब नहीं समझ में आता महोदय । ये दोनों विभाग क्या कर रहा है, सिर्फ प्रश्न को केवल इधर-उधर उछालने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण किया जाय, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं...

(व्यवधान)

ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गया ।

श्री संजय सरावगी : कौन विभाग जवाब दे रहे हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सामान्य प्रशासन विभाग जवाब दे रहा है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-'क'-28 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2022 में 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें मात्र 2,924 (दो हजार नौ सौ चौबीस) आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है एवं शेष आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0- 1353, दिनांक- 03.05.2012 द्वारा अधिसूचित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार गृह विभाग के अंतर्गत चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन के निष्पादन का समय-सीमा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति से 14 कार्य दिवस है ।

गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करने के संबंध में समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता रहा है, जिसके कारण प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात में काफी कम संख्या में आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है, जिसको निष्पादित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

टर्न-2/राहुल/06.03.2023

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, चरित्र प्रमाण-पत्र का बहुत सारी सरकारी नौकरियों, निजी नौकरियों और अन्य नौकरियों में काम पड़ता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि इतने दिन के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की सरकार ने व्यवस्था की है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 में जो 11 लाख 60 हजार 725 प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए उसमें से कितने चरित्र प्रमाण पत्र लोगों को समय पर उपलब्ध हो गये और कितने निरस्त हुए । एक तो समय पर कितने लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध हुए और दूसरा है कि कितने निरस्त हुए यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप बैठिये तो । महोदय, लगता है माननीय सदस्य सुने नहीं । मैंने कहा कि वर्ष 2022 में 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मात्र 2924 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित हैं जो क्रमानुसार लगातार प्रक्रिया है वह चल रही है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूरा सुना है । मैं पूछ रहा हूं । मेरा प्रश्न है कि 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाईन अप्लाई किये गये और सरकार समय-सीमा बांधी हुई है कि इतने दिनों के अंदर उपलब्ध करा देंगे । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 11 लाख 60 हजार 725 में से कितने ससमय आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये, मैं यह माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने आपको...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट हुजूर । मैं तो यह कह ही रहा हूं कि 2924 केवल लंबित हैं बाकी सब निष्पादित हो गये हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपकी जो चिंता है । आप यह माननीय सरकार से जानिये कि जो लंबित रह गये हैं उसको कितने दिनों में सरकार पूरा कर देगी...

श्री संजय सरावगी : नहीं-नहीं । अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है महीनों-महीनों आम लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है इसीलिए यह जो राज्य की चिंता है, नौजवानों की चिंता है उसी चिंता के लिए मैंने प्रश्न किया है महोदय...

अध्यक्ष : आपकी चिंता पर...

श्री संजय सरावगी : नहीं-नहीं, जवाब आना चाहिए महोदय । मुझे जो जानकारी है कि मात्र 30 प्रतिशत नौजवानों को ही समय पर चरित्र प्रमाण पत्र मिला है, यह मुझे जानकारी है...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ऐसे मामलों...

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिये । अब माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ऐसे मामलों की एक सूची अगर माननीय सदस्य दे देंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दिसंबर में ही विभाग...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि आप मूल और पूरक कितने पूछ सकते हैं । आपका पूरक, जितना पूछना चाहिए उससे ज्यादा पूछ चुके हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । आपका संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हम संरक्षण के लिए बैठे हैं लेकिन सरकार ने आपसे कहा एक लिस्ट बनाकर के दे दीजिये तो आप दे दीजिये लिस्ट क्या दिक्कत है, आप तो चाहते हैं कि समस्या का निदान हो ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने ही दिसंबर माह में पूरे राज्य की समीक्षा की थी और उसमें मात्र 32 प्रतिशत चरित्र प्रमाण पत्र का ससमय निष्पादन हुआ । जो मैंने अखबार की कटिंग लगाई है उसमें भी है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सवाल का सामान्य जवाब बता दें कि कितने प्रतिशत चरित्र प्रमाण पत्र समय पर आम जनता को मिल गये और अगर समय पर नहीं मिले तो अधिकारियों पर 500 से 5000 रुपये का फाईन का प्रावधान है, कितने लोगों पर यह फाईन किया गया और समय पर कितने मिले बस यही मेरा प्रश्न है महोदय । जो राज्य की चिंता है इसी चिंता का मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका अंतिम है अब आप नहीं पूछ सकते हैं, आप बैठिये । माननीय मंत्री जी एक बार और वे जो पूछ रहे हैं उसको देख लीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इनके प्रश्न को देखिये । इनका प्रश्न जो है उसका उत्तर दिया जा चुका है । ये क्या कह रहे हैं कि स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-16 दिसंबर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ' चरित्र प्रमाण-पत्र के 50 प्रतिशत मामले लंबित अमील की मिलेगी सुविधा' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य

में वर्ष 2022 में 10 लाख 98 हजार चरित्र प्रमाण-पत्र का आवेदन आया था जिसमें मात्र 50 फीसदी ही स्वीकृत हुए जबकि उत्तर है महोदय कि 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण-पत्र के आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से केवल 2924 ही लंबित हैं बाकी सबको निष्पादित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त तो प्रश्न में और कुछ है नहीं ये अनावश्यक चीज पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सरावगी जी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने जितना, आप देखिये ईमानदारी से, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, आप बतावें कि आप कितने पूरक पूछ सकते हैं और कितने पूरक अभी आपने पूछ लिये और फिर पूरक होंगे तो अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्नों का क्या होगा ? माननीय सदस्य श्री नंद किशोर प्रसाद जी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब को मैं गौर से सुन रहा था और मैंने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है बताया उन्होंने, यह भी उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में समय-सीमा तय है, उसके बाद यह भी कहा कि समीक्षा भी होती है । महोदय, माननीय मंत्री जी ने आधा प्रश्न पढ़ा है, माननीय मंत्री जी प्रश्न की अंतिम पंक्ति पढ़िये वह क्या है, यदि हां तो क्या सरकार चरित्र प्रमाण-पत्र ससमय स्वीकृत कराने और अकारण विलम्ब करने वाले दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों । महोदय, मेरा कहना केवल यह है कि जो आवेदन दिये जाते हैं समय पर उनका निष्पादन नहीं होता है जिससे नौजवानों को नौकरी में कठिनाई होती है और सरकार कहती है कि समय-सीमा तय है, सरकार यह भी कहती है कि समीक्षा करते हैं तो क्या सरकार की समीक्षा में सरकार के अधिकारी सरकार की बात नहीं मानते हैं और अगर मानते हैं, सरकार कहती है कि हम नियम से चलते हैं तो जिसने समय पर प्रमाण पत्र नहीं दिया उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई यह जवाब चाहते हैं और यह प्रश्न में है । आप प्रश्न की अंतिम पंक्ति को पढ़िये महोदय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह मामला वर्ष 2022 का ही है, वर्ष 2022 में तो ये भी इधर ही थे...

(व्यवधान)

आपके सीनियर मेंबर हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा कुछ. .

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, देखिये आप लोग, जब माननीय मंत्री जी, माननीय नंद किशोर यादव जी के पूछे गये प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आप तो शांति से रहिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ये विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इसको स्थगित कर दिया जाय अगली तिथि में डिटेल दे दी जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : ठीक है महोदय, स्थगित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-703 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226, शेरघाटी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्या के कार्यालय के पत्रांक-271/22, दिनांक-19.08.2022 जो जिला योजना पदाधिकारी, गया को संबोधित था एवं प्रतिलिपि सूचनार्थ निगरानी विभाग को दी गई थी उसे विभागीय समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, गया को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है । पुनः माननीय सदस्या के कार्यालय के पत्रांक-281/22, दिनांक-02.09.2022 जो जिला पदाधिकारी, गया को संबोधित था एवं ई-मेल के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ था उसे विभागीय समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, गया को निगरानी विभाग के पत्रांक-4485, दिनांक-22.09.2022 के क्रम में विभागीय पत्रांक-5203, दिनांक-07.11.2022 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई थी ।

पुनश्चः माननीय सदस्या के कार्यालय के पत्रांक-343/23, दिनांक-10.01.2023 जो अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है एवं विभाग को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है । विभागीय पत्रांक-672, दिनांक-30.01.2023 द्वारा माननीय विधायिका से संपुष्टि एवं साक्ष्य की याचना की गई है जो अब तक अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पूरक पूछिये जवाब प्राप्त है ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, संपुष्टि हेतु मुझे कोई भी पत्र अप्राप्त है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित किये गये कार्यों में लगातार कार्यपालक अभियंता, एल0ई0ओ0-2, विनोद रंजन के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है, पूर्व में भी इन पर कई आरोप सिद्ध हो चुके हैं । मेरे द्वारा इनके खिलाफ दायर आरोप पत्र भी कई बार दिया गया है लेकिन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है । अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त भवन निर्माण में 37 लाख रुपये की निकासी बिना कार्य किये ही निकाल ली गई है । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं ऐसे पदाधिकारी पर उच्च स्तरीय जांच हो और उन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो उत्तर में पत्रांक, दिनांक भी दिया है जो संपुष्टि के लिए इनके पास गया है लेकिन अगर माननीय सदस्या का कहना है कि पत्र नहीं मिला है तो हम कल ही इनको पत्र उपलब्ध करा देते हैं और वे अपने आरोप की संपुष्टि विधिवत कर देंगे तो निगरानी विभाग जांच करेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, प्रश्न माननीय सदस्या का हो सकता है लेकिन यह सदन की पूंजी है, माननीय मंत्री जी को सदन को इसकी जानकारी देनी चाहिए न कि केवल माननीय सदस्या को ।

टर्न-3/मुकुल/06.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को जब सारी स्थितियों की जानकारी दे रहा था तो हमने माननीय सदस्य को सुनकर जानकारी लेने से मना भी नहीं किया था ।

तारांकित प्रश्न सं0-704 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र सं0-165, मुंगेर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित) : 1. वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जाफरनगर पंचायत दियारा क्षेत्र में अवस्थित है । दियारा क्षेत्र होने के कारण टोपो लैण्ड की जमीन में बुआई एवं कटाई के समय विवाद होता है । विवाद की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है । वर्तमान में दियारा क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति चिन्हित नहीं है जिसका आतंक रहता हो ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जाफरनगर पंचायत दियारा क्षेत्र में स्थाई पुलिस कैम्प कार्यरत है, जिसका कार्य क्षेत्र कुतलुपुर तथा जाफरनगर पंचायत है ।

3. वर्तमान में जाफरनगर पंचायत में स्थायी पुलिस कैम्प कार्यरत है ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमें जो जवाब मिला है कि वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा चिन्हित नहीं है जो अपराधी किस्म का है । अभी दिसंबर के महीने में एक किसान निरंजन बिंद की हत्या हुई है और नामजद अपराधी खुलेआम घोड़ा से घूमता है वहां पर और भी अपराधी हैं जो पुलिस की नजर में फरार है और वह घोड़ा से घूमता है, वहां पर उसका दहशत है । आवेदन मेरे पास आता है और पुलिस की नजर में कोई अपराधी नहीं है, थाना में दर्ज है वह भगोड़ा घोषित है । अध्यक्ष महोदय, विभाग के तरफ से यह कैसा जवाब आता है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये इसके लिए अलग से प्रश्न करें, यहां पर इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा चुका है । यह इनका जनरल टाइप का प्रश्न है, माननीय सदस्य स्पेसिफिक जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप अलग से लिखकर हमें दीजिए हम इसको दिखलवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-705 (श्रीमती संगीता कुमारी, क्षेत्र सं0-204, मोहनिया (अ0जा0))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित) : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । प्रश्नगत कब्रिस्तान में आने-जाने के कारण दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने से संबंधित सूचना प्रकाश में नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती संगीता कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि प्राथमिकता में शामिल नहीं है और तनाव की स्थिति की सूचना नहीं है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर दूसरे समुदाय के द्वारा जमीन कटाव की समस्या होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि उसको सूची में शामिल करके उसकी घेराबंदी जरूर करवायी जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वह उसको देखती है । अगर कोई विवादित मामला है तो माननीय सदस्या कलेक्टर को लिखकर दे देंगी तो वह उसको सूची में शामिल कर लेगी, यह अधिकार उन्हीं को है ।

तारांकित प्रश्न सं0-706 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित) : वस्तुस्थिति यह है कि मौजा-जिहुली टोला तिनहिया में बसे हुए व्यक्तियों का ब्रिस्तान गोनाही पंचायत में अवस्थित है । मौजा-गुजरौल, थाना-198, खाता-235, 223, 227 एवं खेसरा-327, 323, 328 कुल रकबा-41.47 डि0 है जो रैयती भूमि है ।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता के आधार पर चयनित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे पताही में कब्रिस्तान की जमीन है और उसकी घेराबंदी नहीं होने से वहां के लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी घेराबंदी कराई जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि यह प्राइवेट जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है । सरकारी जमीन पर ही घेराबंदी होती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा जानकारी हासिल कर ली गई है, वह सरकारी जमीन नहीं है, वह प्राइवेट जमीन है । प्राइवेट जमीन पर निर्माण करने के लिए जो व्यवस्था है उस पर किसी तरह की गुंजाइश नहीं है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वह गलत रिपोर्ट है । अध्यक्ष महोदय, वह सरकारी जमीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिए, अगर गलत रिपोर्ट है । माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसको दिखलवा लेंगे । महोदय, माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि गलत रिपोर्ट है, ये खाता संख्या, खसरा संख्या के साथ विस्तृत रिपोर्ट दें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम लिखकर दे दें तो ठीक है । लेकिन ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसका क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी उसकी जांच करवायेंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये उसकी जांच करवायेंगे और अगर वह सही पाया जाता है तो क्या ये उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : सरकार अपने स्तर से जो समुचित होगा वह करेगी । आप पहले इसके बारे में लिखकर दे दीजिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऑफिसर के मन में जो आ रहा है वह रिपोर्ट दे रहे हैं और उसी को सरकार सही मान जा रही है ।

श्री नंद किशोद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हाउस के अंदर माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं । महोदय, यहां तक की उनकी बात रिकॉर्ड होती है, इन्हें टी0वी0 पर भी लोग देखते हैं और इनका प्रिंट भी होता है । माननीय सदस्य जब यह बात कह रहे हैं तो माननीय मंत्री जी को उनके कथन के बाद जांच कराने में क्या आपत्ति है ? अगर वे कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, माननीय विधायक हैं और ये इलाके में रहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नंद किशोर बाबू मंत्री भी रहे हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : तो क्या हम नहीं मानते थे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप मेरी बात सुन तो लीजिए न । रिपोर्ट तो डी0एम0 के द्वारा आयी है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि माननीय सदस्य एक आवेदन दे दें ये उसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : और डी0एम0 ही जमीन के कस्टोडियन होते हैं, माननीय सदस्य डी0एम0 के द्वारा रिपोर्ट करें, कोई और सबूत देंगे कि यह खाता नं0, खसरा नं0 है । रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वह प्राइवेट जमीन में कब्रिस्तान है, सरकारी जमीन में नहीं है ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न पर क्या मंत्री महोदय डी0एम0 को लिख नहीं सकते हैं कि इसकी फिर से जांच कराई जाय ? इसमें मंत्री महोदय को आपत्ति क्यों है ?

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर बाबू, माननीय सदस्य इसके बारे में लिखकर दे देने में क्या हर्ज है ?

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य इसके बारे में लिखकर दे देंगे तो माननीय मंत्री तो उसको दिखलवा ही लेंगे, वह जिला में नहीं जायेगा ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, यह नई परिपाटी शुरू हो रही है । सदन में अगर कोई विधायक कुछ बात कहते हैं तो माननीय मंत्री उसको स्वीकार नहीं करेंगे यह भी तो गलत बात है न ? उस पर जांच करवा सकते हैं, उन्हें जांच करवानी चाहिए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की बहुत जरूरत है । सदन की जरूरत है तभी आप आज यहां पर बैठे हैं । कानून में व्यवस्था है उसके बावजूद आप बिना इजाजत के खड़े होकर बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आपको जब मन करेगा, तब खड़ा होकर बोलते रहेंगे क्या ? नियम-कानून का पालन नहीं कीजिएगा ? आप हमसे इजाजत लीजिए, हम इजाजत देंगे तब आप बोलियेगा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बैठे-बैठे नहीं बोल सकते हैं ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम इनको नहीं बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं । इनको मैं नहीं कह रहा हूं, बिना इजाजत के माननीय सदस्य खड़ा हुए थे, जबकि सरकार खड़ी हुई है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब बोलने ही पर इतनी बात हो रही है और मेरे बोलने का प्रसंग भी पीछे छूट गया इसलिए हम अभी विथड्रॉ करते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-707 (डॉक्टर संजीव कुमार, क्षेत्र सं0-151, परबत्ता)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री (लिखित) : महोदय, वर्तमान में वर्णित भूमि बियाडा को प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है और अपना पूरक प्रश्न पूछें ?

डॉक्टर संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि 100 एकड़ जमीन पसराहा में एन0एच0 पर दिया गया था, बियाडा को हस्तांतरण के लिए । पिछले चार महीने से वह प्रोसेस में ही, कभी निशुल्क जाता है, कभी सशुल्क जाता है, इस चक्कर में चार-पांच महीने से यही चल रहा है और जब उत्तर आया कि इनके पास जमीन उपलब्ध नहीं हुई है तो मैं उस वक्त माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी से बात की कि आपके यहां फाइल तीन महीने से पेंडिंग है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । सौभाग्य से इस सदन में माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और उद्योग मंत्री दोनों हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह फाइल घूमता ही रहेगा या इस पर कुछ रिजल्ट भी आयेगा, बियाडा को ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा मैं यह जानना चाहता हूं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधिवत बियाडा को जमीन मिलने के बाद माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि मक्का व केला आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने का तो जो भी अप्लाई करेंगे उनको तुरंत करा दिया जायेगा । यह दोनों डिपार्टमेंट का है, इसलिए उसकी समाप्ति के बाद आपका यह काम तुरन्त करवा दिया जायेगा ।

डॉक्टर संजीव कुमार : माननीय मंत्री महोदय, मैं पिछले छ: महीने से आपसे भी मिला और माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी से भी मिला और अभी तक यही चल रहा है । माननीय मंत्री महोदय, फाइल घूम ही रही है, कब तक घूमेगी कोई टाइम लिमिट बतायें, कब यह बियाडा को हस्तांतरित होगा, यहां पर माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी भी बैठे हैं ये कर दें, नहीं तो यह ऐसे ही डिले होता रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : दो महीना के अंदर हमलोग इसको पूरा करके आपको सूचित कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-708 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, क्षेत्र सं0-10, रक्सौल)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित) : 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल शहर में यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु बाटा चौक पर 02, नहर चौक पर 02 एवं कौडिहार चौक पर 01 ट्रेफिक पुलिस के रूप में गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है ।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रक, मोटर साइकिल एवं अन्य गाड़ियों से वर्ष 2021 में 80,500/- (अस्सी हजार पांच सौ रु0), वर्ष 2022 में 1,22,500/- (एक लाख बाईस हजार पांच सौ रु0) एवं वर्ष 2023 में 33,500/- (तैतीस हजार पांच सौ रु0) शमन की राशि वसूल किया गया है ।

3. उपर्युक्त कंडिका-"2" में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ट्रैफिक पुलिस के बारे में सवाल किया था । अध्यक्ष महोदय, रक्सौल अंतरराष्ट्रीय शहर है, दिनभर वह जाम रहता है, मैं बिहार पुलिस के लिए मांग किया था, लेकिन वहां पर होम गार्ड का सिपाही है, वह तो मैं जानता ही हूं । उसमें चालान का जवाब आया है, चालान का तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा था । मैं तो ट्रैफिक पुलिस की वहां पर पोस्टिंग करने के लिए आवेदन दिया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि बिहार पुलिस को वहां के तीनों पोस्ट पर पोस्टिंग कराई जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में लिखा हुआ है कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस है, यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु बाटा चौक पर 02, नहर चौक पर 02 एवं कौडिहार चौक पर 01 ट्रैफिक पुलिस के रूप में गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रक, मोटर साइकिल एवं अन्य गाड़ियों से वर्ष 2021 में 80,500/- (अस्सी हजार पांच सौ रु0), वर्ष 2022 में 1,22,500/- (एक लाख बाईस हजार पांच सौ रु0) एवं वर्ष 2023 में 33,500/- (तैतीस हजार पांच सौ रु0) शमन की राशि वसूल किया गया है ।

टर्न-4/यानपति/06.03.2023

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि कम से कम बिहार पुलिस की वहां पोस्टिंग कराई जाय क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शहर है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: ट्रैफिक पुलिस तो है......

अध्यक्ष: बिहार पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाय तो जिला में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वह व्यवस्था करते ही हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: दिखवा लेते हैं । एक बात और महोदय संसदीय कार्य मंत्री मुझको बार-बार कहते हैं कि पड़ोसी क्यों आपसे झगड़ा करने के लिए उठ जाते हैं । पता नहीं क्या बात है, हम कहे यह तो रावण और विभीषण की पुरानी कहानी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, असल में हम उस समय यही कहना चाह रहे थे कि आप भी अवगत हैं, सदन भी अवगत है कि बिजेन्द्र बाबू और नंदकिशोर बाबू दोनों पड़ोसी हैं, अगल-बगल रहते हैं, सुबह-शाम हाथ में हाथ डालकर टहलते हैं, घूमते हैं एक दूसरे की चाय पीते हैं और यह दोस्ती यहां तक निभाते हैं कि बिजेन्द्र बाबू का जब प्रश्न का उत्तर होता है जिन प्रश्नों के ये देते हैं उसमें नंदकिशोर बाबू पूरक जरूर पूछते हैं । रिश्ते में कोई कमी नहीं है ।

श्री नंदकिशोर यादव: हम पूरक तो, कोई कमी नहीं है, इससे कैसे कमी हो सकती है, श्रीकृष्ण और सुदामा की दोस्ती है इसमें कोई कमी नहीं होनेवाली महोदय । महोदय, सवाल यह है कि इनसे हम जो पूरक पूछते हैं, इनको परेशान करने के लिए नहीं महोदय बल्कि ये सक्षम मंत्री हैं, बेहतर जवाब दे सकते हैं और कमी को सुधार सकते हैं इसलिए पूछते हैं । जवाब तो डिपार्टमेंट देता है महोदय, जवाब ये थोड़े देते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, रंग का फर्क है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र । माननीय मंत्री गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-709 (श्री पंकज कुमार मिश्र, क्षेत्र सं0 29 रून्नीसैदपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: 1. स्वीकारात्मक ।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक- 8778 दिनांक- 19.09. 2016 के तहत राज्य अन्तर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारीदीवारी का निर्माण किया जाता है जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो ।

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल चयन किये जाने के उपरान्त योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा मंदिर चहारदीवारी का निर्माण का कार्य कराया जाता है ।

3. सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के धर्मपुर ग्राम में अवस्थित भोला बाबा का प्रश्नगत पौराणिक मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए ।

श्री पंकज कुमार मिश्रः अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर पढ़ा है, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि खंड-1 स्वीकारात्मक है तो सरकार आस्था से जुड़े मंदिर का निबंधन कराते हुए किसी भी योजना से भोला बाबा के मंदिर के प्रांगण का, चहारदीवारी का कार्य कराया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, सरकार देख रही है ।

अध्यक्षः आप निबंधन करा दें, सरकार कार्रवाई कर देगी ।

श्री पंकज कुमार मिश्रः जी, धन्यवाद ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-710 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0 38 झंझारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रौशन । माननीय मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या-711 (श्री लखेंद्र कुमार रौशन, क्षेत्र सं0 130 पातेपुर (अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः 1- उत्तर अस्वीकारात्मक । बिहार में पेट्रोल पर रू0 19.78 प्रति लीटर तथा डीजल पर रू0 12.91 प्रति लीटर की दर से वैट अधिरोपित है। पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जानेवाला आधार मूल्य (Base price) प्रमुख है । इसके अतिरिक्त, इनके खुदरा मूल्य में केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित उत्पाद शुल्क/सेस, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित वैट, डीलर, मार्जिन तथा परिवहन खर्च सम्मिलित है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राज्य का आधार मूल्य (Base price) अलग-अलग निर्धारित किया जाता है । इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुधा उतार-चढ़ाव से भी आधार मूल्य का निर्धारण प्रभावित होता है।

2- वर्तमान में सरकार के समक्ष पेट्रोल एवं डीजल के कर की दरों में परिवर्तन से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्षः पूरक है, आप पूरक पूछें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः महोदय, मेरा सीधा सवाल था जो बिहार सरकार पेट्रोल पर से 23 रुपये 58 पैसे और डीजल पर 16 रुपये 65 पैसे वैट टैक्स लेती है तो यह था कि बगल में गुजरात और उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों में अगर केवल तुलना कर लें तो पेट्रोल और डीजल पर से 12 से 15 रुपया का फर्क है जबकि बिहार हम कहते हैं कि गरीब राज्य है तो क्या यह बिहार के लोगों को डीजल और पेट्रोल पर आर्थिक शोषण होता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल था कि बिहार के लोगों के जनहित में क्या जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और गुजरात में वैट टैक्स कम है और डीजल-पेट्रोल पर रेट

कम है उसी प्रकार माननीय मंत्री जी बिहार में जो वैट टैक्स है उसको घटा सकते हैं क्या?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपलोग शांति बनाए रखें । माननीय पासवान जी ने प्रश्न किया, सरकार जवाब दे रही है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल या डीजल का बिहार में जो कीमत है अभी, उसके पीछे क्या कारण होते हैं इसमें हमने विस्तार से बताया है । जहांतक वैट लगाने की बात है तो हम माननीय सदस्य को भी और सदन को बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो वैट लगा रही है अभी पेट्रोल पर या डीजल पर यह कई विकसित राज्यों की तुलना में अभी भी कम है पहली बात, दूसरी बात यह समझ लीजिए कि आप गुजरात की बात तो कर दिए, सवाल यह है कि गुजरात के इतनी कलाकारी तो हमलोग नहीं कर सकते हैं क्यों, इसलिए कि आपको मालूम होगा कि डीजल और पेट्रोल की खपत दो तिहाई और एक तिहाई का है अमूमन पूरे देश में, बिहार में भी है, अगर सौ लीटर पूरा पेट्रोलियम ऑयल खपत होता है तो लगभग टू थर्ड यानी 65-66-67 हर महीने बदलता है, लगभग टू थर्ड वह थर्ड का कंजम्पशन है । तो आपने पेट्रोल का तो जिक्र कर दिया, उसपर हमसे एकाध रूपया कम है लेकिन कलाकारी कहां है गुजरात की सो हम आपको बता देते हैं कि महोदय यह वैट जो है यहां हमलोग 13 रुपया लगाए हैं तो वह साढ़े 14 रुपया लगाए हैं यह हमलोग साढ़े 19 रुपया लगाए हैं तो वहां कम है लेकिन डीजल पर वैट हमलोग 12 रुपया 90 पैसा लगाए हैं लेकिन गुजरात में साढ़े 14 रूपया लगता है यह भी तो देखिए कि वहां जो और महोदय यह आसन से लेकर पूरा सदन समझता है वह गरीब लोगों की बात कर रहे थे तो गरीब ज्यादा पेट्रोल खपत करता है या डीजल खपत करता है यह सोचने की बात है तो हम तो बिहार के गरीबों का हक और उनका हित देखते हुए जो राजस्व के लिए बढ़ाना है तो पेट्रोल पर हमने कुछ बढ़ाकर रखा है लेकिन वह भी अनेक विकसित प्रदेश महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश सब से उससे कम है लेकिन जो डीजल किसान से लेकर गरीब सब लोग डीजल के रेट से प्रभावित होते हैं उसका हमने बिल्कुल नियंत्रण रखा है और आपके गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी हमलोग कम लगाते हैं ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: महोदय, बजट जब पढ़ रहे थे जो भाषण इनका चल रहा था तो इन्होंने कहा कि बिहार के कईएक योजनाएं हैं जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य करते हैं, अभी मंत्री जी जवाब में दे रहे हैं कि चूंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा बिहार से

ज्यादा चालाक है इन्होंने संबोधन किया या यह कहना चाहते हैं कि गुजरात और उत्तर प्रदेश इनसे ज्यादा होशियार है । माननीय मंत्री जी, आपसे ज्यादा......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति, आप शांति बनाए रखें । यह बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, प्रश्न कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी निश्चित सुन रहे हैं और यह अपना जवाब देंगे ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की परंपरा खड़ा कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा ।

अध्यक्ष: आप पूछिए ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: उस समय अध्यक्ष महोदय आप हमें थ्रीटनिंग दीजिएगा तो जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा या कहीं से इस प्रकार का होगा तो प्रतीकार तो मैं करूंगा, यह मेरा अधिकार है और आप मुझे थ्रीटनिंग दीजिएगा जबकि पक्ष-विपक्ष दोनों पर समान विचार रखिए, मैं तो बोलने नहीं गया हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: मेरा सीधा सवाल है कि जो आप जिस प्रकार अगर 15 रुपया, 10 रुपया का फर्क है तो डीजल और पेट्रोल पर भी आप, जब गरीब राज्य हमारा बिहार है तो आप कम क्यों नहीं कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से भी कम रेट पर यहां बिके । केवल यह सवाल है । मंत्री जी इतना बांधकर भूमिका हमको बताए, हमको सीधा जवाब दे दें न, बिहार में कम क्यों नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष: आपने पूरक पूछा, माननीय मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हमने तो जो प्रश्न था उसका सीधा उत्तर दिया है और जहांतक किसी दूसरे प्रदेश की बात है तो कोई गुजरात से तुलना हमने अपने मन से नहीं किया है, गुजरात की स्थिति कोई हमने अपने मन से नहीं बताई है, गुजरात का नाम आपही ने अपने प्रश्न में लिखा है, उत्तर प्रदेश का नाम आपही ने अपने प्रश्न में लिखा है, इन दोनों प्रदेशों का तो यह सही है और उस समय जब बजट हम अपना रख रहे थे तो उस समय जो हमने कहा कि बिहार की योजनाओं या बिहार के कार्यक्रमों का नकल पूरा देश करता है तो हमने कोई हवा में नहीं कहा था, हमने योजनाओं का नाम बताया था, तिथि के साथ बताया था, डेट के साथ बताया था और आज भी बता सकता हूं, पहली बात और दूसरी बात कि यह तो अलग-अलग राज्य की प्राथमिकता है, जिन राज्यों को अमीरों की मदद करनी होती है वह पेट्रोल पर वैट कम रखते हैं और जिन राज्यों को गरीबों की मदद करनी होती है वह डीजल पर कम रखते हैं यह तो अपनी-अपनी प्राथमिकता होगी ।

टर्न-5/अंजली/06.03.2023

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : मंत्री महोदय, आप डीजल पर ही कम कर दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठिये । माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव जी ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : हां पूछिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, ये गरीब अमीर की बात कर रहे हैं यहां पर ये बता दें माननीय मंत्री महोदय कि पेट्रोल सिर्फ अमीर यूज करते हैं ? गरीब राज्य में गरीब लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं और सबसे ज्यादा पेट्रोल गरीब यूज करते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट । बड़े लोग कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं कि अमीर लोग चार चक्का में चढ़ते हैं । महोदय, चार चक्का डीजल से चलता है और मोटर साइकिल पेट्रोल से चलता है । गरीब-अमीर की बात करते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से सीधा सवाल किया गया लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी अपने स्वभाव के अनुकूल माननीय ललित यादव जी यहां मुख्य सचेतक के रूप में बैठते थे और कहते थे कि ये कभी सीधा जवाब नहीं देते हैं जलेबी की तरह घुमाते हैं और आज भी इन्होंने जलेबी की तरह घुमाया है । ये साफ शब्दों में बताएं कि पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश से कम है या ज्यादा है, ये स्पष्ट दर बताएं ।

अध्यक्ष : अब सुना जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरक का उत्तर देता हूं केवल सिर्फ ध्यान से समझियेगा । आप जो कीमत की बात कहते हैं, कीमत में जो अंतर होता है वह मुख्य रूप से मतलब- पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, चाहे पेट्रोल का खास तौर से यह निर्धारित होता है, इसका एक बेस प्राइस होता है और जो बेस प्राइस है, अब समझियेगा नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बेस प्राइस जो होता है, भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पी0पी0सी0ए0 है, पेट्रोलियम प्राइसिंग एंड एनालाइसिस सेल वह ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर इसका बेस प्राइस फिक्स करती है और हम माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहते हैं कि जब आप बेस प्राइस देखिएगा तो जो भारत सरकार ने फिक्स किया है वह बेस प्राइस गुजरात का फिक्स है 57.6 रुपया और बिहार का

फिक्स है 63.8 रुपया, यह फर्क किसने किया है ? यह फर्क हमने किया है ? जब कीमत की बात पूछ रहे थे हालांकि महोदय, लखेंद्र जी ठीक कह रहे थे, उनका सवाल वैट पर केंद्रित था । अब नेता प्रतिपक्ष पूरे कीमत पर ले गए तो हमको पूरे कीमत को एक्सप्लेन करना पड़ा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे पूर्व नंद किशोर बाबू जी खड़े हो गए थे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये उत्तर दिये हैं कि अस्वीकारात्मक है । मैं सीधा सा, बिहार की जनता जानना चाह रही है कि आज बिहार गरीब प्रदेश है गरीबों की संख्या ज्यादा है । बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश से ये कम रेट रखना चाहते हैं । ये बार-बार जो घुमा रहे हैं और इन्होंने जो जवाब दिया है, जवाब भी घुमाया हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सवाल है कि इनको घूमने की, चक्कर खाने की आदत है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : यह तो घुमाने की आपकी पुरानी पद्धति और सोच है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम तो घुमा नहीं रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप खंड-1 का उत्तर पढ़ रहे हैं, खंड-2 का भी उत्तर दिया हुआ है वह आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, छपा हुआ है । महोदय, उसमें हमने कहा है कि चूंकि हमलोगों के यहां अन्य विकसित प्रदेशों से भी वैट की दर कम है, यह बात सही है कि गुजरात की बात कहे हैं तो हम कुछ ज्यादा हैं लेकिन गुजरात तो कलाकारी से डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जो टू थर्ड वन थर्ड कंजप्शन होता है । वह तो होशियारी से, चालाकी से अपने लोगों से वैट ज्यादा वसूल रहे हैं । लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं कि दूसरे खंड में हमने कहा है कि चूंकि विकसित प्रदेश भी जो वैट लगाया है वह हमसे ज्यादा है इसलिए अभी वैट कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : एक मिनट । माननीय वित्त मंत्री जी, बेस प्राइस से आप कितना अधिक ले रहे हैं यह बता दीजिए, बिहार की जनता और सदन जानना चाहती है ।

अध्यक्ष : वह तो सवाल ही नहीं है वे जो पूछ रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी अगर आसन इजाजत दे तो इसकी कुछ चर्चा नेता प्रतिपक्ष, आप तो हड़बड़ा के उस दिन चले गये थे लेकिन हमने उस दिन भी कहा था जो बेस प्राइस पर, जो बेस प्राइस आपका जो हमने कहा कि पी0पी0सी0ए0 जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वहां के अंदर तय करती है, वह हमको देती है उसके ऊपर जो भारत सरकार है वह एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर 20 रुपया, यानी 19.90 पैसा लेती है और उसमें भी हम, उस दिन तो आप थे नहीं, चालाकी क्या है महोदय ? एक्साइज ड्यूटी

डिविजिबल पूल मतलब जो आप 42 परसेंट की चर्चा कर रहे थे, अब सुन लीजिए न, आप ही उस दिन बड़ा पीट-पीट कर के कह रहे थे कि 42 परसेंट कर दिया ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न पर 15-15 मिनट समय लिया जायेगा तो बाकी माननीय सदस्यों का क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जो प्रश्न पूछे हैं और उसको ये डिटेल बताकर के उनको संतुष्ट करना चाहते हैं इसलिए डिटेल आप बताइए, डिटेल बताइए, डिटेल बताने के लिए बाध्य नेता प्रतिपक्ष ने किया है तो उनकी शंका का समाधान होना चाहिए ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं बतलाने दीजिए । ये सदन को नहीं, पूरे बिहार को माननीय मंत्री जी बता रहे हैं । शांति बनाए रखिए । आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं उनको सुनिए और सुनने दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो पूछा है कि बेस प्राइस से आप कितना ज्यादा लेते हैं, हम वही बता रहे हैं, बेस प्राइस हमने आपको बता दिया, जो भारत सरकार फिक्स करती है, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उससे ज्यादा हमारा मूल प्राइस, बेस प्राइस फिक्स कर दिया यह पहली बात है । दूसरी बात, उसके बाद प्रति लीटर 19. 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी लेती है और महोदय, उसमें कलाकारी देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो है यह डिविजिबल पूल है जिस 42 परसेंट की चर्चा उस दिन नेता प्रतिपक्ष अपनी बात में कह रहे थे, बहुत वाह-वाही दे रहे थे केंद्र सरकार को, जो राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स की राशि बंटती है, उसमें 32 से 42 कर दिया लेकिन उस 42 की कलाकारी भी नेता महोदय समझिए कि जैसे एक्साइज ड्यूटी बंटता है लेकिन कलाकारी की इस 20 रुपया में सिर्फ 1 रुपया 40 पैसा ही वह राज्यों को हिस्सा, मतलब हमारे हिस्से की तरफ देंगे बाकी सब अपने हिस्से उसको जो अविभाज्य पूल है, मतलब शेष सरचार्ज के रूप में जो लिया जाता है महोदय, एक्साइज ड्यूटी में शेष और सरचार्ज के रूप में मतलब एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया 40 पैसा जो बंटना है लेकिन उसी पर एडिशनल सरचार्ज, शेष सरचार्ज लगाते लगाते 20 रुपया पहुंचा दिए । (क्रमशः)

टर्न-6/सत्येन्द्र/ 06-03-2023

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री:(क्रमशः) मतलब 1 रू0 40 पैसा इधर आया और 18. 60 रू0 वो अपने पास रख लेते हैं जो हमलोगों के माध्यम से यहां पेट्रौल के उपभोक्ता से वसुलवाते हैं ।

(व्यवधान)

अब देखिये, सुन नहीं रहे हैं...

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: जबतक माननीय मंत्री स्थान नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तबतक हम कैसे आपको कहेंगे कि आप बोलिये । वे आप ही के प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा मंत्री जी से धैर्य रखकर इस बात को सुनिये । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: और महोदय, उसके बाद हमलोग जो डीलर...

(व्यवधान)

उसके बाद एक्साईज डियूटी के बाद परिवहन खर्च होता है, डीलर मार्जिन होता है । यह सब लेकर के 107 रू0 फिक्स है। यह तो हमने कहा है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-712(श्री छत्रपति यादव, क्षेत्र सं0- 149, खगड़िया)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला के वैसे प्रखण्ड जहाँ किसानों द्वारा वर्तमान में गन्ने की खेती की जा रही है, हसनपुर चीनी मिल के गन्ना उत्पादित परम्परागत क्षेत्र में आते हैं । खगड़िया जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में चालू पेराई सत्र 2022-23 अन्तर्गत लगभग 1800 एकड़ में गन्ने की खेती की गयी है। गन्ना कृषकों को समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिला के तरह हसनपुर चीनी मिल एवं सरकार के मुख्यमंत्री गन्ना विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ मिलता है ।

हसनपुर चीनी मिल प्रबंधन पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खगड़िया जिले के विभिन्न प्रखण्डों में गन्ना परिक्षेत्र का विस्तार कर रहा है । हसनपुर चीनी मिल द्वारा पूर्व से ही खगड़िया जिले के आलौली प्रखण्ड अन्तर्गत सोनिहार में पथ क्रय केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

3- उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है । गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित है ।

श्री छत्रपति यादव: अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं है । उत्तर जो है गोलमाल दिया गया है जो बताया गया है, खगड़िया जिला जो है..

अध्यक्ष: आप सप्लीमेंट्री पूछिये न ?

श्री छत्रपति यादव: महोदय, खगड़िया जिला उद्योग विहीन जिला है । बगल में हसनपुर चीनी मिल है। इन्होंने जो लिखा है अलौली का क्षेत्र, मानसी का क्षेत्र, खगड़िया के बारे में कोई जिक्र

नहीं है । सिर्फ कहते हैं परिक्षेत्र का विस्तार करेंगे, कबतक करेंगे ? इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है कि खगड़िया जिला के उन प्रखंडों में, उन क्षेत्रों को हसनपुर चीनी मिल के एरिया में शामिल किया हुआ है, जहां पर गन्ना का उत्पादन होता है जिसके अन्तर्गत खगड़िया के अलौली में 1 हजार 177.19 एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती है और उसमें जो सप्लाई है वह लगभग 1 लाख 2 हजार 664 क्विंटल गन्ने की सप्लाई सिर्फ अलौली से होती है । बेलदौर में सवा 28 एकड़ जमीन में उसकी खेती होती है । गोगरी, जमालपुर में 96.88, खगड़िया में 299.79 एकड़ जमीन पर ईख की खेती होती है और यह सारा क्षेत्र, इसके अलावे मानसी में है, परवत्ता में है, इन तमाम जगहों में जहां ईख की खेती हो रही है वह सारा क्षेत्र हसनपुर चीनी मिल के एरिया में शामिल है। अब जो नये क्षेत्र में खेती करना चाहते होंगे तो मिल के कैपिसिटी के इनहांसमेंट के हिसाब से या उनकी आवश्यकता के अनुसार सरकार तैयार है उनको परमीशन दे सकती है, उनके क्षेत्र को शामिल कर सकती है लेकिन यह पहल एक ट्रेपेटाईड एग्रीमेंट के तहत होता है जिसमें सरकार, मिल मालिक और किसान, यदि कोई किसान संगठन वहां का कोई उत्पादन करना चाहते हैं तो इनके साथ मिलकर एग्रीमेंट के तहत होता है, वशर्ते कि मिल को और गन्ने की आवश्यकता हो तो मिल के कैपिसिटी एक्सपेंसन या फरदर रिक्वायरमेंट के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर इसको तय किया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य इस संदर्भ में कोई बात करना चाहता हैं तो लिखित रूप से हमें देंगे, हम उसका जवाब दे देंगे ।

श्री छत्रपति यादव: माननीय मंत्री जी, ये तो सरकारी जवाब आपने दिया है । हसनपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन के दृष्टिकोण से अलौली, खगड़िया महत्वपूर्ण है और सड़क की सुविधा मुहैय्या होने पर हम इसको जो है अनुमति देंगे । उस समय सड़क की स्थिति ठीक नहीं थी । आज सभी जगह सड़क की स्थिति ठीक है इसलिए जो जवाब दिया गया है वह ठीक नहीं है । हम चाहेंगे कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से सर्वे करा लीजिये । कृषि विज्ञान केन्द्र, खगड़िया, जिला पदाधिकारी खगड़िया के नेतृत्व में सारी बात हुई थी उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट से बात कर के इसको ठीक करवा आवश्यक है । खगड़िया जिला में उद्योग के नाम पर केला को सम्मिलित किया गया है, गन्ना को नहीं सम्मिलित किया गया है इस कारण गन्ना कोई किसान अपनी मर्जी से उपजाता है तो वह चीनी मिल में नहीं जाता है। सोनिहार की चर्चा की गयी है .....

अध्यक्ष: आप इतना डिटेल में नहीं जाईए और भी माननीय सदस्यों का भी प्रश्न है ।

श्री छत्रपति यादवः महोदय, किसान की बात है, समझा जाय । खगड़िया में जो उद्योग नहीं है सोनिहार की जो चर्चा हुई है..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ?

श्री छत्रपति यादवः इसलिए पुनः इसका सर्वेक्षण कराया जाय । जिलाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाय कि चीनी मिल के साथ मिल बैठकर सर्वे करा लें और जो रिपोर्ट दें उस पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, कुछ एडिशनल बात कह रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः महोदय, सच बात यह है कि खगड़िया क्षेत्र में चीनी मिल के नजदीक वाला जो ब्लॉक है जो हसनपुर चीनी मिल के नजदीक वाला प्रखंड है, वहां उत्पादन ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है फिर उसके बाद समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर में हसनपुर से उजियारपुर तक के लोग गन्ना का उत्पादन करते हैं। बेगुसराय के अंदर भी करीब करीब छः सात प्रखंड के लोग यहां पर गन्ना का उत्पादन करते हैं । इस तरह से तीन-चार जिलों को चीनी मिल अकेले कवर करता है तो गन्ने की कमी नहीं है और मैं बोल रहा हूँ अगर चीनी मिल को गन्ने की आवश्यकता होगी और उसके आधार पर जो कुछ भी होगा, सरकार के तरफ से कुछ करना होगा तो निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़कर करेगी । सरकार चाहती है कि गन्ना जो एक कैश क्रॉप है उसका उत्पादन हो और उसके लिए सरकार अन्य विकल्पों पर भी ध्यान रख रही है जो इस बजट सत्र में इस पर पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव जी । माननीय गन्ना मंत्री ने विस्तृत तरीके से आपके प्रश्न का जवाब और समाधान के बारे में कहा है..

श्री छत्रपति यादवः संतोषजनक नहीं है । आप जिलाधिकारी को कहिये न अधिकृत करने के लिए, वहां सब तय हो जायेगा कि क्या सच्चाई है।

अध्यक्षः सरकार इस चीज को देखेगी । सरकार नियमानुसार जो बात कह रहे हैं उसको दिखवा करके उचित कार्रवाई करेगी ।

श्री छत्रपति यादवः अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्षः बैठिये हो गया । माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-713, श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र सं0-33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा संधारित आंकडों के अनुसार कथित वर्षों में वाहन चोरी के कांडों के साथ बरामदगी भी हुई है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

वर्ष	2018	2019	2020	2021 चोरी/लूट शामिल अपराध सहित
वाहन चोरी	19,268	22,206	20,825	27,833
वाहन बरामदगी	3,344	4,745	3,052	4,264

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वाहन चोरी की घटना पर नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु कार्य योजना एस0ओ0पी0 तैयार कर सभी जिलों को परिचालित की गई है । अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा (ज्ञापांक-नीति निर्धारण शाखा/पी0एस0-26/2022/723, दिनांक-05.07.2022 के अंतर्गत) निम्न कार्यवाही की जा रही है:-

(क) थाना स्तर से अतिव्यस्ततम जगहों पर गश्ती दल द्वारा विशेष ध्यान रखी जा रही है ।

(ख) पूर्व के आरोपितों का आपराधिक इतिहास का सत्यापन कर उसकी गतिविधि पर सूक्ष्म नजर रखी जा रही है ।

(ग) पूर्व के वाहन चोरी आरोपितों का अंगुलाक एवं फोटो संरक्षित किया जा रहा है।

(घ) पूर्व के वाहन चोरी आरोपितों के विरूद्ध दर्ज कांडों का प्राथमिकता के आधार पर विचारण कराई जा रही है ।

(ड़) जिला स्तर से कार्यरत टाईगर मोबाईल गश्ती को दिशा-निर्देश दिये गये हैं। प्रभावकारी गश्ती हेतु शहरी क्षेत्र में गश्ती व्यवस्था (पैदल, वाहन) को सुदृढ़ किया गया है ।

(च) शहर के अतिव्यस्ततम स्थलों (बस स्टैण्ड, मॉल, कचहरी एवं अन्य व्यस्त कार्यालय, बैंक का बाहरी परिसर, मंदिर का बाहरी परिसर, किसी खास अवसर पर आयोजित समारोह, प्रदर्शनी इत्यादि में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा के फूटेज का उपयोग किया जाता है ।

अध्यक्षः उत्तर प्राप्त है तो आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः पूरक ही पूछ रहे हैं । माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ महोदय कि मेरे प्रश्न का दो पार्ट है- एक तो है वाहन चोरी रोकने का कौन सा उपाय करना चाहते है और दूसरा है वाहन की रिकवरी, तो रिकवरी के मामले में इन्होंने जो डाटा दिया है उसके अनुसार 15 से 20 प्रतिशत रिकवरी हुआ है । वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021, वर्ष 2018 में 19 हजार 268 वाहन चोरी हुआ और 3 हजार 344 रिकवरी का इन्होंने होने दिया है । वर्ष 2019 में 22,206 चोरी हुआ इसमें से 4745 रिकवरी की बात कह रहे हैं । वर्ष 2020 में 20825 चोरी हुआ वाहन और 3052 रिकवरी है । इसी प्रकार 2021 में अपराध सहित इन्होंने दिया है 27,838 वाहन की चोरी हुई और मात्र 4264 रिकवरी हुआ ।

अध्यक्षः अरूण शंकर बाबू, वह तो आंकड़े सब उसमें है जो पढ़ रहे हैं । आप पूरक तो पूछिये।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, एक लाईन का मेरा पूरक प्रश्न है । बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है । मेरा पूरक यही है कि इन्होंने बताया है कि हम क, ख, ग, घ, ड़ और च उपाय कर रहे हैं इसके रोकने का, चोरी रोकने का ।चोरी रोकने का उपाय है ठीक है लेकिन फिर भी अगर चोरी हो रहा है और पुलिस रिकवरी नहीं कर रही है मेरे जैसे विधायक के दरवाजे से भी पिछले वर्ष मोटरसाईकिल चोरी हो गयी उसका रिकवरी नहीं हुआ महोदय । हमारे पी0ए0 का मोटरसाईकिल उठा कर ले गया ।

अध्यक्षः क्यों पिछले साल चोरी हो गया ?

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, सरकार एक ही होती है, चाहे हम उधर हो या वे इधर हों, सरकार में अंतर नहीं है, सरकार मशिनरी ही चलाती है । उस मशिनरी को जबतक ये कसेंगे नहीं, वाहन चोरी का रिकवरी अगर कम हो रहा है तो उसका कैसे उसको रिकवरी कर सकेंगे ? जबकि अब वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है तो उसका क्या उपाय करना चाहते है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ । डेढ़ सौ दो सौ साल पहल सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 का निर्माण हुआ। सी0आर0पी0सी0 के तहत पुलिस अपना काम करती है, आई0पी0सी0 तो कोर्ट का मामला है लेकिन ब्रिटेन भी क्राईम फ्री देश नहीं है, अमेरिका में क्राईम होता है । अपराध करने वाला अपराध करता है (व्यवधान) अब सुन तो लीजिये । अब अडाणी का रिकरवरी क्यों नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः सुनिये, जवाब तो आपको सुनना ही न है। सरकार के जवाब को सुनिये ।

टर्न-7/मधुप/06.03.2023

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने आंकड़े सही दिये । नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो-जो सरकार प्रयास कर रही है लेकिन गाड़ी अगल-बगल के राज्यों में लेकर लोग भाग जाता है, रिकवरी करना बहुत कठिन काम है । यह आसान काम नहीं है, कहना आसान काम है । सरकार यथा संभव प्रयास कर रही है । यही उत्तर है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुए । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(व्यवधान)

सरकार अपने स्तर से सक्षम कार्रवाई करेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 06 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :

1. श्री अरूण शंकर प्रसाद
2. श्रीमती गायत्री देवी
3. श्री संजय सरावगी
4. श्री जनक सिंह

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की माँग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री तिवारी जी, जरा बैठ जाइये । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिये क्या कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन की सूचना में जिन माननीय सदस्यों ने शिक्षक अभ्यर्थी, बी0पी0एस0सी0, बी0एस0एस0सी0 और इंजीनियरिंग की बहाली से संबंधित विषय रखे हैं, पहले भी परम्परा रही है, आप यहीं बैठे थे, आप भी कई बार आग्रह करते थे कि पढ़वा दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, पढ़वा दिया जाय, कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़वा तो दिया जाय । आप भी कई बार हमसे आग्रह किये थे और हम भी पढ़वा देते थे । एक स्वस्थ परम्परा थी सदन चलाने में अच्छा भी रहता था ।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रश्नकाल होता था तो प्रश्नकाल के बाद किस विभाग का कितना प्रतिशत जवाब आया, इसका भी जिक्र सदन में होता था ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई नई बात नहीं है कार्य स्थगन की सूचना आती रही है बहुत पूर्व से और सरकार के कार्यों को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए वे अमान्य किये जाते रहे हैं । ये अमान्य कर दिये गये हैं फिर भी माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव वे पढ़ दें, यह कोई नियम-कानून के तहत नहीं, मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि आप पढ़ दीजिए लेकिन उसपर डिस्कशन और विस्तृत में उसका

क्षेत्रफल बढ़ाने का काम न कीजिएगा । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद । माननीय सदस्य, आप बोलिये ।

(व्यवधान)

अरूण बाबू, जरा एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, यह पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र की बात है, सभी विधायक जितने भी शाहाबाद प्रक्षेत्र से आते हैं, इसपर सभी एकमत हैं । हमलोगों के नहरों में पटवन के लिए पानी एकदम नहीं दिखाई पड़ रहा है और पानी के लिए बार-बार चीफ इंजीनियर, एक्जक्युटिव इंजीनियर से कहने पर भी, इन्द्रपुरी बराज में भी पानी बहुत कम है, इन्द्रपुरी बराज का जो विस्तारीकरण होना था, वह भी नहीं हो पाया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सूचना दे दिया । इसके लिए भी, जो बड़े आवश्यक/अर्जेंट चीज होते हैं उसी के लिए शून्यकाल बनाया गया है ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : महोदय, 15 दिनों से चीफ इंजीनियर....

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अरूण सिंह जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में लाखों प्रशिक्षित शिक्षक टी0ई0टी0 और एस0ई0टी0 के बेरोजगार पड़े हुये हैं उनपर रोज लाठी बरस रहा है । सरकार उनको रोजगार देने में विफल है और इस प्रकार के कई पास अभ्यर्थी आज सड़कों पर लाठी खा रहे हैं । सरकार उनको कब तक रोजगार देना चाहती है ? क्यों रोजगार नहीं देना चाहती है ? शिक्षित बेरोजगार सड़क आज किस स्थिति में हैं । महोदय, सरकार इस विषय का संज्ञान ले और इसपर चर्चा कराये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद जी, जो आपने कार्य स्थगन लिखकर दिया, वह आप नहीं पढ़ रहे हैं । दूसरी बात को पढ़ रहे हैं । आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : यही विषय है ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । श्रीमती गायत्री देवी ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला का परिहार विधान सभा क्षेत्र का यह गंभीर विषय है । सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत धरहरवा पंचायत के धरहरवा गॉव में नवाह यज्ञ चल रहा था । दिनांक- 03.03.2023 दिन शुक्रवार के 1 बजे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन लाउड स्पीकर को जुमे की नमाज के कारण बंद करा दिया गया था । उसके बाद शाम में 7 बजे भारी पुलिस बल के साथ स्थानीय पुलिस, प्रखंड

विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुँचने से विवाद उत्पन्न हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी जी । आप कार्य स्थगन क्या लिखे हैं उसको देख लीजिये और क्या पढ़ रही हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, अपने परिहार विधान सभा क्षेत्र के विषय में कार्य स्थगन दिया है ।

अध्यक्ष : आपने जो कार्य स्थगन लिखकर दिया है वही पढ़ें । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।
माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रताड़ित करने के बदले शिक्षक की नौकरी देने के विषय पर आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए विशेष चर्चा करायी जाय ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4 लाख है । इन्हें शिक्षक की नौकरी देने के बदले लाठी से पीटा जा रहा है, इनके अधिकार का हनन हो रहा है ।

अत: आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रताड़ित करने के बदले शिक्षक की नौकरी देने के विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें ।
माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाये रखें ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं युवा हैं और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र शक्ति पर इस सदन में बहस न हो, चर्चा न हो तो भगवान ही हम सबों का भला करेंगे ।

अध्यक्ष : आप क्षेत्रफल को बढ़ाइये नहीं ।

श्री जनक सिंह : उसी पर आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपने जो कार्य स्थगन दिया है, उसी को पढ़िये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, जो ये युवा हैं उसी पर आ रहे हैं । राज्य के टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होने के कारण शिक्षक के स्तर में आयी गिरावट के विषय पर आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए विशेष चर्चा करायी जाय।

उल्लेखनीय है कि राज्य में टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4 लाख है । टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होने के कारण राज्य में शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आयी है ।

अत: आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में टी0ई0टी0 परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के लिए विषय पर चर्चा कराना चाहिए ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, इतना महत्वपूर्ण....

अध्यक्ष : देखिये-देखिये । हमने आपको पुकरवाया । अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आपका कार्य स्थगन नहीं होगा ।

टर्न-8/आजाद/06.03.2023

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल लिये जायेंगे ।

श्री महा नन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल से कलेर तक सोन नहर सड़क पर एक दर्जन से भी ज्यादा पेड़ एवं कसोपुर के पास पोल के कारण दर्जनों दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। सड़क पर स्थित पेड़ एवं पोल हटाने की मांग करता हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत किशनगंज नगर परिषद् वार्ड नं0-34 मंझिया में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को लगभग 6 कि0मी0 चलकर किशनगंज मुख्यालय पढ़ने जाना पड़ता है । इससे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं उक्त स्थल पर उच्च विद्यालय खोलवाने की मांग सरकार से करता हूँ।

अध्यक्ष : माईक कंट्रोल वाले, जो भी वहां पर बैठे हैं, आपलोग ध्यान दीजिए ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड भभुआ पंचायत रूईयां के ग्राम करमीचक एवं डारीडीह के बीच स्वर्णा नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गांव के लोगों को अवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

अत: उक्त नदी पर पुल निर्माण की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिला एवं प्रखंड में जिला परिषद् सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को विकास मद की बराबर-बराबर राशि क्षेत्रवार जिला पार्षद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के बीच वितरित करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के अन्तर्गत मुहम्मदपुर से माधोपट्टी घाट जाने वाली सड़क में पुल के पास से किशोरी साह के जमीन तक प्रोटेक्शन वॉल और एक स्लूईस गेट का निर्माण किया जाय । यह मैं मांग करता हूँ ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के मोरहर एवं बूढ़ी नदी से दिन के उजाले में शहर में नो इन्ट्री रहते हुए प्रायः बालू लदे ट्रकों के परिचालन के कारण प्रायः घटनायें घट रही है एवं प्रशासन पूरी तरह मौन है । मैं घटनाओं के जिम्मेदारी पदाधिकारियों पर जॉच की मांग करती हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी नगर पंचायत के बढ़ई बिगहां एवं झारखंडी स्थान के सामने फल्गू नदी पर फुट ब्रिज नहीं रहने के कारण दर्जनों गांव के ग्रामीणों को घोसी बाजार आने में कठिनाई होती है । सरकार से फुट ब्रिज निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के समुचित उत्थान के लिए जैसे शिक्षा, कौशल विकास, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, आरक्षण आदि का विशेष प्रावधान है । परंतु बिहार के दिव्यांगजनों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बिहार के दिव्यांगों को सुविधायें व अधिकार देने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रसीदपुर एवं बासोपट्टी प्रखंड के उच्च विद्यालय, लौठवा में चहारदिवारी के अभाव में छात्रों को असुविधा के साथ-साथ विद्यालय की भूमि भी अतिक्रमित हो रही है । शीघ्र चहारदिवारी निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री मो0 इजहार अस्फी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस कारण आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति से वंचित होना पड़ता है ।

अतः मैं सरकार से अपने विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलवाने का मांग करता हूँ ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड के कसवा खैरही पंचायत में स्थित प्रोजनी बाग में कृषि विभाग के अतिथिगृह, सर्किट हाऊस के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत मैरवा नगर पंचायत के वार्ड नं0-3 में 40 घर महादलित झोपड़ी बनाकर रहता था, जिसको सरकार द्वारा उजाड़ कर बेघर कर दिया गया है । मैं सरकार से महादलित उन परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था का मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : आपने शून्यकाल पढ़ दिया माननीय अमरजीत बाबू, आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री ललन कुमार, पढ़िए ।

माईक ठीक कीजिए । पढ़िए, अब ठीक है ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पश्चिम बंगाल के तर्ज पर दलित साहित्य अकादमी की स्थापना करने की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखण्ड के तेघरा पंचायत के समदा गांव के 50 वर्षो से बिहार सरकार की जमीन में बसे हुए 45 गरीब परिवारों को प्रशासन ने बुलडोजर से उजाड़ दिया है । प्रत्येक परिवार को एक लाख रूपये मुआवजा देने तथा उनके पुनर्वास करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य शून्यकाल में अपना शून्यकाल ही पढ़ें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह महत्वपूर्ण सूचना है ।

अध्यक्ष : महत्वपूर्ण को आपने सदन के सामने रख दिया ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाए और सरकार को निदेश दिया जाए ।

अध्यक्ष : बिल्कुल, पूरे सदन के लोग आपके शून्यकाल को सुन रहे हैं ।
माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अंतर्गत गुरूआ बस स्टैंड के समीप स्थित तालाब जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, जिसमें तालाब का अस्तित्व खतरे में आ गया है ।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि तालाब का जीर्णोद्धार करवाया जाए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत अमौर थाना क्षेत्र के तीन पंचायत खाड़ी महीनगांव, हफनिया एवं तालबाड़ी कनकई नदी के पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। पुलिस प्रशासन को घटना स्थल पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है । अमौर थाना क्षेत्र के खाड़ी हाट में एक पुलिस ओ0पी0 खोलने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुस्ताफापुर चौक से मो0 रहमतुल्ला, मस्जिद होते हुए शंकर चौक, मालपुर तक सड़क की स्थिति जर्जर है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

मैं सरकार से उक्त सड़क के पुनर्निमाण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2019 से लम्बित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन जिला उप संवर्ग के विभिन्न कार्यालयों के लिए अमीन के 1,767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए पैनल निर्माण की त्वरित कार्रवाई करने तथा अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित कर नियुक्ति देने की मांग करता हूं ।

टर्न-9/शंभु/06.03.23

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार के सभी किसान, मजदूर गाय एवं भैंस पालते हैं, मगर पहले की तरह सांढ़ भैंसा नहीं होने के कारण लोगों को निजी क्लीनिकों से 300 रू0 में सीमेन खरीदना पड़ता है जिससे लोगों को आर्थिक परेशानी होती है । हम सरकारी सभी पशु चिकित्सालय द्वारा लोगों को निःशुल्क सीमेन देने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए । आपके शून्यकाल को सुन लिया गया और सदन ही नहीं सुना, आपकी आवाज को पूरे बिहार की जनता ने भी सुन लिया है । बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, दरभंगा शहर की लाइफलाइन एवं शहर के बीचोबीच बहनेवाली बागमती नदी का पानी अत्यंत दूषित एवं काला हो गया है और उपयोग योग्य भी नहीं है । उसमें स्नान करनेवाले व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार भी हो रहे हैं । सरकार नदी को अविलंब प्रदूषणमुक्त कराने की कार्रवाई करे ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, नवादा जिला के गोला बाजार निवासी आनन्द आर्या सुबोध उर्फ सुबोध साव को 03.03.2023 को चाकू से गोदकर अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दिया जिसका रूपो थाना काण्ड सं0-128/23 है । घटना में संलिप्त अपराधियों का स्पीडी ट्रायल कर पीड़ित परिवार को 25 लाख रूपये मुआवजे की मांग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड अन्तर्गत चामू घरारी से करहरी का सड़क निर्माण किया जाय ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद, 15 शब्दों में आपने शून्यकाल दिया है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर काम करने सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की प्रगति उच्च स्तर पर पहुंचाने में बड़ा योगदान देने वाली आशा कार्यकर्त्ताओं को सरकारी स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर वेतनमान देने की मांग करता हूँ।

मो0 कामरान : महोदय, नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड में प्रखंड अंचल कार्यालय का नया भवन निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, औरंगाबाद के विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवीनगर के सहायक अभियंता श्री गौतम कुमार के द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज की जाती है । श्री शैलेन्द्र सिंह एवं बैरांव के मुखिया से वार्त्तालाप का विडियो काफी वायरल हुआ है । उक्त अभियंता के विरूद्ध अविलंब विभागीय कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत बखरी प्रखंड के ब्रह्मदेव नगर और सुग्गा के बीच पुल नहीं रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । ब्रह्मदेव नगर एवं सुग्गा के बीच पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री नितिन नवीन : महोदय, पटना के प्रतिष्ठित डाक्टर संजय कुमार पिछले 120 घंटे से लापता हैं, पुलिस प्रशासन उनके संबंध में पुख्ता जानकारी अभी तक एकत्रित नहीं कर पायी है, पूरा चिकित्सा जगत जंगल राज वापसी से घबराया हुआ है । अत: आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, ये शून्यकाल है । आपने शून्यकाल पढ़ दिया, स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, कारीसराय बेलागंज, गया में तीन मुस्लिम युवाओं की ग्राम पिपरा कोठी के पास मोबलिंचिंग के माध्यम से पीटा गया इसमें एक की मौत एवं दो अन्य घायल है । घटना में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हाल में सोशल व प्रिंट मीडिया के एक हिस्से द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों पर हमले का अफवाह फैलाया गया जो बिहार की गरीबों मजदूरों के खिलाफ राष्ट्रविरोधी आपराधिक कार्रवाई है । बिहार में इसके दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसपर डिबेट नहीं हो सकता । आप पढ़ दिये ।

श्री मो0 अनजार नइमी : महोदय, किशनगंज जिला के स्थापना के 33 वर्ष बीत गये । 33 वर्षों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 16 लाख 90 हजार 948 थी । एक ही अनुमंडल होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या लगी रहती है । वरीय पदाधिकारियों और संबंधित कार्यालयों के होने से आर्थिक तथा मानसिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी । उक्त समस्याओं से मुक्ति हेतु मैं जनहित में बहादुरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी प्रखंड के सिकरहटा कलां से हरपुर जानेवाली पथ में कुंवर सिंह बांध के पास पुल नहीं रहने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी होती है । लोकहित में अतिशीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माइक ठीक कीजिए ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हास्पीटल में राज्यांश की राशि 30 करोड़ नहीं दिये जाने के कारण जॉच ऑपरेशन के उपकरण की खरीद नहीं होने

के कारण हास्पीटल चालू नहीं हो सका है । अत: समस्याओं का निराकरण कर सुपर स्पेशलिटी हास्पीटल को चालू कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र के दारोगा लोकेश कुमार चौधरी का व्यवहार आचार जन सहयोगी नहीं है, जिसकी काफी शिकायतें हैं । उन्होंने मेरे विधायक प्रतिनिधि राजीव रंजन को दिनांक 03.03.2023 को अपमानित एवं प्रताड़ित किया है । अतएव सदन के माध्यम से उक्त पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग करती हूँ ।

टर्न-10/पुलकित/06.03.2023

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों का अबतक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं होने के कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है और उत्तप्रदेश में 20 से 30 रुपया गन्ने का मूल्य किसानों का बढ़ गया है । अभी तक मिल बंदी के कगार पर है । माननीय मंत्री महोदय, सदन में है वह बता दें कि कबतक उत्तरप्रदेश के हिसाब से बिहार के भी किसानों का गन्ना मूल्य निर्धारित करेंगे और कबतक किसानों को निर्धारित मूल्य पर भुगतान करायेंगे । मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को और माननीय मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रमोद बाबू अपना स्थान ग्रहण करें ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल छूट गया है ।

अध्यक्ष : आपके शून्यकाल की सूचना 50 शब्दों से भी ज्यादा है, वरना हम आपसे कैसे नहीं पढ़वाते ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, सुन लिया जाए ।

अध्यक्ष : आपका शून्यकाल 62 शब्दों में है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या बैठ जाइये । माननीय सदस्या भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए । मैं विशेष परिस्थिति में आपको इजाजत देता हूं, आप अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्रीमती गायत्री देवी : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में दिनांक- 03.03.2023 को धरहरवा गांव में हो रहे नवाह में पुलिया प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर बन्द कराने एवं प्रशासन द्वारा महिलाओं, वृद्ध एवं बच्चों के साथ बुरी तरह मारपीट की गयी और 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस द्वारा पकड़ें लोगों को छोड़ने तथा पुलिस पर

कार्रवाई की मांग करती हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार की सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

(व्यवधान)

अगर यही स्थिति आपकी रही और जो मैंने आपको जो एक विशेष अवसर दिया, भविष्य में मैं यह अवसर नहीं दे पाऊंगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । अगर यही पॉलिसी आपलोगों की रही तो कभी अवसर नहीं मिलेगा। आप बैठ जाइये ।

सर्वश्री अजय कुमार, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वायु की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है तथापि वायु प्रदूषण की स्थिति स्थान विशेष की प्राकृतिक/भौगोलिक दशा एवं मौसम पर भी निर्भर करती है । वायु प्रदूषण के मुख्य कारण सड़क धूल-कण, वाहन उत्सर्जन, ठोस अपशिष्टों को खुले में जलाना, निर्माण क्रियाकलाप, घरेलू क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन, पड़ोसी राज्य से आने वाले प्रदूषण तत्व, उद्योगों इत्यादि से होने वाले उत्सर्जन हैं ।

गैसीय प्रदूषक यथा CO_2, SO_2, NO_2, O_3, एवं NH_3 आदि की सान्द्रता सामान्यत: निर्धारित मानक के अधीन पायी गयी है । परन्तु राज्य के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण में कण-पदार्थ PM_{10} एवं $PM_{2.5}$ की सान्द्रता स्तर मानक (PM_{10} -100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर एवं $PM_{2.5}$ - 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से ज्यादा पायी गयी है ।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए0क्यू0आई0) का स्तर सामान्यत: ठंड के मौसम में ज्यादा पाया जाता है । शेष मौसम में सामान्यत: कम रहता है एवं बरसात के मौसम में यह मानक के आसपास रहता है ।

राज्य सरकार, बिहार के शहरों की वायु गुणवत्ता के प्रति सजग है । इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 23 जिलों में कुल 35 अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र (Continous Ambient Air Quality Monitoring Station : CAAQMS) की स्थापना की गयी है । इन केन्द्रों के आँकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स-ए0क्यू0आई0) की गणना की जाती है । प्राप्त

आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि ठंड के मौसम में राज्य के अधिकांश शहरों का वायु गुणवत्ता बहुत खराब तथा गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है । ठंड कम होने के साथ ही साथ ए0क्यू0आई0 का स्तर कम होने लगता है, अर्थात् परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहतर होती चली जाती है। यह राज्य की भौगोलिक स्थिति, तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, तापमानीय इंवरशन (Thermal Inversion) की क्रिया इत्यादि के कारण होती है ।

राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है :-

1. वायु में उपस्थित प्रदूषक तत्वों की सान्द्रता के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 132 नन-एटेन्मेन्ट सिटीज (Non-Attainment Cities) को चिन्हित किया गया है । जिसमें बिहार के तीन शहर यथा पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया शामिल हैं । राज्य सरकार द्वारा नन-एटेन्मेन्ट सिटीज (Non-Attainment Cities) यथा पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर शहरों के लिये सिटी स्पेस्फि क्लीन एयर एक्शन प्लान (City Specific Clean Air Action Plan) बनाया गया है, जिसमें ग्रेडेड रेसपॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) भी शामिल है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । ग्रेडिड रेसपॉन्स प्लान के तहत ए0क्यू0आई0 के स्तर के अनुसार विभिन्न हितधारकों द्वारा निदेशित कदम उठाये जाने है एवं उनका क्रियान्वयन किया जाना है । इसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्टीयरिंग समिति (Steering Committee), प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की गयी है । मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निदेश दिया गया है कि ग्रेडेड रेसपॉन्स एक्शन प्लान को सभी उन शहरों में लागू किया जाए जहां नये सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 स्थापित किये गये हैं ।

2. राज्य में कुल 67 स्थानों पर वाहनों में स्वच्छतर ईंधन की आपूर्ति हेतु सी0एन0जी0 आउटलेट की स्थापना की गयी है । राज्य में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं गेल इंडिया आदि संस्थान द्वारा पाईप्ड नैच्यूरल गैस नेटवर्क बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जो प्रगति पर है ।

3. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा अधिसूचना निर्गत कर वैसे औद्योगिक क्षेत्र जहां पी0एन0जी0/सी0एन0जी0 की पाईप लाईन पहुँच गयी हो, वैसे औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाईयां जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, को स्वछत्तर ईंधन पी0एन0जी0/सी0एन0जी0 में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है ।

4. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी सरकारी डीजल चालित वाहनों का परिचालन पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है । पटना एवं इसके आसपास के नगर निकाय क्षेत्रों यथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ में 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी व्यावसायिक डीजल चालित वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है । इन क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन भी मार्च, 2022 के पश्चात् प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

5. नये ईंट-भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक के बगैर स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0/एन0ओ0सी0) प्रदान नहीं की जा रही है ।

6. नगर निकायों द्वारा क्लीन एयर एक्शन प्लान के विभिन्न कार्य बिन्दु के तहत कार्य कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है ।

7. कृषि अपशिष्टों को जलाने पर हो रहे प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा उन किसानों को जो कृषि अपशिष्ट को जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं वैसे कृषक को चिन्हि्त कर कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले कृषि अनुदानों से तीन वर्षों के लिए वंचित किया जाता है ।

8. वाहनों से होने वाला प्रदूषण की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा Pollution Under Control प्रमाण-पत्र जारी करने वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 1412 कर दी गयी है ।

9. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण स्थलों को ढक कर कार्य करने का निदेश दिया गया है ।

10. खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित किया गया है ।

11. परिवहन विभाग द्वारा 25 इलेक्ट्रीक एवं 70 सी0एन0जी0 बसों का परिचालन किया जा रहा है ।

इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत किये जाने वाले सारे उपाये किये जा रहे हैं जिसमें वेजिटेशन यानी वृक्षा रोपण जिसका स्तर अभी 15 प्रतिशत पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में उसे 18 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है । ये सारे उपाय इन प्रदूषण नियंत्रण के लिये किये जा रहे हैं ।

टर्न-11/अभिनीत/06.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में और पूरे देश के अंदर वायु प्रदूषण के कारण टी0बी0, अस्थमा, कैंसर और एलर्जी रोग बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं । जिस उपाय के बारे

में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है उसमें मुझे दो-तीन पूरक पूछने हैं । पहला पूरक यह पूछना है कि डीजल गाड़ी जो चल रहे हैं, जिससे ज्यादा पोल्लुशन होता है उस डीजल गाड़ी की जगह पर जैसे दिल्ली के अंदर और कई बड़े शहरों में भी सी0एन0जी0 गाड़ी, डीजल को पूरी तौर पर प्रोटेक्टेड करने का वहां पर फैसला लिया गया है । क्या सरकार बिहार के अंदर, खास करके बड़े शहरों में डीजल गाड़ी को प्रोटेक्टेड करके सी0एन0जी0 लाने का विचार रखती है कि नहीं ?

मेरा दूसरा पूरक है कि बड़े पैमाने पर आज शहर के अंदर खासकर जो मध्यमवर्गीय लोग हैं और उच्च मध्यवर्गीय लोग हैं, वे एक व्यक्ति हैं और दो-तीन गाड़ी इस्तेमाल करते हैं । देश में जमीन के लिए सिलिंग एक्ट बना कि कौन कितना जमीन रख सकता है । क्या सरकार गाड़ी रखने के लिए कोई सिलिंग की व्यवस्था कर सकती है कि नहीं ?

तीसरी बात मुझे कहनी है कि डीजल के वाहन में रेट्रोफिट पर्टिकूलर फिल्टर अनिवार्य किया जाय । यह बिहार के अंदर अनिवार्य नहीं है । फिल्टर से कालिख जो निकलती है उससे बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन निकलता है और उससे नुकसान होता है ।

इसके साथ एक और पूरक मैं पूछ देता हूं, चूंकि बिहार के अंदर जिस बड़े इमारत के बारे में इन्होंने जो कहा कि उससे फैलती है उसके लिए है । बिहार में निर्देश दिया गया है कि पांच हजार एस्क्वायर फीट, मैं पांच हजार की बात कर रहा हूं उससे ज्यादा एरिया में जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उसके अंदर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य करना चाहती है सरकार की नहीं ? हमारा ख्याल है कि अगर इतना कर दिया जाय तो बहुत कुछ हो सकता है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जलवायु प्रदूषण से बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के डफरपुर पंचायत के इरैया गांव में दर्जनों कैंसर पीड़ितों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग नम्बर में लगे हुए हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस गांव के जल की जांच करवाये ताकि जलवायु प्रदूषण से जो कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है उसकी रोकथाम हो सके ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम साहब ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण का रिश्ता आजकल गांवों में, अर्द्ध शहरों में ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से खुलेआम मिट्टी कटाई, भराई और एक किलोमीटर, दो किलोमीटर जो उसका परिचालन होता है महोदय, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है । ग्रामीण इलाकों में चलना मुश्किल हो गया है महोदय । खुलेआम बालू लेकर, नदी से काटकर आता है, एक किलोमीटर दूर आता है और मिट्टी काटकर खुलेआम वह गिराता जाता है, सड़क पर

भी वह मिट्टी गिरती है जिस कारण से एक्सीडेंट भी होता है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो क्या सरकार इस पर कोई सख्ती अख्तियार करना चाहती है ? कलेक्टर को निर्देश देना चाहती है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पुलिस-प्रशासन के सहयोग से ऐसा काम होता है तो उन पर कोई कार्रवाई करने का इरादा है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी का जो सप्लीमेंट्री था उसमें उन्होंने डीजल गाड़ी की जगह सी0एन0जी0 गाड़ी चालाने की बात रखी है । डीजल गाड़ी को सी0एन0जी0 में बदलने की पहल बिहार में शुरू हो गयी है और सी0एन0जी0 गैसों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने पहल की है और जल्द ही खासतौर से बड़े शहरों को सी0एन0जी0 से अच्छादित किया जायेगा, जो सी0एन0जी0 केंद्र हैं उससे अच्छादित किया जायेगा और उसमें सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जो पहल हो सकती है उसमें बिहार सरकार का पूरा सहयोग होगा । इसमें गेल और विभिन्न गैस कंपनियों के जो अपने निर्णय हैं उस पर भी ये सारी चीजें निर्भर करती हैं । चूंकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ यह मामला है इसलिए सरकार इस संदर्भ में केंद्र को और जो संबंधित ऑयल कंपनियां हैं उनको, गेल इंडिया को पत्र लिखेगी ।

दूसरी तरफ जो दूसरा प्रश्न था कि बड़े पैमाने पर एक व्यक्ति कई गाड़ियों का उपयोग कर रहा है । यह एक नीतिगत फैसला होगा और यह अच्छी राय है जिसको सरकार ग्रहण करती है और इस पर विचार किया जा सकता है ।

तीसरा, डीजल वाहन में फिल्टर लगाने का मामला है और जो पांच हजार एस्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन एरिया वाला जो इशू है । दोनों में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लिखित रूप में दे दें, इस संदर्भ में तकनीकी रूप से एडवायस लिया जायेगा और उस पर जांच करके यदि प्रदूषण कम करने में सहायता होगी तो सरकार उसको लागू करने पर विचार करेगी ।

माननीय सदस्य ने कैंसर से पीड़ित लोगों के संदर्भ में सवाल उठाया है कि जल प्रदूषण से संभावना है, ऐसी आशंका है कि जल प्रदूषण से कैंसर हो रहा है । आप लिखित रूप से विभाग में देंगे तो विभाग के जो पदाधिकारी हैं, खासतौर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया जायेगा कि वहां के जल की जांच करा लें और जो संबंधित बीमारी का मामला है विभागीय स्तर पर उसकी जांच कराकर उसके संदर्भ में अपना निर्णय लेंगे ।

माननीय सदस्य महबूब साहब का प्रश्न था कि मिट्टी कटाई और भराई का प्रदूषण से संबंध है । यह बात सही है कि बिहार के अंदर खासतौर से जो प्रदूषण है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बिल्डिंग जो बन रहे हैं उनको

बिना ढंके हुए बनाना और मिट्टी कटाई का खुलेआम बिना ढके हुए ट्रांसपोर्टेशन, इस वजह से भी यहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा बताया जाता रहा है । इसलिए सरकार इसे गंभीरता से लेगी, ले भी रही है और आने वाले दिनों में इसके जो भी मेजर्स, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कहीं चल रहे हैं उनको देखकर जो भी मेजर्स लिये जा सकते हैं लिये जायेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन ।

सर्वश्री राकेश कुमार रौशन, रामबली सिंह यादव एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नवगठित नगर निकायों के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु समीपवर्ती नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । कतिपय नगर निकायों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिन्हें संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वित्तीय शक्ति भी प्रदान की गयी है । राज्य में नये नगर निकायों के गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु भेजी गयी अधियाचना के अनुरूप 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नगर कार्यपालिका पदाधिकारियों के पदों के लिए रिक्तियों के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यपालक पदाधिकारियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर शीघ्र उन्हें पदस्थापित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि अभी पिछली दफा सरकार ने बड़े पैमाने पर नगर निकाय को पंचायतों से हटाकर नगर परिषद, नगर पंचायत बनाने का काम किया है लेकिन जो नगर परिषद और नगर पंचायत हैं, वहां कार्यपालक पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण..

..क्रमशः..

टर्न-12/हेमन्त/06.03.2023

श्री राकेश कुमार रौशन(क्रमशः) : वहां का विकास का काम हो या वहां के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके वेतन भुगतान का मामला हो यह लंबित पड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि नवगठित नगर इकाइयों में कब तक कार्यपालक

पदाधिकारी की नियुक्ति हो जायेगी, यह मेरा पहला पूरक है । महोदय, दूसरी बात है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, जो प्रभार में पदाधिकारी हैं उनको वित्तीय अधिकार देने का, लेकिन हम जहां से आते हैं, वहां इस्लामपुर में एक नगर परिषद है और एकंगरसराय में नगर पंचायत है, इन दोनों जगहों पर वहां के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नगर परिषद को देखने का, लेकिन अभी कोई भी वित्तीय अधिकार की चिट्ठी विभाग से नहीं गयी है जिसके चलते होली जैसे पर्व में भी खासकर जो सफाईकर्मी हैं, उनको भी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यदि विभाग ने ऐसा आदेश दिया है, तो इसको तुरंत कार्यान्वित करा दिया जाय और संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना चली जाय जिससे कि जिन लोगों का विकास का काम और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान का मामला है वह हो सके । महोदय, एक और पूरक है....

अध्यक्ष : अब हो गया आपका ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मेरे संज्ञान में कुछ और जगहों का मामला है । महोदय, एक सिवान शहर में नगर परिषद है । वहां के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है । उनके निलंबन के बाद वहां का सारा विकास का और वहां का जो कार्य है, वह सब बाधित है । तो क्या सिवान में जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको सरकार निलंबन से मुक्त करना चाहती है और वहां का प्रभार देकर वहां का विकास का काम करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रथम पूरक था उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया गया है कि 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो बी0पी0एस0सी0 की है उसके सम्पन्न होने के तत्काल बाद कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी । दूसरा, जहां भी यह आदेश यहां से दिया गया है और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में कार्यभार दिये जा रहे हैं । तो जिन जगहों का आपने जिक्र किया हम उसको दिखवा लेंगे । सब जगहों की स्थिति आप लिखित रूप में दे दें और विभाग से हम उसको दिखवाकर त्वरित गति से उसको दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री द्वारा बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया है । आपने जो सूचना दी है माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है । यदि सरकार ने वित्तीय अधिकार दे दिया है, तो उसकी चिट्ठी की एक प्रति हमको भी उपलब्ध करा दी जाय जिससे कि जो पदाधिकारी हैं, हो सकता है कि जानबूझकर भी चिट्ठी को नहीं दिखाते हों, काम नहीं

करना चाहते हों । तो हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जी से कि जो यहां से चिट्ठी गयी है वित्तीय अधिकार के लिए, उसकी एक प्रति हमको भी दे दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अपने स्तर से आपने कार्रवाई की है और जो समस्या है उस समस्या को उन्होंने देखा है, आप उसको दिखवा लीजिएगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, वित्तीय अधिकार देने का मामला हर जगह का स्पेसिफिक है । क्योंकि एक कॉमन लेटर नहीं है जिसकी प्रति दे दें । आपने जिन स्थानों का जिक्र किया है, कृपया लिखकर हमें दे दें और हम उन जगहों के लिए प्रयास करेंगे कि जल्द-से-जल्द वित्तीय अधिकार मुहैया कराया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार अपनी सूचना को पढ़ें । चूंकि आप पढ़ नहीं पाये हैं, पढ़ें ।

सर्वश्री जिवेश कुमार, श्यामबाबू प्रसाद यादव एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री जिवेश कुमार : ''अध्यक्ष महोदय, 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व के अधूरे इन्दिरा आवास को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 हजार की सहायता राशि दी जायेगी, लेकिन इस लोक हितकारी योजना का लाभ सरकारी प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ही मिल पाएगा । चूंकि वर्ष 2010 के पहले गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों को इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केवल 35000/- रुपया दिया जाता था, जो आवास निर्माण के लिए बहुत ही कम था जिसके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं सवर्ण का भी आवास अधूरा पड़ा हुआ है ।

अत: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अधूरे निर्मित मकान को पूर्ण करने हेतु मिलने वाली राशि बिना किसी भेद-भाव के समाज के सभी वर्गों को मिले, इसके लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, दिनांक- 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु लाभुकों को प्रति गृह इकाई 35000 रुपये अथवा इससे कम की सहायता राशि मिली थी, जो घर पूर्ण करने हेतु कई मामलों में अपर्याप्त रही जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । इस कारण से कतिपय आवास अधूरे, अपूर्ण हैं, यह समस्या विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के मामले में ज्यादा गंभीर है, दूसरे वर्ग के भी लोग हैं । इन्दिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रावधानों के अन्तर्गत एक बार सहायता राशि स्वीकृत

हो जाने के पर दुबारा न तो वित्तीय सहायता दी जा सकती है और न ही अपूर्ण घरों को पूर्ण करने के लिए तत्समय स्वीकृत अनुमान्य इकाई दर से अधिक राशि दी जा सकती है ।

महोदय, उक्त कारण से ही बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए दिनांक- 18.09.2020 को राज्यमंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया कि दिनांक- 01 अप्रैल, 2010 के पूर्व इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरा अथवा अपूर्ण अवस्था में है, को पूर्ण कराने हेतु प्रति इकाई 50,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ की गयी थी । महोदय, योजनान्तर्गत अन्य लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपये आवास पूर्ण करने के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 10,000 रुपये भुगतान एफ0टी0ओ0 के माध्यम से प्रावधान किया गया है ।

महोदय, माननीय सदस्यों का कहना सही है कि अभी यह सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ही प्रारंभ किया गया है और अभी यह पूरा हो जाता है उसके बाद सरकार उस पर भी विचार करेगी । लेकिन जैसा कि ध्यानाकर्षण सूचना में है, अगर कोई विशेष सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, तो यह कोई भेदभाव नहीं होता है, यह सामाजिक न्याय की बात होती है और इसीलिए सरकार ने अभी यह निर्णय लिया है और यह चरण पूरा होता है फिर उस पर भी सरकार विचार करेगी ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय पर खड़ा नहीं हूं । कोई गरीब आदमी है, अगर वह पिछड़ा समाज में पैदा हो गया और उसकी माली हालत खराब है, 35,000 रुपये उसे इन्दिरा आवास में मिले, तो पिछड़े समाज के आदमी का उसमें क्या दोष, अपना घर वह नहीं बनवा पाया, तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और न्याय यही है कि इस प्रकार की योजना जब सरकार बना रही थी, संवेदनशीलता यही है कि उन गरीबों का जिनके घर पर छत नहीं बनी, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वह अगड़ा हो इसमें समभाव सरकार को रखते हुए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह वित्त विभाग के भी मंत्री हैं और बहुत ज्यादा इस पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, मैंने उसको भी निकलवाया है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जहां सीधा-सीधा सवाल हो, सीधा जवाब आना चाहिए था कि मानवहित में संवेदनशीलता को देखते हुए उन गरीब पिछड़ों को....

टर्न-13/धिरेन्द्र/06.03.2023

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, पूरक ही है । माननीय मंत्री जी लंबा उत्तर दिये हैं तो मैं पूरक पूछ रहा हूँ । अगर उन गरीब पिछड़ों का जिनका घर किसी कारण से नहीं बना, सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए थोड़ा-सा वित्तीय भार अपने ऊपर लेते हुए जिनके घर के ऊपर छत नहीं हैं, उस पिछड़े के घर को भी और अगड़े गरीब के घर को भी पूरा करा देना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप पूरक पूछें ।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सही बताया कि यहाँ पर कोई भेद-भाव नहीं है लेकिन वर्ष 2010 के पहले जो घर बने हुए थे, और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि सरकार इतनी जल्दी में जातीय जनगणना करा सकती है तो क्या ऐसी गणना नहीं करा सकती है कि कौन-सा व्यक्ति इसमें गरीबी रेखा से ऊपर आ गए और गरीबी रेखा से जो ऊपर आ गए उसमें किसी भी अति-पिछड़ा, पिछड़ा या सवर्ण, किसी की बात नहीं आती है जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उनको उससे हटाना चाहिए और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मिलना चाहिए । माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राजू जी ने जो बाद में प्रश्न पूछा, इन्होंने सही कहा कि सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है, आपने पढ़ा होगा कि उसमें जातिवाद लोगों की गिनती के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी करा रही है, उसमें वे कैसे मकान में रह रहे हैं इसका भी आकलन किया जा रहा है । इसलिए जो आप कह रहे हैं वे तो पहले से ही सरकार की कार्य योजना में शामिल है और महोदय, जिवेश जी ने जो पूरक पूछा है, आखिर ये तो योजना थी नहीं, भारत सरकार ने भी ये योजना बनायी नहीं है कुछ पैसे देकर बंद कर देती है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है । ये तो बिहार सरकार ने विशेष रूप से योजना बनायी है और हमने किसी को नहीं दिया जायेगा ऐसा नहीं कहा है जिवेश जी, हमने यह नहीं कहा है कि नहीं दिया जायेगा, हमने सिर्फ यह कहा है कि इनको हम प्राथमिकता पर देते हैं और यह सिर्फ इस योजना में ही नहीं हो रहा है ये सरकारी सभी योजनाओं में होता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ों को और महोदय, अत्यंत पिछड़ों में जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के अत्यंत पिछड़े लोग हैं वे भी शामिल होते हैं चूंकि इनमें ज्यादा गरीब हैं । हमने जो मूल उत्तर पढ़ा था, उसमें भी हमने

पढ़ा है, ये स्थिति दूसरी जगह भी है लेकिन यहाँ ज्यादा गंभीर है इसलिए पहले हम यहाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक है । ये तो वित्त मंत्री हैं, इनको दिल बड़ा करना चाहिए । इतना संवेदनशील मुद्दा है, पिछड़े वर्ग के घर के ऊपर छत नहीं है, अगड़े जो गरीब हैं उनके घर के ऊपर छत नहीं है और ये गोल-गोल जवाब यहाँ भी दे रहे हैं । मुझे आज बड़ी उम्मीद थी कि विजय बाबू जब उठेंगे तो एक शब्द में इसको कबूलेंगे...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा जवाब दिया गया है । आज के सूचीबद्ध शेष ध्यानाकर्षण सूचना अगली तिथि को भी रहेगी ।

आज भी शत प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं, और मैं अपनी तरफ से सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी प्रश्नों के शत प्रतिशत आपने जवाब देने का काम सदन को, माननीय सदस्यों को किया है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-14/संगीता/06.03.2023

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-38 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूं, जिसपर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	02 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	-	01 मिनट

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांग की अनुसूचि में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2022 के उपबंध के

अतिरिक्त 25,83,69,73,000/-(पच्चीस अरब तिरासी करोड़ उनहत्तर लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री संजय सरावगी, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री जनक सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं । जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का प्रस्ताव प्रथम है । अत: माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्ष की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : ये पहला कैसे हैं महोदय...

अध्यक्ष : नहीं, देखिए । जांच-पड़ताल उसका किया गया उसके मुताबित श्री अखतरूल ईमान साहब का ही प्रस्ताव प्रथम है इसीलिए मैं उनको पुकारा हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, परिवर्तन क्यों किया गया है...

अध्यक्ष : नहीं, परिवर्तन नहीं किया गया है, अखतरूल ईमान जी का ही प्रथम है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ये तो बाद में आए थे पहले जनक सिंह जी का था...

श्री अखतरूल ईमान : सभी लोग साथ पहुंचे थे, तो उसी में से कुछ लोगों को बांट दिया गया है...

(व्यवधान)

अरे भाई, तो हम भी पहुंचे थे न आखिर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने पुकार दिया उनको, वही प्रथम हैं, वे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दिया जाय ।

श्री अखतरूल ईमान : आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी ओर से यह मांग करना चाहता हूं महोदय चूंकि तृतीय अनुपूरक बजट में जो मांग की गई है मैं उस मांग पर आपत्ति इसलिए कर रहा हूं कि मौजूदा वक्त यह सरकार किसानों के प्रति जितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस जिम्मेदारी में कहीं न हीं विफल है । किसानों की हालत अच्छी नहीं है । यूरिया की कीमतों में इजाफा होने के नतीजे में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है । विशेषकर महोदय, मैं सीमांचल क्षेत्र के किसानों की, जो लोग सैलाब से

प्रभावित हो रहे हैं उनके मुद्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां सैलाब की वजह से धान की फसल भी बहुत बुरी तरह बर्बाद होती है और रेत जमा हो जाने के नतीजे में रब्बी फसल भी प्रभावित होती है और नतीजा यह है कि फसल बीमा नहीं होने के कारण और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होने के कारण किसानों को अपनी जमीन छोड़कर जो 10 बीघे का किसान है वह पंजाब में 4 बीघा वाले किसान के यहां जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है । ऐसी स्थिति में किसानों की हालत कैसे सुधरेगी । गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का मतलब ही है किसान और मजदूर । और महोदय, जो हमारा पलायन हो रहा है, मजदूरों का जो पलायन है उस पलायन की बड़ी वजह यह है कि अब तक एग्रीकल्चर को जो दर्जा मिलना चाहिए था वह दर्जा नहीं मिल सका है । उस इलाके में केले की भी खेती होती है, अनानास की खेती होती है, कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट उधर कायम नहीं किया गया है और मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां फसलों का जो नुकसान हो रहा है और जमीन का जो नुकसान हो रहा है इस वक्त सरकार संवेदनशील है गरीबों के लिए, मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए, किसानों के लिए । महोदय, ये होना चाहिए अब कि किसानों की जो जमीन कट जाती है नदी में, उस जमीन का कहीं न कहीं से बीमा होना चाहिए वह जमीन कट जाती है तो उसकी बीमा राशि उसको मिले । जो फसल उसकी दह जाती है, किसान निरक्षर है, सरकारी तंत्र इतनी मुश्किल के हैं कि सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है । एक अभियान चलाकर सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री अखतरूल ईमान : सर, सर एक मिनट सर...

अध्यक्ष : एक मिनट ही आपका हक बनता है, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : आपकी करम फरमाई है सर । मैं निवेदन यह कर रहा हूं सर कि कम से कम वह क्षेत्र जो प्रभावित है सर, वहां के किसानों की फसल और उसकी भूमि के बीमा का बंदोबस्त की जाय । अगर जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है तो बगैर रजिस्ट्रेशन के वहां किसानों को उनकी फसल और उनके जमीन की बीमा कराते हुए उनको सही समय और सुसमय सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की तवज्जो दी जाय। बहुत-बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह आप अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

देखिए, आप शांति बनाए रखें । मैं जिनको बुला रहा हूं वे अपना पक्ष रखेंगे । अब दूसरे में...

(व्यवधान)

माननीय जीतन बाबू आप प्वायंट ऑफ इन्फॉरमेशन पर हैं । बोलिए, बोलिए ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और बैठक में बात चल रही थी कि 7 तारीख को जो अगजा जलना है वह रात में सुबह में भी जलना है इसलिए दिन में कोई बिजनस नहीं है तो उस दिन विधान सभा की कार्यवाही चले । बहुत लोगों का यह कहना था कि नहीं 7 तारीख को जो अगजा जलती है उसके पहले ही आज के शाम में सब तरह के कार्यक्रम लोग करते हैं लोग 6 तारीख को, इसलिए सब लोग घर पहुंचते हैं और 7 तारीख को शब-ए-बरात भी है । दोनों पर्व को देखते हुए हमलोगों ने आग्रह किया था कि 7 तारीख को विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाय या यहां का जो भी कार्य है उसको गिलोटीन किया जाय । इस पर कहा गया था कि सरकार से आदेश लिया जायेगा । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को हिन्दू पर्व और मुसलमान पर्व जो है शब-ए-बरात को देखते हुए 7 तारीख को बंद कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चूंकि 7 तारीख को शब-ए-बरात भी है इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से विधान सभा अध्यक्ष को 2 बार लिखा, आज भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि आपने जनता के हित में आपने कल जो अवकाश दिया है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अध्यक्ष महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ।

टर्न-15/सुरज/06.03.2023

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्यमंत्रणा समिति ने ही यह बात रखी थी कि व्यापक...

(व्यवधान)

हमारे विधायकों की जो भावना थी, उसको हमने रखा । शब-ए-बारात से क्या ऐतराज है आपको ? देखिये यही गड़बड़ बात करते हैं...

(व्यवधान)

शब-ए-बारात से क्या ऐतराज है आपको ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने आपलोगों की भावना को देखते हुये, शब-ए-बारात को देखते हुये, अगजा को देखते हुये, सरकार ने ही स्वयं निर्णय ले लिया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री अजीत शर्मा : नेता प्रतिपक्ष भी उस बैठक में थे, मैं भी था...

अध्यक्ष : अब तो हो ही गया, अब बैठा जाय न हो गया । नेता प्रतिपक्ष ।

श्री महबूब आलम : शब-ए-बारात से क्या ऐतराज है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शब-ए-बारात पर भी आप बोल लिये, अब नेता प्रतिपक्ष ।

(व्यवधान)

आप क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम तो हर संस्कृति का सम्मान करते हैं। किसी भी संस्कृति और विरासत पर हम सबको गर्व है और सम्मान करना चाहिये और सबको मिल-जुलकर के उसको भाईचारा के रूप में मनाना चाहिये । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के दलीय नेता और हमने भी आग्रह किया था कार्यमंत्रणा समिति में कि 7 तारीख को आप बंद रखें लेकिन आपने कार्यमंत्रणा समिति में बहुमत का आधार नहीं चलता है लेकिन आपने चेतावनी के लहजे में कहा कि बहुमत से हम निर्णय लेंगे, नहीं बंद रखेंगे ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आसन सुनता है । ये उचित नहीं...

अध्यक्ष : आप सुनिये न...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका ये व्यवधान उचित नहीं है, आसन का यह व्यवहार उचित नहीं है । बोलने ही नहीं दीजियेगा हर चीज में...

अध्यक्ष : आप अकेले आसन को क्यों कह रहे हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपने बोला था...

अध्यक्ष : आपने बोला था, चलिये बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आज हिंदू धर्म सनातन धर्म का महापर्व होता है और इसमें अगजा, होली का हर लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खान-पान जो इस वसंती मौसम में फसल उपजता है, उसका व्यंजन बनाकर के लोग परिवार के साथ, कुटुंब के साथ खाते-पीते हैं । हमने आग्रह किया था, संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे लेकिन आपने जिस तरह से इग्नोर किया और उपेक्षा किया और जब आज शब-ए-बारात आयी तो आज आप कह रहे हैं कि सहमति बना लीजिये तो मैं तो सहमति बना लूंगा, मुझे किसी से दोराव और नफरत नहीं है, मैं हर संस्कृति का सम्मान करता हूं लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति से हमारी संस्कृति, सभ्यता लज्जित हो रही है । ये व्यवस्था बंद होनी चाहिये, ये मानसिकता बंद होनी चाहिये और इस मानसिकता को बिहार की जनता पर थोपनी नहीं चाहिये । महोदय, दूसरा विषय है कि 7 तारीख और 10 तारीख जो दोनों दिन हमारी

कार्यसूची में जो बिजनेस है, ये बिजनेस अगले किसी शनिवार के दिन या दिन बढ़ाकर के उसको रखा जाय, उसको खत्म नहीं करना चाहिये । ये आग्रह है आसन से ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, शब-ए-बारात...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम जी आप स्थान ग्रहण करें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री । आप बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम जी आप बैठिये, आप बैठिये न ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण कीजिये । आप बैठिये सत्यदेव राम जी, आप बैठिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये बात नेता प्रतिपक्ष ने सही कही है कि पिछले दिनों जो कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी, उसमें 7 तारीख को भी बंद करने की बात थी । लेकिन उस दिन किसी कारण से सहमति नहीं बन पायी थी इसलिये आज भी देख रहे हैं कि लगभग सभी दल के नेता और अधिकांश माननीय सदस्यों की भावना है कि कल सदन की कार्यवाही नहीं हो और ठीक कह रहे थे सत्यदेव जी की शब-ए-बारात ही कारण है या होली कारण नहीं है या होली ही कारण है, शब-ए-बारात नहीं है और शब-ए-बारात ठीक कह रहे थे कोई आज हुआ वह हमलोग नहीं जानते हैं । शब-ए-बारात आज, कल होने वाला है ये बात महीनों पहले से मालूम थी, उस दिन भी सबको मालूम थी लेकिन उस दिन इस पर आम सहमति नहीं बन पायी थी । लेकिन आज जो अधिकांश माननीय सदस्यों की भावना है, उसको देखते हुये सरकार को भी कोई ऐतराज नहीं है । हमलोग भी चाहते हैं कि अधिकांश सदस्य कल अपने-अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग पर्वों के लिये जाना चाहते हैं तो जाएं लेकिन कार्यमंत्रणा में यह निर्णय हुआ था कि जो भी दिन बंद होंगे और उस दिन का जो एजेंडा होगा, उस दिन के जो निर्धारित कार्यक्रम होंगे खास तौर से मांग वाला वे मुखबंध होंगे । लेकिन माननीय सदस्यों के जो प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण होते हैं, वह संबंधित समितियों को भेज दिये जायेंगे इसलिये महोदय, आम सदस्यों की राय को देखते हुये आपकी इजाजत से मैं सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव करता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित हो और कल की कार्यसूची में जो प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण हैं वह संबंधित समितियों को भेज दिया

जाय और कल के लिये निर्धारित वित्तीय काम जो मांग है उसे मुखबंध के आधार पर लिया जाय । महोदय, ये मैं प्रस्ताव करता हूं सरकार की तरफ से ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल 7 तारीख को सरकार के द्वारा...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों का आग्रह है कि अगर अलग से

(व्यवधान)

नहीं, शनिवार को रख लिया जाय । कई बार पहले भी हुआ है समाप्त करना सदन को और वैसे भी राज्यपाल महोदय के यहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी है । कई बिजनेस है इसलिये तो कार्यमंत्रणा समिति में हमलोग कहे थे, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो होने दिया जाय, सेकेंड हॉफ में विचार कर लें, फर्स्ट हॉफ को होने दिया जाय । महोदय, एक दिन शनिवार को रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, देखिये दोनों बात है । नेता प्रतिपक्ष पता नहीं क्यों दूसरी बात कर रहे हैं । माननीय सदस्यों को भी कैसे यह बात शूट करेगा हम नहीं समझते हैं कि फर्स्ट हॉफ चलाइये, सेकेंड हॉफ चलाइये और महोदय, ये बात कार्यमंत्रणा में ही तय हो गयी थी कि जो भी दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होगी, वह प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जायेगा लेकिन मांग मुखबंध से लिये जायेंगे । ये निर्णय अपनी जगह पर है और माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि कल फर्स्ट हॉफ चलाके बंद हो लेकिन फिर भी वह तो मुखबंध में चला जायेगा, वह तो अछूता रह जायेगा और ये वित्तीय कार्य तो सेकेंड हॉफ में होता है । इसलिये हम कहेंगे कि अधिकांश सदस्यों की भावना है कि कल पूर्ण दिन स्थगित हो । इसलिये इसको मेरी समझ से, सदन की सहमति ले लें सरकार को कोई ऐतराज नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल 7 तारीख को सदन की कार्यवाही अगजा और शब-ए-बारात को देखते हुये और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, कल सदन बंद रहेगा और जो प्रश्न 7 तारीख को है, उसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को हमलोग सौंप देंगे और सेकेंड पाली के जो कार्यक्रम होंगे उसको मुखबंध किया जायेगा ।

टर्न-16/राहुल/06.03.2023

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"मंगलवार, दिनांक-07 मार्च, 2023 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो ।"

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, सर्वसम्मति से हो...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, प्रमोद जी कह रहे हैं जो प्रस्ताव आप करने वाले हैं उसको सर्वसम्मति से पास कर दीजिये ।

अध्यक्ष : मैं भी यह कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव पर सहमति हो ।

सदन की सहमति हुई ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी अपना पक्ष रखें । आपका समय 32 मिनट है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का समय दिया । अध्यक्ष महोदय, आज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग ग्रामीण विकास विभाग पर वाद-विवाद एवं मतदान हेतु सदन के समक्ष लायी । साथ ही, शेष मांग मुखबंध में ली गई हैं अर्थात कुल मांगों की संख्या ग्रामीण विकास विकास के साथ शेष 50 और हैं यानी टोटल 51 हैं । सरकार के द्वारा लाये हुए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि सरकार की इन मांगों का जो हाल है यह अजब है और गजब ही गजब है । बजट की राशि इनकी खर्च नहीं हुई और विभागवार देखा जाय तो प्रतिशत बहुत कम है । यह सरकार विफल है क्योंकि इन्हें अपने खर्च का सही-सही अनुमान नहीं है ।

महोदय, भारत ग्राम प्रधान है । बिहार में 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है । गांवों के बिना विकास हुए बिहार कभी भी विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ सकता है । वित्तीय वर्ष-2022-23 में ग्रामीण विकास के स्कीम मद में 14996.19 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद व्यय में 460.28 करोड़ रुपये यानी कुल 15456.47 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव किया गया था । इसमें अनुपूरक बजट के माध्यम से दो बार पहले भी वृद्धि की गई है । अब तृतीय अनुपूरक बजट लाया गया है जिसमें इस मद में 25,83,69,73,000/-(पच्चीस अरब तिरासी करोड़ उनहत्तर लाख तिहत्तर हजार) रुपये की मांग का प्रस्ताव किया गया है । मैं ग्रामीण विकास विभाग के 2022-23 के बजट भाषण में जो कहा गया था उसी से प्रारंभ करता हूं । देश के महामहिम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अति महत्वाकांक्षी योजना है । इसमें राज्य के गरीबों को निश्चित रोजगार की गारंटी देती है । इसके लिए 2021-22 के लिए जो स्वीकृत 20 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया था । जिसमें 16 जनवरी, 2023 तक 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं ।

महोदय, मनरेगा के तहत सभी पंचायत भवनों में रोजगार मांगने वाले लोगों के लिए पंजी रखी जानी है लेकिन किसी भी पंचायत में रोजगार मांगने से संबंधी पंजी नहीं रखी जाती है । आज राज्य के अंदर मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं । बिहार की किसी एक पंचायत को आप लेकर देखें क्या स्थिति है ? मैं खुद अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर, इसुआपुर के अंदर एक रमचौरा पंचायत है, निपणिया पंचायत है । अगर इन दो पंचायतों को निकालकर आप देख लेंगे कि किस तरह से पदाधिकारी और अन्य लोगों की मिलीभगत से पैसे का बंदरबांट हो रहा है । मैंने तो इससे संबंधित अपने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को जो इस सदन के सत्ता पक्ष के जब मुख्य सचेतक थे, उनके साथ मैं सत्तारूढ़ दल में उप मुख्य सचेतक था । मैं दो-तीन दिन पहले बोला कि मैं बार-बार उठाया जिले में चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय समाधान यात्रा के क्रम में गये थे जहां पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, पूरे राज्य के सभी पदाधिकारी थे । मैंने इन विषयों को रखा कि राज्य की यह स्थिति है सोनपुर मेला में भी एक बैठक हुई थी उसमें भी कहा था लेकिन यह क्या हो रहा है वहां के हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर है उसको वहां से हटाया गया । हमने कहा हटाने की बात नहीं है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए । चूंकि महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार सभी इस दिशा में लगी हुई हैं लेकिन किस तरह से इस पैसे का बंदरबांट हो रहा है । यहां तक की प्राक्कलन जो बनाते हैं कनीय अभियंता, उस प्राक्कलन को घोर रूप से फर्जी बनाकर किस तरह से पैसे का घोटाला किया जा रहा है । आखिर हम, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे हमारे समाजवादी नेता जो भी हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि गांव के गरीब गुरबा, किसान, मजदूरों की बात होनी चाहिए, उनके सुख-दुख में भाग लेना चाहिए और सरकार को चाहे वह राज्य सरकार हो, केन्द्र सरकार हो उसके हित में कुछ करना चाहिए लेकिन राज्य के अंदर यह क्या हो रहा है खुलेआम पैसे लूटे जा रहे हैं इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के इसुआपुर प्रखंड की इन पंचायतों की, किसी भी पंचायत को आप ले लें, सर्वसम्मति से ले लें और जांच कराइये कि क्या स्थिति है ? इसलिए मैं इस दिशा में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए । जनहित के अंदर जो गांव के गरीब गुरबा हैं उनके हित में चूंकि यह स्कीम उन्हीं के लिए है । मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा कोई सीमा निश्चित नहीं है, काम कराना है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ योजना भेजनी है लेकिन यहां तो काम ही नहीं हो रहा है । अब बैठा हुआ है कम्प्यूटर मैन वहां बैठकर सभी जनप्रतिनिधि, न जाने कौन-कौन हैं, किसको-किसको लगाया गया है । मेरे ही क्षेत्र में छपरा में एक कार्यालय चलता है

मनरेगा का । मैंने डी0एम0 को कहा, डी0डी0सी0 को कहा, वहां के डी0पी0ओ0 को कहा, उदाहरण दे रहा हूं मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां चंचौरा में एक कार्यालय चलता है, जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तरीय लोग हैं वहां जाते हैं अगर हम असत्य बोलते होंगे, गलत बोलते हैं तो हम पर कार्रवाई कीजिये लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, विशेषकर माननीय श्रवण जी जो हमारे ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री हैं उनसे कहता हूं कि इस विषय को सर्वसम्मति से हम लें कि कैसे इसके हित में, इन मजदूरों के हित में हम काम कर सकते हैं ?

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण जन सरोकार वाला विभाग हमेशा जदयू के कोटे में रहा है आप जरा देखिये उनके कोटे में रहा है और किसी भी लक्ष्य को इसकी प्राप्ति नहीं की गई है चाहे वह मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन का लक्ष्य हो या जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पौधा रोपन का लक्ष्य हो ।

वर्ष 2022-23 में जो माननीय मंत्री ने बजट भाषण दिया था उसमें मनरेगा का लक्ष्य दिया ही नहीं गया था । इन्होंने केवल उपलब्धि ही दर्शायी थी कि 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमश: 56.78 प्रतिशत एवं 17.98 प्रतिशत है । मनरेगा के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्यों में व्यय का 74.5 प्रतिशत है । दो करोड़ पौधा रोपने के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2022-23 में 1.47 करोड़ पौधा रोपन किया गया है ये अच्छा भ्रमजाल बुनते हैं और तीन वर्षों का कुल 4.20 करोड़ पौधा रोपन का विवरण दिया है, यह पौधा रोपन को यदि खोजा जाएगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत पौधे भी जीवित नहीं मिलेंगे ।

क्रमशः

टर्न-17/मुकुल/06.03.2023

श्री जनक सिंह (क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, आखिर यह क्या हो रहा है, पौधा हमको ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन डाई ऑक्साइड देते हैं, दोनों का तारतम्य है तो ही यह संसार है । अगर यह आगे नहीं बढ़ेगा तो सृष्टि का नाश हो जायेगा, पौधा ऑक्सीजन दे रहा है और हम कार्बन डाई ऑक्साइड दे रहे हैं । हम जो छोड़ते हैं वह लेता है और वह जो छोड़ता है उसे हम लेते हैं तो दोनों के तारतम्य में अगर हम गलत काम करेंगे तो यह कैसे होगा । अध्यक्ष महोदय, हमें क्षमा करें हमने गलत काम कह दिया । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए यह 20 प्रतिशत भी दिखाई नहीं दे रहा है । इसी तरह से राज्य में 269 पौधशालाएं हैं, जिनमें सक्रिय हैं उनमें से 1.47 करोड़ पौधा मनरेगा के तहत, कैसे सप्लाई कर दिया जाता है, गजब की स्थिति है । आप पौधे दिखा रहे हैं कि यहां से इतना गया, वहां से इतना गया, लेकिन वह है ही नहीं, ये कागज में चल रहे हैं । सरकार को चाहे निचली इकाई के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों या राज्य के

पदाधिकारी हों, वे किस तरह से सरकार को चुना लगा रहे हैं और यह कार्यपालिका सरकार का अंग है । यह कार्यपालिका को काम करना चाहिए, हम विधायिका हैं, हम सर्वसम्मत से बात कर रहे हैं और किस तरह से विधायिका के विचारों को, इस सदन के विचारों को पदाधिकारी, ये पूरे राज्य के अंदर लूट-खसोट मचा रहे हैं, ऐसे पदाधिकारियों को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो गलत करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि अगर उचित हो तो शीघ्र कार्रवाई कीजिए, यह नहीं कि मैं सिर्फ अपने ही क्षेत्र की बात करता हूं । महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष-2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 37 लाख 35 हजार 491 के विरुद्ध 36.93 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 33 लाख 74 हजार 311 परिवारों को दर्शाया गया है । महोदय, आप मेरे साथ चलिए, इसके लिए कमेटी बनाकर भेजें और जाकर देख लें, मैं तो कहता हूं कि मेरे तो तरैया विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक छपिया पंचायत है और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 72 दिये गये हैं, उनमें से मात्र 50 एक जाति को दिया जाता है और हमारी अति पिछड़ी, महादलित, दलित को नहीं दिया जाता है । जिला स्तर के हमारे प्रभारी मंत्री जी भी वहां गये हैं और हमने यह बात उनके समक्ष भी रखी है । महोदय, आप कल्पना कीजिए कि वह दलित, महादलित, अति पिछड़ा का पंचायत है और उसमें एक बिरादरी को 50 आवास दिये गये हैं और पचासों में मात्र 5 प्रतिशत सही लोग हैं, सभी फर्जी हैं । इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य के अंदर किसी भी पंचायत को ले लीजिए और जरा मांगे तो चाबी दीजिए न, जिसका आवास बना रहे हैं उसको सरकार चाहे व्यवस्था करे कि जिस दिन उद्घाटन हो, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है । हम यह बात नहीं कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार करती है उसको आप जाकर देखें, घर का निर्माण करने के बाद चाबी सुपुर्द करती है कि यह चाबी लें । इसलिए मैं सरकार से, क्या हुआ, नहीं हुआ, पीछे की जो बात है, जो जैसा करेगा वैसा पायेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि इस अनुपूरक तृतीय बजट पर जब हमको आपने समय दिया है तो इसको आप जांच करवा लीजिए, अगर ऐसा होता है तो वैसे पदाधिकारियों को कठोर से कठोर दंड दीजिए और उसके साथ जो लोग भी हैं । जनक सिंह का मकान बन जाय, अगर जनक सिंह का आपने मकान बनवाया है, यानी पदाधिकारियों ने बनाया है तो उसके पैसे को वसूलकर उन गरीबों के लिए आप चिंतन करें, तब जाकर महात्मा गांधी का सपना साकार होगा, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, हमारे जितने भी समाजवादी नेता हैं उन सबका सपना साकार होगा । अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम के अंतर्गत वर्ष 2016-17,

2017-18, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि 37 लाख 35 हजार 491 के विरुद्ध 36.90 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई । अध्यक्ष महोदय, मैं इन विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय विधायक जी,

श्री जनक सिंह : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास...

अध्यक्ष : आप अपनी बात को चालू रखें ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018-19 में संचालित है उसका प्रतिशत भी देखने लायक है, 30 हजार 876 लाभुकों का निबंधन मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के अंतर्गत किया गया है । 17 हजार 808 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है । 12 हजार 824 लाभुकों को तृतीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है और इनमें 12 हजार 953 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण करने का किया गया है, यह डाटा कहता है कि रजिस्ट्रेशन का 40 प्रतिशत मात्र आवास निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि इनकी कलाकारी के लिए सदन में माननीय संसदीय मंत्री, वित्त मंत्री जी हमारे गुजरात सरकार को कह रहे थे, कलाकारी शब्द का उपयोग किये थे, आप तो खुद कर रहे हैं माननीय संसदीय मंत्री, वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक कहानी कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था उसने एक कपड़े को धोबी भाई के यहां भेजा और उस धोबी ने उस कपड़े को पानी की जगह पर तेजाब में डाल दिया । उसने जब उस कपड़े को देखा तो पता चला कि यह कपड़ा तो फट रहा है तो उसने रफ्फू करने के लिए उस कपड़े को दर्जी भाई के यहां भेज दिया, दर्जी भाई जब उस कपड़े को सीलने लगें तो देखा कि जब इधर सील रह हैं तो उधर फट रहा है और जब उधर सील रहे हैं तब इधर फट रहा है । लेकिन वह कपड़ा तो तेजाब में डाला हुआ था, उस दर्जी ने कहा कि मालिक यह तो आपका कपड़ा पानी में नहीं फिगोया हुआ है यह तेजाब में फिगोया हुआ है, इसका रफ्फू नहीं होगा । वही हालत बिहार सरकार की है, कहां-कहां हमारे वित्त मंत्री, संसदीय मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री लगेंगे । महोदय, यह राज्य के अंदर क्या हो रहा है, हर विभाग में चले जाइए, ऐसा कोई विभाग नहीं है, सब जगह पर लूट मची हुई है आखिर किसके लिए । महोदय, वर्ष 2022-23 में 3 लाख 67 हजार लाभुकों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया है जिनमें से 1.97 लाख लाभार्थियों को भी प्रोत्साहित राशि का भुगतान किया गया है, यह भी दर्शाया गया है कि ये लोग अपना पैसा लगाकर शौचालय बना रहे हैं, यह क्या हो रहा है । आप किसी भी एक पंचायत को लीजिए, यह जो निजी शौचालय जो बन रहा है अपने पुराने शौचालय पर पैसे उठा रहे हैं अगर यह बात सही हो तो वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए

और जो गलत ढंग से पैसे लिये हैं उनसे पैसे वसूलने चाहिए । यह जो शौचालय का लोहिया जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना जो था, यह इस राज्य में क्या हो रहा है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में लाल किला से आह्वान किया था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए । रोड पर हमारी माताएं, बहनें और भाई न जायं लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है । इस राज्य के अंदर देख लीजिए, हम सबों को शर्म आता है जब भ्रमण यात्रा में निकलते हैं । आखिर ये पैसे जो आ रहे हैं वह जा कहां रहे हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि इन बिंदुओं पर अपना ध्यान देंगे और उन्होंने कहा है कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत वर्ष 2021-22 में 1671 ग्राम पंचायतों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन किया गया है, जो वर्ष 2022-23 में 2543 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को क्रियान्वित किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी को इसमें भी चुनौती देता हूं, मेरे साथ टीम के साथ चलें, अध्यक्ष महोदय, आप कमेटी गठित करें और जांच कर लें पंचायती राज विभाग के पत्रांक-3329, दिनांक-25.05.2019 द्वारा सभी जिलाधिकारियों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम हेतु गाइडलाइन निर्गत किया गया था ।

अध्यक्ष : माननीय विधायक जी, आराम से आंकड़े को पढ़ा जाय ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे सुपुर्द कर दूंगा क्योंकि मेरी समयसीमा निर्धारित है । पंचायत में कचरा निष्पादन के लिए कुछ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस दिशा में भी गजब की स्थिति बनी हुई है पंचायतों में, क्या हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आपको एक बात कहूं तो आजकल जिम वाली पद्धति है और उसमें 60/40 का चल रहा है, जिस तरह से इसी विधान सभा में हमने सोलर लाइट पर एक प्रश्न लाया था, चूंकि पूरे राज्य और देश के अंदर जितने भी सोलर लाइट बनाने वाले थे और उस पर जांच शुरू हुई तो मेरा नाम आया कि जनक सिंह सारण जिला का बिहार का विधायक इस पर प्रश्न लाया और

क्रमशः

टर्न-18/यानपति/06.03.2023

(क्रमशः)

श्री जनक सिंह: सारण जिला के जिलाधिकारी ने 113 टीम गठित की सोलर लाइट पर, 113 टीम और पूरे जांच कराया जांच का जो फलाफल आया आप सब जानते हैं, उसी तरह से यह-यह जो इस-इस दिशा में जो पंचायतों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो ग्राउंड के अंदर जो खेल-कूद के लिए जो लगाए जा रहे हैं यंत्र उसमें भी घोटाले हो जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है इस पर भी मैं कहूंगा । कूड़ा का उठाव 10 प्रतिशत

पंचायत में भी नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है उसका निस्तार नहीं कर यत्र-तत्र फेंक दिया जाता है और इसी प्रकार से हर विभागों की स्थिति है कहां तक वह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत भी 2022-23 में 3 लाख 65 हजार और किसी कारणवश छूट गए वे परिवार के व्यक्तिगत शौचालय के लिए सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 122.15 लाख परिवारों को ही व्यक्तिगत श्रेणी में सुलभता प्रदान की गयी है । सरकारी आंकड़ों में जो आए हैं उस पर संदेह इसलिए अध्यक्ष महोदय जी हमने ऊपर जो भी बोला उसकी जांच कराना जनहित में अनिवार्य है, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो ये इनके आंकड़े नहीं हैं मैं ये आंकड़े इन्हीं के बजट भाषण से प्रस्तुत कर रहा हूं । वर्ष- 2022-23 में ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमियों विशेष कर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को उचित तौर पर गुणवत्तायुक्त सामग्री हेतु रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है ऐसा बताया गया है । वित्तीय वर्ष- 2021-22 में 50 रूरल रिटेल मार्ट खोला गया । वित्तीय वर्ष- 2022-23 के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 150 रूरल रिटेल मार्ट खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन 2023-24 का जो उनका बजट भाषण है उसमें इसका जिक्र नहीं है । इसलिए लक्ष्य क्या है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के रूरल रिटेल मार्ट खोले जाने का क्या औचित्य है । इसलिए महोदय, मैं इस कटौती के पक्ष में हूं और इस सदन से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण विकास के पक्ष में आपको यह बात कहना चाहिए और मैं एक बात कहूं कि मैं 2022 और 2023 और 2023 और 2024 के ग्रामीण विकास विभाग के मूल बजट पर चिंतन कर रहा था तो मूल बजट में आपको 2022-23 का जो इस मद से है स्थापना यह प्रतिबद्ध व्यय मद से है कुल है 15456.47 करोड़ रुपये का है बजट के उपबंध का प्रस्ताव था । वहीं 2023-24 अभी का बजट उसमें कितना है तो 15452.18 करोड़ रुपये का बजट प्रबंध का प्रस्ताव है । दोनों की तुलना जब करेंगे 2022 और 2023 का और 2023 और 2024 का तो उसमें घटाकर देखेंगे कि बजट का स्वरूप घटा है, कितना घटा है 4.29 करोड़ क्यों, आप कह रहे हैं कि बिहार को बढ़ाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे और ग्रामीण विकास विभाग का बजट आपने ही जो बजट पेश किया चूंकि जो भी उनके खाते में था आप फिर घटा रहे हैं यह तुलनात्मक बात है इसीलिए उपरोक्त मूल बजट के आंकड़ों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि बजट के अवसर बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गया है, यही नहीं अन्य विभागों की भी यही स्थिति है । आंकड़ा आपका है, आप खुद देख लें इसीलिए और देश का देखिए, देश के विषय में कितनी ऊंचाई पर जा रहा है आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजी भारत ही नहीं भारत का सजाते हुए दुनिया को दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं उस रास्ते पर चलने के लिए यहां तो कुछ बिहार के हमारे कुछ लोग हम नाम नहीं लेना

चाहते हैं वे चिल्ला रहे हैं लेकिन आज पाकिस्तान में यह आवाज उठी है बचाओ, बचाओ, बचाओ नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री और यहां के लोगों को दुनिया के जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्री हैं आज कारण क्या है कि आज हमारी तरफ देख रहे हैं । आज तो लोग कहां-कहां जा रहे हैं क्या-क्या कर रहे हैं यह सर्वविदित है, सच को भी इसी सदन में क्या-क्या किस रूप से कहा जा रहा है लेकिन जनता सब जानती है, जनता किसी को माफ नहीं करेगी, विपक्ष कहता है XXX मीडिया से आया है और देश की जनता कह रही है मत जा, मत जा सत्ता के शीर्ष पर रहो तभी देश और समाज का कल्याण होगा और भारत की जो हमारे चौकीदार हैं, भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह तो अखंड मंडलाकार का चिंतन करते हैं, हम अखंड मंडलाकार का चिंतन करते हैं, हमारा चिंतन समकेंद्रित नहीं है इसलिए अखंड मंडलाकार......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री जनक सिंह: जी ठीक है । एक-दो और है । यह कहते हुए एक माननीय वित्त मंत्री जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, एक माननीय संजय सरावगी जी का एक अल्पसूचित प्रश्न था उसी से संबंधित जो है......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि XXX यह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह: यह आप कह रहे हैं, आप विपक्ष वाले कह रहे हैं । हम तो कह रहे हैं कि भारत की जनता कह रही है, भारत की जनता यह कह रही है कि मोदी आगे बढ़ो हम तेरे साथ हैं और 2024 और 2025 में आप देखेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय जनक बाबू, वास्तव में सदन के सभी लोग चिंतित हो गए हैं । यह आपने इस तरह के......

श्री जनक सिंह: आप XXX बोलेंगे, हम XXX नहीं बोलेंगे इसलिए कि आपने कहा है इस प्रकार की बात, आपने मतलब विपक्ष ने कहा है । आप दिखवा लीजिए । नहीं इस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं ।

अध्यक्ष: भगवान करें उनकी आयु लंबी हो ।

श्री जनक सिंह: वह तो सर्वविदित है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और जनता शून्य से शिखर पर ले गई है और एक बात कहूंगा कि संसदीय मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं अंतिम क्षण में एक बात है कि यह कहते हैं कि विकास कर रहे हैं राज्य का 10.91 यानी 11 प्रतिशत के करीबन, एक मिनट इस विकास का क्या मायने जबकि आपके......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री जनक सिंह: जनरेट नहीं हो रहा है, आपके विकास की क्या माननीय उपमुख्यमंत्री जी भी आए हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि पुन: मेरी बात को एक बार सुन लें, अंतिम मेरी बात है यह कहते हैं कि विकास की दर राज्य में 10.91 यानी 11 प्रतिशत के करीब है और इस विकास का क्या मायने जबकि इसके द्वारा नौकरी जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब यह विकास दर बेईमानी है और इसका एक बड़ा शीर्षक जबलिश ग्रोथ है, अंतर्गत रखा जा सकता है जहां है वहां विकास लेकिन......

अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जनक सिंह: बस एक मिनट में कह देता हूं कि वित्त मंत्री को घुमाने की बहुत कला है आज के प्रश्नकाल में वाक्य वाला पर जो वैट प्राइज कर रहे थे वैट प्राइज रूपी 65 के नीचे है और राज्य की जनता से पेट्रोल का 107 रुपया लिया जा रहा है यह बताएं कि पेट्रोल प्रोडक्ट मद में इसकी कितनी आय हो रही है । यह नहीं बताएंगे क्योंकि इनका पोल खुल जाएगा । हल्ला बोल, पोल खोल केंद्र सरकार पर इनका आरोप विफल हो जाएगा, महोदय अंत में महागठबंधन सरकार में न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं है इसकी बानगी मैं दे रहा हूं कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य......

श्री जनक सिंह: मनसौर गांव में एक निजी तालाब की बंदोबस्ती......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जनक सिंह: एक सेकंड, उसी में कह रहे हैं सर उसमें तालाब की बंदोबस्ती और अवैध रूप से राजेश यादव नाम के एक व्यक्ति द्वारा कराया गया जिसमें माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में स्टे कर दिया लेकिन तालाब मालिक विकास कुमार झा द्वारा मधुबनी डी0एम0, मधुबनी एस0पी0 और बेनीपट्टी थानाध्यक्ष के आवेदन के बावजूद अवैध बंदोबस्ती धारक द्वारा पूरे गांव को घुमाकर दो लाख का मछली लूट लिया गया और हम आग्रह करते हैं आज इसको संज्ञान लें और माननीय उच्च न्यायालय के मान-सम्मान को ऊपर रखें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी निर्धारित अवधि समाप्त हुई । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जनक सिंह: इसलिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर कहूंगा अंत में अध्यक्ष महोदय कुछ लोग इस सदन में हैं कि यह जो केसरिया है और इसमें क्या है उजला है, इसी में हरा है केसरिया बल भरनेवाला सादा है सच्चाई हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, बोलो भारत माता की जय । यह भारत का मूल मंत्र भारत माता की जय है और इस मूल मंत्र पर अगर कोई प्रहार करता है तो भारत पर प्रहार करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और आप सर्वोच्च आसन पर हैं, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए । जय हिन्द-जय भारत ।

टर्न-19/अंजली/06.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज...

अध्यक्ष : माननीय शाहीन साहब, आप जरा एक मिनट बैठ जायं और हम माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी से चाहेंगे कि आप जो है किस व्यवस्था पर खड़े हैं ?

श्री सत्येदव राम : माननीय जनक सिंह जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने XXX शब्द का प्रयोग किया था, हम आपसे आग्रह करते हैं कि XXX शब्द असंसदीय है इसको प्रोसीडिंग से निकलवाने के लिए व्यवस्था पर खड़े हैं ।

अध्यक्ष : अगर ये शब्द वे बोले होंगे तो उसको प्रोसीडिंग से आप रिपोर्टर देख लें, अगर ये शब्द हो तो उसको प्रोसीडिंग से निकाल देंगे ।

अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ा किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक बजट की मांग की गई है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अनुपूरक बजट जब भी किसी विभाग के पास जो बजट में प्रावधान किया जाता है उसमें राशि की कमी हो जाती है तो बजट समाप्ति से पहले सदन से वह मांग करते हैं और कई विभाग खासकर ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निर्वाचन तमाम विभागों ने जो आवश्यकता थी उस अनुरूप अनुपूरक बजट के रूप में मांगा है इसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है इस पैसे का पूरा सदुपयोग होगा । क्योंकि अभी हमने देखा, राज्यपाल जी का अभिभाषण भी सुना और अभी बजट भी माननीय मंत्री जी ने जो पेश किया, जो पास किया गया उसको भी सुना, उसको देखने-सुनने से यह लगा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार काम कर रही है और उसमें जो भी राशि की आवश्यकता होती है तो उसको हमको उपलब्ध कराना चाहिए, पुरजोर समर्थन करना चाहिए । इसीलिये हम इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी की जो महागठबंधन की सरकार है, पूर्व की एन0डी0ए0 की सरकार की तुलना में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रही है । जिस तरह से बजट पेश किया गया है वह एक बहुत ही मजबूत सबसे बेहतर बजट देखने को मिला है । बजट तो हर साल पेश होता है, जब एन0डी0ए0 साथ में थी तब भी बजट पेश होता था लेकिन तब के बजट में और अब के बजट में

बहुत फर्क नजर आता है । पहले दो-चार-पांच प्रतिशत की वृद्धि बजट में हुआ करती थी और इस बार लगभग 16-17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्यों ? क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी एक अनुभवी, तेज-तर्रार और सक्षम नेता हैं और उनके साथ जो अभी आए हैं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता, उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और महागठबंधन का समर्थन है इसलिए बिहार का विकास और अद्वितीय विकास होगा, ऐतिहासिक होगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा, इस विश्वास के साथ इस बार बजट पेश हुआ है । बजट में आपने कई बार देखा होगा, एन0डी0ए0 की सरकार भी 15-17 साल चली । कभी किसी बजट में यह नहीं देखा होगा कि चार लाख नौकरी का बजटीय प्रावधान किया गया है । उसके लिए राशि की मांग सदन से की गई, राशि उपलब्ध कराई गई, इस तरह का बजट अद्वितीय है क्योंकि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री महागठबंधन ने यह कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और जैसे ही गठबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई जो महागठबंधन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था कि हम दस लाख नौकरी देंगे, उन्होंने उसको सहमति दी और गांधी मैदान से कहा कि हम दस लाख नौकरी देने का काम करेंगे और दस लाख अन्य रोजगार भी देने का काम करेंगे और अभी जो बजट पेश हुआ है पूरी तरह से उसमें पैसे की मांग विभाग वाइज किया गया है । उसमें डेढ़ से दो लाख शिक्षकों की बहाली की बात साफ हो गई है, उसमें 75 हजार स्वास्थ्य विभाग के लोगों का भी किया गया है और तमाम डिपार्टमेंट मिलाकर के लगभग चार लाख बहाली का रास्ता साफ हुआ है तो निश्चित रूप से जब एक अनुभव और युवा जोश साथ में आते हैं तो कीर्तिमान स्थापित होता है । श्री नीतीश कुमार जी का अनुभव और श्री तेजस्वी यादव जी का जोश और महागठबंधन का समर्थन निश्चित रूप से बिहार को दस गुना तेजी से आगे ले जाने का काम करेगी और हमने देखा कि कई सदस्य लोग सवाल उठाते हैं अभी बिहार में तमाम विभागों में बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है और जैसे नल-जल का काम जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस देश में कि 13 करोड़ की आबादी वाला एक गरीब राज्य पूरे 13 करोड़ आबादी को हर घर तक शुद्ध जल उपलब्ध कराने का संकल्प ले सकती है, उस दिशा में काम कर सकती है । हमारी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है और उनको पानी पीने की किल्लत होती है । एक गरीब मजदूर अपने दरवाजे पर चापाकल कैसे लगा सकता है, पच्चीस हजार, पच्चास हजार रुपया खर्च होता है । मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण था कि हम हर घर तक शुद्ध पानी देंगे, लोग दूसरे के घर से पानी लाते थे, प्रदूषित पानी उपयोग करते थे, कई तरह की बीमारी होती थी, उस दिशा में एक व्यापक काम किया गया और संकल्प लिया गया, उस दिशा में काम हुआ, अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है जो अभी हमारे विपक्ष के

लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ अनियमितता बरती गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी कार्य योजना को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी थी । इन लोगों ने कहां कोताही की जो कहीं-कहीं अनियमितता की बात यही लोग उठा रहे हैं, लगातार पिछले दस सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास ही यह विभाग था, कहां पर गड़बड़ी हुई, यही लोग सवाल उठा रहे हैं । दूसरी तरफ हम देखते हैं लेकिन जो भी कमी इनके मंत्री ने किया है जो भाजपा के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि जो कमी हुई है हम विश्वास दिलाते हैं पी0एच0ई0डी0 मिनिस्टर अभी बने हैं जो भी कमी हुई होगी उस कमी को दूर की जाएगी और हर संभव कोशिश की जाएगी कि 13 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर बेहतर ढंग से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो शिकायत है कि उनके मंत्री ने गड़बड़ी की है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे । स्वास्थ्य विभाग, यही स्वास्थ्य विभाग था न जिसके बारे में सदन में चर्चा होती थी ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, दवाइयां सही से नहीं मिल रही हैं और किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, बजट भी देते थे, प्रोविजन भी होता था, बहुत सारा काम भी हुआ लेकिन फिर भी यह शिकायत थी कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पतालों में कम जाते हैं, बहुत सारी कुछ अनियमितता थी, जैसे ही यह जिम्मेदारी हमारे सबसे लोकप्रिय युवा नेता को मिली आपने देखा होगा कि 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 60 दिनों के अंदर पूरे बिहार में जो शिकायतें हैं कि डॉक्टर सप्ताह में एक दिन हाजिरी बनाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं यह दूर होनी चाहिए । बड़े पैमाने पर इसका असर मिला और आपने देखा होगा 800 ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री ने दी, जो आठ साल से कभी वे अपने अस्पताल में नहीं जाते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, मुख्यमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी देखने का काम आपको दी थी, भारतीय जनता पार्टी को दी थी फिर कैसे 800 डॉक्टर अपने अस्पताल में लंबे समय तक नहीं जाते थे और कैसे वे काम करते थे लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो कैबिनेट हुआ है, कैबिनेट में अनेक डॉक्टर को बर्खास्त किया गया और यह चेतावनी दी गई कि तमाम डॉक्टरों को उपस्थित होना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले हम सदर अस्पताल गए थे, एक बजे राज को सदर अस्पताल गए थे जब शीतलहर थी यह देखने के लिए कि डॉक्टर वगैरह है कि नहीं, इमरजेंसी वार्ड में गए तो वहां पर देखा कि डॉक्टर उपलब्ध हैं, स्टाफ उपलब्ध हैं, हम गायनी में गए जहां पर डिलीवरी वगैरह का होता है वहां पर क्या स्थिति है, एक बजे रात को देखा गायनी के डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हैं तमाम स्टाफ उपलब्ध हैं, तमाम तरह

के रंग-रोगन करके पूरा चारों तरफ बेहतरीन सा माहौल लगता है, कोई प्राइवेट, बड़ा कॉरपोरेट अस्पताल चल रहा है वैसी व्यवस्था है, अभी भी कुछ कमी है, अभी जिम्मेदारी ली गई है, डॉक्टरों की बहाली, स्टाफ की बहाली, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी शिकायतें आप लोगों ने बदतर की होगी उसको दुरुस्त करने का काम आने वाले साल भर के अंदर आपको देखने को मिलेगी । नगर विकास की भी जिम्मेदारी आपके पास दी गई थी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया की नगर की स्थिति को बेहतर किया जाय, लेकिन हम देखते हैं जैसे समस्तीपुर ही देखिए सम्राट अशोक भवन, दस साल से ये लोग टेंडर में रखे हुए हैं, एक पार्क नहीं बना पाए, ड्रेनेज सिस्टम जल निकासी की व्यवस्था समस्तीपुर में नहीं कर पाए, हर जिला में, पता नहीं इतने बड़े-बड़े बजट का प्रोविजन किया जा रहा था इनके मंत्री लोग किस तरह से काम करते थे लेकिन अब स्थिति बदलेगी, बेहतर ढंग से काम होगा, यह विश्वास दिलाते हैं । अभी लगातार नेता प्रतिपक्ष का भी मैं सुन रहा था, ये बराबर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे पिछले राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर इनका सुन रहे थे । इनकी सरकार तो हमने लगातार अभी बोला ही कि सरकार में आपके कई मंत्री थे, उनके क्रियाकलाप की, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, केंद्र में नौ साल से आप हैं आप तो ऐसे ही बोलते हैं आपने लंबा वादा कर दिया दो करोड़ रोजगार देंगे । अभी का, आपके संसद के, आपके मंत्री की रिपोर्ट है पिछले नौ साल में केवल सात लाख सरकारी नौकरी दी । इसमें बिहार का हिस्सा क्या होगा दस से बीस हजार । जबकि आपके वायदे के अनुसार प्रधानमंत्री के वायदे के अनुसार 18 करोड़ सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और नौ सालों में आपने मात्र सात लाख नौकरी दी और आप कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए । कहां चला गया, आपने देखा होगा लंबे समय से उपाध्यक्ष महोदय कि नौ साल हो गए, क्या बिहार के लिए गंभीरतापूर्वक कभी विचार किया गया, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कभी भी मोदी सरकार ने बिहार के सांसदों को बुलाकर कोई बैठक की क्या ? कभी बिहार का पिछड़ापन कैसे दूर होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, बिहार को स्पेशल पैकेज कैसे मिलेगा, बिहार जो बाढ़ से त्रस्त है, बिहार डूब रहा है, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए नौ साल में कभी कोई कार्य योजना बनी क्या ? सिर्फ सत्ता चाहिए । पूरी तरह से बिहार और देश का जो हाल पिछली मोदी सरकार में हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है । सिर्फ सत्ता मांगने से नहीं होगा । (क्रमशः)

टर्न-20/सत्येन्द्र/06-03-2023

श्री अखतरूल ईस्लाम शाहीन(क्रमश:) हमने देखा, क्या हुआ 70 साल में, देश के हमारे पूर्वजों ने जो भारत को मजबूत करने का काम किया था, देश की आर्थिक उन्नति की थी भारत को सुपर पावर की स्थिति में लाया था । देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम किया था पिछले 9 सालों में पूरी तरह से कोलैप्स किया है,अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गयी है। स्थिति यह आ गयी है कि देश के संसाधन को बेचा जा रहा है, नीलामी किया जा रहा है । कल मुन्ना जी बोल रहे थे कि नीलाम किया गया, बेच दिया गया तो भाजपा के लोग खड़े हो गये कि प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं बनाया जाय । महोदय, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि क्या ये छुपा कर बेचा है उन्होंने, डंके की चोट पर, पूरे देश में बहुत सारे संस्थान को बेचने काम काम किया है । इसके बारे में हम बता देना चाहते हैं । क्या देश के 50 हवाई अड्डे को नहीं नीलाम किया गया? क्या 26700 कि0मी0 राजमार्ग को नहीं नीलाम किया गया? क्या 6 गीगा क्षमता के पनबिजली को नहीं नीलाम किया गया? क्या कोयला खदान के 107 परियोजना को नीलाम नहीं किया गया ? क्या 400 रेलवे स्टेशन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 210 मे0टन क्षमता वाले तमाम गोडाउन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 14,917 टेलीकॉम टावर को नीलाम नहीं किया गया? क्या 8154 कि0मी0 प्राकृतिक गैस पाईप लाईन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 2 लाख 86 हजार कि0मी0 टेलीकॉम फाईवर को नीलाम नहीं किया गया? इस तरह एक नहीं 54 ऐसी देश की कम्पनियां है, जिसको नीलाम किया गया, कागज पर डोक्युमेंट है

(व्यवधान)

आपलोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । लगातार एजेंसी का दुरूपयोग कर के जो लोग भी केन्द्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ एजेंसी का दुरूपयोग करके फंसाया जाता है । कोई भी हो देश में, चाहे सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, ममता बनर्जी जी हों, केजरीबाल जी हों या उनके उपमुख्यमंत्री हों ,चाहे तमाम लोग हों, एजेंसी का दुरूपयोग कर के छापेमारी की जाती है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है इस प्रकार एजेंसी का दुरूपयोग किया जा रहा है । महोदय, जितना भी ई0डी0 सी0बी0आई0 और आई0टी0 का छापा पड़ा है, केस दर्ज हुआ है उसका पांच प्रतिशत भी उसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया है । पांच प्रतिशत को भी सत्य नहीं माना गया है । इसका मतलब क्या है, एजेंसी का दुरूपयोग किया जा रहा है। 15-15 साल, 20 साल पुराने मामले को लेकर के छापेमारी किया जाता है । तमाम विपक्षी दलों के लोगों पर, जो मीडिया उठाता है, अभी क्या हुआ ? बी0बी0सी0 के दफ्तर पर छापा मार दिया गया । कुछ दिन पहले एन0डी0 टी0भी0 बोलता था, उस ,एन0डी0टी0भी0 पर छापा मार दिया

गया, कई पत्रकारों की हत्या हो जाती है और जुडिसियरी के लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दिया जाता है । क्या हो रहा है देश में, अगर हम बोलेंगे तो हमारे घर आई0टी0 का लोग चला जायेगा, ई0डी0 का लोग चला जायेगा, आज बहुत खराब स्थिति है।

(व्यवधान)

सुनिये सुनिये । आपलोग भ्रष्टाचार की बात हैं , ये यदुरप्पा कौन ? यदुरप्पा के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन छोड़ा था, कल होकर के उसी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने काम किया । सुखराम कौन? टेलीकॉम घोटाला के मामले को 10 दिनों तक संसद नहीं चलने दिया, उन सुखराम की वजह से और उसी सुखराम को भाजपा ने मिला लेने का काम किया । मुकुल राय कौन ? एन0सी0पी0 के नेता थे, पूरे देश में हंगामा हुआ कि मुकुल राय एन0सी0पी0 नेता भ्रष्टाचारी है और आज आपके पास आ गया तो वह सत्यवादी हो गया । यह एक दो नहीं है, हेमंत विश्वकर्मा कौन ? 100 अपराध, भ्रष्टाचार करके भाजपा में चले गये तो सत्यवादी हो गये और किसका- किसका, अजीत पवार कौन? अजीत पवार पर 1 लाख करोड़ रू0 का मामला भाजपा के मुख्यमंत्री ने उठाया था और तुरंत सत्ता के लिए गठबंधन कर के उनको उपमुख्यमंत्री बना दिये । एक नहीं एक सौ लोग है, आप भ्रष्टाचार से खुद समझौता करते हैं पूरे देश की सम्पति को खुद आपलोगों को देते हैं और सवाल उठाने का काम करते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, अभी अभी हिंडनवर्ग का जो रिपोर्ट आया । हिंडनवर्ग का रिपोर्ट आया, वह बड़ा ही अदभुत था और यहां लोग चर्चा करेंगें कि क्यों नहीं ? क्योंकि हिंडनवर्ग का रिपोर्ट जो अडाणी को लेकर आया है उससे बिहार की करोड़ों जनता प्रभावित हो रही है । क्योंकि अडाणी की कम्पनी में एलआई0सी0, एस0बी0आई0 तमाम का पैसा उसमें लगा हुआ था और उसी एस0वी0आई0 में हमारा पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है । एल0आई0सी0 में बिहार की जनता का पैसा है और तमाम पैसा का रिपोर्ट किया, हिंडनवर्ग के रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अडाणी कम्पनी ने तमाम तरह की अनियमितता कर के फर्जीवारा कर के अपना ही पैसा को विदेश के माध्यम से लाकर शेयर बाजार को बड़ा दिखाकर के बड़ी ठगी करने का काम किया और इसको लेकर के देश के तमाम जो बड़े बड़े बैंक है उससे गलत तरीके से पैसा लेकर काम किया । इस मामले को लेकर के पार्लियामेंट में सात दिनों तक हंगामा होता रहा कि इसकी ज्वायंट पार्लियामेंटरी से इसकी जांच करा दी जाय । अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है, इतने बड़े घोटाले में तो जे0पी0सी0 से जांच कराने में क्या दिक्कत थी । आप बताई, जांच से भागने की क्या दिक्कत थी? सात दिनों तक हंगामा होता रहा पार्लियामेंट में लेकिन ये जे0पी0सी0 के जांच को नहीं माने । यह अपने आप में

स्पष्ट करता है कि अडाणी के इतने बड़े जो हो रहा है इस देश में, जो तमाम सम्पतियां उसके हवाले की जा रही है, वह अपने आप नहीं हो रहा है बल्कि एक सहमति से, समर्थन से सब कुछ किया जा रहा है इसलिए गंभीर चिंता का विषय है उपाध्यक्ष महोदय। हम बोलना चाहते हैं, ये लोग बताते हैं अपराध के बारे में बिहार में, अपराध की क्या स्थिति है ? जाकर उत्तर प्रदेश में देखिये, दलितों पर अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, कौन सा रिपोर्ट हम बोल रहे हैं, एन0सी0आर0 भी, भारत सरकार का रिपोर्ट पढ़िये । दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्य में होता है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्य में होता है । बिहार में तो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए 75 हजार सिपाही की और 100 से अधिक दारोगा, डी0एस0पी0, इंस्पेक्टर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है । फौरेंसिक जांच, प्रत्येक जिला और प्रत्येक कमिशनरी में हो, उसकी व्यवस्था की जा रही है । हाईटेक मेकनिज्म डेवलप किया जा रहा है ताकि बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था को लागू किया जा जाय इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय

(व्यवधान)

हम तो वही वोल रहे हैं । भारत सरकार का रिपोर्ट यह बताता है कि दलित पर, महिला पर हत्या में बलात्कार में कौन सा राज्य अब्बल है तो उसमें भाजपा शासित राज्य ज्यादा अब्बल है इसीलिए हम कहेंगे कि यह सरकार तमाम लोगों के, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों के समुचित विकास के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य योजना बनाकर के काम कर रही है । आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि बिहार सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा, सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगा इसलिए हम आप तमाम लोगों से समर्थन की अपेक्षा रखते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे । चौदह मिनट है विजय बाबू ।

श्री विजय शंकर दूबे: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो पंखे के नीचे वाले माईक से मैं बोलूं।

उपाध्यक्ष: बोलिये।

(व्यवधान)

टर्न-21/मधुप/06.03.2023

श्री विजय शंकर दूबे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में जो डिमांड रखा है उसके साथ राज्य के 50 अन्य विभाग गिलोटिन में शामिल हैं और 31 मार्च को साल का अंत है, 01 अप्रील से आगे खर्च के लिए 51 विभागों का डिमांड सरकार 2 लाख करोड़ से उपर के पैसे के लिए आज सदन में आयी

है और सदन में सरकार ने अपनी माँग के साथ अपना लॉजिक, विभागों के नाम डिटेल में दिया है, मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राज्य में महागठबंधन की सरकार जिसके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इनके कंधों पर राज्य की जवाबदारी है और यह सरकार अबाध गति से चल रही है । यह औपचारिकता मात्र है कि अपोजीशन में जो भी रहेगा कटौती प्रस्ताव पेश करेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि औपचारिकता भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी पार्टियॉ जरूर निर्वहन करें लेकिन ईमानदारी से विवेचना तो हो, तथ्यों पर आधारित बात हो । नीतीश कुमार की हुकूमत को, महागठबंधन की हुकूमत को पैसे क्यों नहीं मिलना चाहिए ? पैसा अधिक से अधिक मिलना चाहिए । यह बात सत्य है कि नीतीश कुमार के हुकूमत काल में राज्य का विकास हुआ है और सभी सेक्टर में, जितने 51 सेक्टर हैं कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहा । इसकी हम-आप भले यहॉ विरोध कर लें, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जनक सिंह जी आलोचना करें लेकिन नीतीश कुमार के शासन काल में इतने दिनों तक, महोदय, इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के समय में बिहार बहुत आगे गया, संसाधन कम थे और उसके बाद अनेक सरकारें आयीं, आज की जो स्थिति है, एक दिन की स्थिति नहीं है, सभी सरकारों ने अपने-अपने विवेक से काम किया, मैं किसी टीका-टिप्पणी में जाना नहीं चाहता हूँ । मैं यह कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने सर्वांगीण विकास किया और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से विवेचना नहीं करती है, इनके दृष्टिकोण डबल स्टैण्डर्ड हैं । जब इनके साथ नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी सबसे बढ़िया नेता, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री ये कहने वाले हैं सदन में और सदन के बाहर । जब नीतीश कुमार जी किसी कारण से, गलती चाहे इनकी हो या जो कारण हो, विकास के लिए अगर नई हुकूमत बन जाती है, महागठबंधन बनता है, सेकुलर फोर्स इकट्ठा होता है, वह बातें भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाती, तब इनका मापदंड नीतीश कुमार के खिलाफ । अरे भईया नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं । आज तक नीतीश कुमार पर कोई बड़ा आरोप कोई लगा नहीं सका, ईमानदारी पर कोई चुनौती नहीं खड़ी हो सकी और लोकतंत्र में महोदय, यह बहुत बड़ी पूँजी है । पैसा उनको इसलिये दिया जाना चाहिए क्योंकि पैसा 31 मार्च के बाद बचता नहीं है राज्य में और पैसा का अपव्यय नहीं होता है इसलिये नीतीश कुमार की हुकूमत को, महागठबंधन की इस हुकूमत को पैसे दिये जाने चाहिए श्रवण बाबू सहित तमाम 51 विभागों को पैसा दिया जाना चाहिए ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मैं आता हूँ । जब देश में गठबंधन का era चला, यह बात सत्य है कि भारत में कांग्रेस लम्बे समय तक शासन

की, जो आज की उपलब्धि है केवल हाथ में कटोरा लेकर उदय हुआ मोदी जी का, तो यह भारत यह नहीं था ? आज की जो स्थिति है, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो भारत की संपन्नता है, मनमोहन सिंह की देन है । देश में उदारवादी नीति और उदारीकरण का द्वार खोलने वाला कोई व्यक्ति है तो मनमोहन सिंह, कांग्रेस और सोनिया गाँधी । उदारीकरण की वजह से आज देश में संपन्नता आयी है, क्रेडिट कोई ले ले, सत्ता में रहने वाला तो क्रेडिट लेता ही है लेकिन मुल्क में आज जो हमारी स्थिति है, जो हमारी मजबूती है वह कांग्रेस के हुकूमत काल में 10 वर्षों में आज जो स्थिति है, आज कोई नग्न नहीं है, आज कोई भूखा पेट नहीं सोता है, आज कोई महुआ और पकुहा खाकर नींद में नहीं सो जाता है, आज सबके पेट में अनाज है, आज संपन्नता है, कोई नग्न नहीं है । महोदय, इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, सोनिया, राहुल गाँधी और मनमोहन सिंह को जाता है । उदारवादी नीति अगर नहीं अपनायी गयी होती तो भारत में संपन्नता नहीं आती । महोदय, उसके बाद से देश में जितने भी हुकूमत बदले, कोई आदमी उस नीति से अलग नहीं जा सकता । भारत में विकल्प नहीं है, विकल्प सीमित है । भारत जैसे विशाल देश को चलाना और नेतृत्व करना बड़ा कठिन काम है, आज देश में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रचार कर ले, प्रचार ही तो इनके पास है, चाहे जितना प्रचार कर ले लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत जैसे विशाल देश को एक रखना, अक्षुण्ण रखना, यह कांग्रेस की देन है और बड़े लम्बे समय का प्रयास है । मोदी जी या दूसरा कोई आदमी लॉजिकली बात करके देख ले, कोई आदमी इनकार कर दे ! मैं तो कहता हूँ कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के हिसाब से रूल किया, सबकी देन है, केवल मोदी जी कटोरा लेकर नहीं आये थे और सारा श्रेय अपने ले लेना, यह नाइंसाफी होगी ।

महोदय, मैं एक बात बिहार पर अब आता हूँ, बिहार में रोड बने, नीतीश कुमार जी के शासन काल में रोड के क्षेत्र में जितना विकास हुआ उतना कहीं नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं, अकेले में कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गाँव-गवई का सारा रोड बना लिया । हमने कहा कि भईया, अब तो आपके यहाँ कोई काम ही नहीं बचा तो कहा कि अब तो इस लोक में सारा रोड अपने क्षेत्र का ठीक कर लिया परलोक की तैयारी जब अंतिम यात्रा होगी वह एक सड़क बनाना बाकी है, उसको भी नीतीश कुमार के समय में बना लेंगे । यह उपलब्धि है, महोदय ।

...क्रमशः...

टर्न-22/आजाद/06.03.2023

...... क्रमश : ......

श्री विजय शंकर दूबे : और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी दल का आदमी कैसे अस्वीकार करेगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सड़के नहीं बनी, विकास नहीं हुआ, सड़कें बनी और आज भी एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पैसे का उपाध्यक्ष महोदय कमी पड़ी, पैसे का प्रबंध राज्य सरकार ने किया है । इसीलिए पैसे और दिया जाना चाहिए और ईमानदार बहस हो सदन में, इस राज्य को और पैसा मिले । भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत लगातार प्रयास हुआ, सभी दल के लोग यूनानमस प्रस्ताव पारित करके, आसन से प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से अनुरोध हुआ कि विशेष पैकेज दीजिए । माननीय प्रधानमंत्री जी आये, माननीय प्रधानमंत्री जी 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ केवल सलोगन दिये । एक पैसा अतिरिक्त बिहार को कभी नहीं मिला । बिहार जैसे गरीब राज्य को जो पैसे मिलने चाहिए थे, वो पैसे नहीं मिले और आज नीतीश कुमार का मैनेजमेंट इस कुशल प्रशासन का मैनेजमेंट आर्थिक तंगी में भी महोदय इस राज्य का खेवनहार नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ही चला सकता है और तंगी नहीं होने दिया और व्यवस्था चल रही है और महोदय, राज्य का विकास हो रहा है । सभी क्षेत्रों में चाहे जिस क्षेत्र को महोदय ले लीजिए, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, महोदय, अन्य क्षेत्र किसी के क्षेत्र का नाम ले लीजिए, उस क्षेत्र में विकास हुआ, पैसे खर्च हुए, मार्च लूट नहीं हुआ, पैसे का व्यय का सही सदुपयोग हुआ। इसीलिए धन राशि इस सरकार को दी जानी चाहिए और हमारे माननीय सदस्य जितने लोग कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि विकास राज्य के इस विकासशील सरकार को पैसे कटौती करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास करें । बोलने के लिए वे कटौती प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, बोलने उनका काम है लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य को अधिक से अधिक पैसे मिले, बिहार जैसे गरीब राज्य में उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी बात हुई नीतीश कुमार के हुकूमत में । बिहार जैसे गरीब राज्य में एडिशनल टैक्स नीतीश कुमार जी ने नहीं लगाया, किसानों पर टैक्स नहीं लगाया, गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया और व्यवस्था चलती रही, यह बड़ी बात हुई । मैं यह नहीं समझता कि कोई दूसरा आदमी इसको कुशल ढंग से बिहार का विकास कर लेता और आर्थिक तंगी के हालात में भी बिहार के सभी सेक्टर को छूते हुए बिहार की गाड़ी को सरकार को सफलतापूर्वक चला लेता, ऐसा संभव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ही संभव हुआ है ......

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री विजय शंकर दूबे : सभव हुआ, इसीलिए महोदय, मैं फिर से सदन से अपील करता हूँ कि जितनी धन राशि की मांग सरकार ने की है, उन सभी धन राशि की स्वीकृति सदन स्वीकृत करे और प्रदेश के विकास में उस धन का सदुपयोग हो । इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने आसन से मेरा नाम पुकारा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने बोलने का इजाजत दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार, 15 मिनट है आपका समय ।

श्री प्रमोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप सदन में बोलने के लिए जो समय दिये, इसके लिए हम अपने तरफ से और मोतिहारी क्षेत्र के सम्मानित जनता की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा और होली के अवसर पर विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

(व्यवधान)

मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास का अर्थ होता है कि गांव, गरीब और किसान का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव लेकिन हमारे एक अखबार में समाचार निकला है, इसको मैं बताना चाहूंगा कि जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण और प्रभावती जी के नाम पर जो गांव बसाये गये 68 साल में और इनमें 5 मैट्रिक पास लोग भी कमाने के लिए गुजरात गये और इस गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे और गांव में घर है, लेकिन खिड़की नहीं है, स्कूल है लेकिन पढ़ने वाला ही नहीं, यह कोई पुराना समाचार नहीं है महोदय, यह 27.12.2022 का है महोदय, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे और इसी सदन में महोदय, मनरेगा के सवाल पर और मनरेगा के आंकड़े पर हमारे नेता जो अभी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनमें और माननीय मंत्री महोदय के बीच में भारी तकरार हुआ था और नोंक-झोंक हुआ था । सदन में मनरेगा के आंकड़े पर पक्ष और विपक्ष का भिडंत हुआ था और उस समय हमलोग मंत्री जी के साथ थे । अब तो कम से कम मंत्री जी को बताना चाहिए, तेजस्वी जी को भी बताना चाहिए जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, ललित जी आप भी साथ थे तो बताना चाहिए था कि उस समय जो भिडंत हुए थे, उस समय का आंकड़ा सही है या उस समय जो आंकड़ा प्रस्तुत किये गये थे, वह सही है । आंकड़े का जो जाल बता रहे हैं, अखबार का समाचार है, मैं नहीं कह रहा हूँ ।

महोदय, आज कब्रिस्तान में मिट्टी भराई के नाम पर 44 लाख का घोटाला हुआ है, यह मनरेगा की कहानी है । यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह अखबार में बात आयी है, यह अखबार का समाचार है । ये जो है तय समय से ग्रामीण सड़क का,

(व्यवधान)

उसी समय का है, तब सुधारने के लिए बोल रहे हैं । अखबार में जो बात आयी है कि तय समय पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मती नहीं हो रही है और महोदय, 400 से अधिक अरवा चावल मिलों का संकट पड़ गया । गांव, गरीब और किसानों की जो तरक्की की बात हो रही है, यह 400 से ज्यादा अरवा चावल मिल की संकट पड़ गई है। अगलगी में सबसे अधिक ग्रामीण कार्य विभाग को नुकसान हुआ लेकिन वहां के गांव का विकास अभी तक नहीं हो सका है, जिसका घर जड़ गया, उसका घर बनाने के लिए कोई योजना सरकार नहीं बना सकी, यह समाचार है । महोदय, आज जो राज्य के पैमाने पर गांव के जो गरीब लोग हैं, जो ताड़ी के कारोबार करने वाले पासी समाज के लोग हैं, आज वे लोग बेरोजगारी के कगार पर आ गये और इस शराबबंदी के कारण ताड़ी व्यवसायी लोगों की जो माली हालत है, जो ताड़ी व्यवसायी और सतत् विकास की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है, वह कागज पर ही चल रही है । यह मैं नहीं, यह बात अखबार में आयी है । महोदय, राशि के अभाव के बारे में इस सदन में बजट में बात आयी है कि ...... क्रमशः ......

टर्न-23/शंभु/06.03.23

श्री प्रमोद कुमार : क्रमशः राशि के अभाव में अटक गया अमृत सरोवर का निर्माण । कहते थे कि जो हमलोग काम करते हैं उसका भारत सरकार अनुकरण करती है तो फिर क्यों अटक गया अमृत सरोवर का काम । केन्द्र ने बिहार को दिया 53 लाख मकानों की स्वीकृति लेकिन अब तक इनकी स्थिति क्या है ? महोदय, बाजू में मसौढ़ी पटना जिला का है वहां शौचालय के लिए देख लीजिए महादलित वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं । महोदय, यह देख लीजिए अखबार, देश का चौथा स्तंभ अखबार जो पूरे बिहार की जनता देख रही है और मंत्री जी का पोल ये अखबार रोज खोल रहा है । लंबित इंदिरा आवास पर अफसरों को फटकार लेकिन कार्रवाई नहीं- अफसरों को फटकार लेकिन कार्रवाई नहीं । सर, ये महादलित वर्ग की बात है । मरेगा के कार्यक्रम अधिकारी बर्खास्त हुए कागजी खानापूर्ति करने में ये सरकार की उपलब्धि- पुराना बात नहीं है सब नया बात है । मनरेगा का काम बंद और खेत में मजदूर परेशान । महोदय, इन सभी जॉबकार्ड के जॉच में गायब हुए 35 लाख मनरेगा मजदूर । ये जो अखबार में समाचार है महोदय, अभियंता आंगनबाड़ी सेविका के नाम पर मनरेगा की मजदूरी हुई है । यह भी समाचार प्रकाशित है । मनरेगा में पैन उड़ाही के नाम पर पैसे का बंदरबांट । महोदय, इन्हीं सब बातों को लेकर.....

(व्यवधान)

सुनिए, महोदय, इन सब बातों को लेकर जब हमलोग सत्ता में थे तो हमलोग मिलकर एक योजना बनाये कि जो लूट खसोट हो रहा है गांव में, नलजल में, मनरेगा में,

प्रधानमंत्री आवास में- जब हमलोग साथ कैबिनेट में थे, श्रवण बाबू भी हमारे साथ थे- तो हमलोग ने मुख्य सचिव को कहा वे तो अभी हैं ही अमिर सुबहानी जी को कि आप राज्य के सभी जिलों के और सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला को इसकी चिट्ठी निकालकर जॉंच करने की बात कही गयी और ये चिट्ठी जो निकला 07.04.2022 को इसको हम सदन के पटल पर रख देते हैं, सरकार मुख्य सचिव की चिट्ठी है, ये चिट्ठी पटल पर रखते हैं और इसमें स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव अभी जो एट प्रजेन्ट हैं उन्होंने आदेश दिया प्रमंडलीय आयुक्त को, प्रधान सचिव को, सचिव को, जिलाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि आप जनता दरबार में रहिये और क्षेत्र में भ्रमण करके जहां-जहां कमी है उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए । उसमें सात निश्चय-1, सात निश्चय-2 ये सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र का हाल है, सभी लोग आत्मचिंतन करें । महोदय, हर व्यक्ति के क्षेत्र में पूरे राज्य पैमाने पर जो भी ग्रामीण विकास हो, पंचायती राज हो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको समुचित जॉंच करने का मुख्य सचिव ने निदेश दिया, लेकिन आज तक वह जॉंच लंबित प्रक्रिया में फंसा रहा और कोई प्रतिवेदन हमने मुख्य सचिव जी से भी मिलकर पूछा, अपने जिला के कलक्टर से पूछा, स्थानीय अधिकारियों से पूछा, विभागीय अधिकारियों से पूछा तो कहा कि उस समय जो आपलोग तय किये थे उसका एक पत्र निकल गया कार्रवाई अभी लंबित है । ये हाल है महोदय बिहार सरकार की, ये हाल है वर्तमान परिस्थिति की । आज राशि के बारे में कह रहे हैं तो भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित स्कीम में इसी 2023-24 में 24712.54 करोड़ रूपया दिया है । 15वॉं वित्त आयोग में 8635.59 करोड़ रूपया दिया है, राज्य आपदा राहत कोष में 1561 करोड़ दिया है । मैं नहीं कह रहा हूँ ये बजट के किताब पर छापे हैं और ये वित्त मंत्री महोदय के किताब से हमने यह आंकड़ा लिया है । इसी तरह से ग्रामीण के स्थानीय निकाय अनुदान 3884 करोड़ और शहरी स्थानीय निकाय का 2001 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 1189.59 करोड़ और केन्द्रीय स्कीम में 29.69 करोड़ लेकिन महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया है, जो रूपया दिया गया वह समय से खर्च नहीं कर पाये । देखिएगा अब 31 मार्च को हमलोग यह रूपया दे रहे हैं कितना सरेंडर होगा यह भी आंकड़ा सामने आयेगा । महोदय, अभी पूरे देश में शौचालय का 94 फीसदी डाटा अपलोड हो गया, लेकिन बिहार का अभी स्थिति जो है पूरे देश में सबसे नीचे है । महोदय, आज मेरा एक तारांकित क्वेशचन था ।

उपाध्यक्ष : अब कन्क्लुड कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, क्वेश्चन में पुलिस जमादार का 6189 रिक्त पद था, लेकिन आज उसमें रोजगार के साथी बात करते हैं- उसमें सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश सं0-5066, दिनांक-11.04.2019 को राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति समिति द्वारा उसपर रोक लगा दिया है।

एक तरफ रोजगार की बात करते हैं और जो प्रोन्नति होनेवाली है उसपर 2019 में प्रोन्नति समिति रोक लगा दिया है । एक तरफ रोजगार की बात करते हैं और जो उद्यमी योजना से गांव में उद्योग लगा है उसका दूसरा किश्त नहीं पहुंचा ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : और दूसरा किश्त नहीं पहुंचा है तो महोदय, ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है और अपने ही आंकड़ा से अपने फंसते जा रही है । आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद और जो अखबार की कतरन है । अगर आपकी इजाजत हो तो उन सबको पटल पर रख देते हैं ।

उपाध्यक्ष : अब जब अपने समय पर बोल ही लिये हैं तो कतरन क्यों रखेंगे, पेपर का कतरन नहीं रखाता है । श्री रामवृक्ष सदा जी प्रारंभ करें ।

श्री रामवृक्ष सदा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका और आपके आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के सजग प्रहरी गरीबों के मसीहा आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जिन्होंने इस गरीब मुसहर के बेटा को नेता बनाने का काम किया । मैं आभार प्रकट करता हूँ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री जी का कि इन्होंने आज हमें विधायक बनाने का काम किया और सदन में बोलने का मौका दिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ सत्तारूढ़ दल के सचेतक, उप सचेतक शाहीन साहब का जिन्होंने बोलने का समय दिया । महोदय, आज मैं बजट के अनुपूरक पर बोल रहा हूँ । आज जो बजट सरकार के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया ।

क्रमशः

टर्न-24/पुलकित/06.03.2023

श्री रामवृक्ष सदा (क्रमशः) : महोदय, यह बिहार के लिए एक बेमिसाल बजट है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों की खुशहाली, किसानों के देह पर लाली, नौजवानों को रोजगार, नौकरी, हर क्षेत्र में काम, औद्योगिक व्यवस्था को स्थापित करना एवं शहरी एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कामों का बजट में प्रावधान किया गया है । महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कल माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संबंध में बोल रहे थे कि सेटलाईट से नासा ने दिखाया कि बिहार में बिजली व्यवस्था इतनी दुरुस्त है । महोदय, नासा से दिखाई पड़ता है कि बिहार में बिजली व्यवस्था कितनी दुरुस्त है । इसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो माननीय ऊर्जा मंत्री है वे बिहार से भूत भगा दिये । बिहार से भूत इसलिए भगा दिये, जिस समय हमलोग बच्चा हुआ करते थे आज भी बिजली आने से पहले हमलोगों की मां कहती थी बेटा सो जा, अंधेरा हो गया, भूत पकड़ लेगा लेकिन बिहार को इन्होंने इतना जगमगाहट कर दिया । हमारी बिहार की

सरकार ने बिजली के मायने में बिहार से भूत भगा दिया । अब रात के 11.00 बजे तक बच्चा खेलता है जो बच्चा पहले भूत के डर से भूखे सो जाता था । महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं बिजली के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसके बाद भी बिजली के क्षेत्र में बहुत बेतहाशा विकास हुआ और क्षेत्र में वृद्धि हुई । आज बिहार उसका उदाहरण है, जगमगाता बिहार है, उसी तरह आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिये ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार में बहुत बड़ा काम हुआ है । शिक्षा के मायने में आज अगर देखा जाए, एक ऐसा समय हुआ करता था जिस समय हमारी मां-बहन, जिस समय हमारी बच्ची घर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाती थी । घर से उतने साधन नहीं थे कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकती थी लेकिन आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षा के प्रति लड़कियों को इन्होंने पोशाक राशि देने का काम किया । इन्होंने छात्रवृत्ति देने का काम किया और साइकिल योजना को चलाने का काम किया । जब गरीब की बच्ची सामंतियों की छाती पर साइकिल की घंटी बजाकर स्कूल जाती है तो लगता है कि नीतीश कुमार का नया बिहार और तेजस्वी यादव का नया बिहार आ गया है । मैं यह कहना चाहता हूं, आगे मैं कहना चाहता हूं चाहे वह उद्योग की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे और कोई बात हो । बिहार में आज इससे पहले हमारे साथी विपक्ष के लोग बोल रहे थे, आज इससे पहले एक ही दल के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे । भाई मंगल पाण्डेय जी स्वास्थ्य मंत्री थे और जिस दिन से उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला उस दिन से बिहार में अमंगल होने लगा लेकिन जब सरकार बदली और हमलोगों के नेतृत्व में जब सरकार बनी, जिस दिन से बाबू तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उस दिन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का जीवन मंगलमय हो रहा है ।

आगे मैं कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय, माननीय श्रवण बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । ग्रामीण विकास में बहुत सारे काम हुए हैं । महोदय, एक ऐसा समय था जब लोगों को घर के अभाव में बाहर में भीगना पड़ता था, सोना पड़ता था, ग्रामीण सड़कों के अभाव में कीचड़ में चलना पड़ता था लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि लोगों को इंदिरा आवास के तहत लाभ दिया जा रहा है । लोगों के लिए गली, नली और सड़क बनाई जा रही है । लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार जोड़ा जा रहा है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के साथी बोल रहे हैं । एक ऐसा समय था जब हमलोगों की मां-बहन पोटली में, जिसको हमलोग बोरा में बांध कर ले जाते हैं, उसे पोटली कहते हैं । ऐसा समय था जब हमलोगों की मां-बहन चाहे वह मकई पिसाने के लिए जाती हो, चाहे गेहूं पिसाने के लिए जाती हो, चाहे अनाज

बेचने के लिए जाती हो । मां पोटली उठाकर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर मार्केट जाती थी लेकिन आज हमलोगों की सरकार में ऐसी स्थिति आ गयी है । हमलोगों की सरकार में ऐसी सुख-सुविधा आ गयी है कि आज हमलोगों के यहां जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वह भी घर से फोन करती है और ई-रिक्शा आती है और उस पर बैठकर वह बाजार करती है । उस पर बैठकर वह अपना सामान बेचती है और सामान लाती है । अब सिर पर पोटली ढोने का काम नहीं रहा इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है ।

महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं आज हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है । प्राथमिकता के आधार पर हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी इससे पहले भी रोजगार और नौकरी की बात किया करते थे । आज भी वे रोजगार और नौकरी की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं आज हमारी सरकार ने इस बजट में युवाओं को रोजगार देने हेतु हमारी सरकार कृत-संकल्पित है । राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति हेतु बी0पी0एस0सी0 को लगभग 49,000, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 । कुल 63,900 पदों की अधिसूचना भेजी गयी है उसी तरह पुलिस कर्मियों की कुल 75,543 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है । राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 90,762 के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है और शेष पदों पर नियुक्ति की जायेगी । महोदय, यह हमारी सरकार है, यह हमारी सरकार का काम है और इस बजट में भी प्रावधान किया गया है । महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं हमारे कुछ बी0जे0पी0 के जो हमारे साथी हैं वे कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है । बिहार में विकास नहीं दिख रहा, विकास पर बहुत सारी बात करते हैं । मैं वैसे साथी को कहना चाहता हूं कि 231 विधान सभा क्षेत्र में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हर जगह एक-एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र देने का काम किया है । इसके बाद पांच उप स्वास्थ्य केन्द्र देने का काम हर विधान सभा में, हर क्षेत्र में देने का काम किया है, हेल्थ डेवल्प सेंटर देने का काम किया है । मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं इससे पहले जो आपके स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पाण्डेय जी थे उन्होंने क्या करने का काम किया है ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं आज विपक्ष के साथी को मैं इसीलिए कहना चाहता हूं लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे मैं तो चौकीदार हूं, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि उसका मालिक कोई और है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि आज बजट के क्षेत्र में जो सरकार की उपलब्धि रही है, पूरे क्षेत्र में वह किसी से छुपी हुई नहीं है । चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हो, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हो, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, मुख्यमंत्री बाल विकास योजना हो । हमारी माताओं, बहनों के लिए तरह-तरह की योजना चलाकर विकास से जोड़ने का काम किया, आत्म सम्मान बढ़ाने का काम किया और हमारे साथी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं -

''बगिया को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गयी होंगी,
यही इल्जाम था हमारी सरकार के ऊपर ।
पैरों से कलियों को रौंदने वाले बी0जे0पी0 के लोग,
दावा करते हैं इस चमन की रहनुमाई का ।''

महोदय, समय कम रहने के चलते कुछ हमारे क्षेत्र की मांग है उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । महोदय, अलौली विधान सभा के अंतर्गत अलौली प्रखंड में रामपुर अलौली पंचायत के गौरघाट कोसी नदी में जनता की बहुत दिनों से मांग है कि वहां पुल बने । आपको और इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अलौली गौरघाट में पुल निर्माण किया जाए । महोदय, दूसरी मांग है अलौली विधान सभा के खगड़िया प्रखंड के ओलापुर गंगौर पंचायत में बहुत दिन से पुल की स्वीकृति मिली हुई है, इसका टेंडर नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि वहां भी ओलापुर गंगौर और चक्कीपार में पुल का निर्माण किया जाए ताकि जनता को सुविधा मिले ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, इन्हीं बातों के साथ जय हिन्द, जय बिहार, जय सरकार, जय नीतीश कुमार, जय तेजस्वी यादव ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

एक मिनट शांति बनाये रखें । उनको बोलने दीजिये ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य पहली बार सदन में आये हैं और बहुत अच्छा बोलें लेकिन एक सूचना हम दे देना चाहता हैं कि उप स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र जो बिहार में दिये गये हैं, यह मंगल पाण्डेय जी के समय में दिये गये हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, एक सूचना देना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष : यह कोई सूचना नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह, अपनी बात रखिये ।

(व्यवधान)

टर्न-25/अभिनीत/06.03.2023

श्री राज कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

''यह अलग बात है कि इनके विचार न बदलें,

मगर बिहार बदल रहा है ।

गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है ।।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी लोगों ने बहुत सारे आंकड़े इस सदन में रखे हैं, उन्हीं आंकड़ों की प्रति मेरे पास भी हैं, तो सदन पटल पर ये आकड़े हैं इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा । मेरा मानना है और मैंने पहले भी कहा कि बजट जो होता है, 'Budget is not just collection mathematics number. It is reflections of aspiration and value of this is great state and its people.'

यानी यह जो हमारा बजट है यह सिर्फ अंकगणितीय आंकड़ों का संग्रह नहीं है, यह बिहार की 13 करोड़ आशाएं, सपनें और बिहार सरकार के मूल्यों पर उन आशाओं और उन सपनों को पूरा करेंगे उसकी मार्गदर्शिका है । शायद इस रूप में बजट को हमारे तमाम साथी देख रहे होते तो बिहार के 13 करोड़ सपनों के संवर्द्धन में क्या इनके सुझाव होते वो दे सकते थे और तब बिहार की जनता शायद देखती कि जिनको चुनकर हमने यहां पर भेजा है और माननीय बनने का दर्जा दिया है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है लेकिन मुझे काफी अफसोस हुआ कि जिस दिन से बजट का यहां पर प्रस्तुतीकरण हुआ उसी दिन से जिस तरीके से इनका आचरण रहा कभी सदन में नहीं रहना, मैं इनकी मजबूरी और बेबसी समझता हूं । इनको आज अभिनय करने की बेबसी है, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे रियलिटी शो में अभिनय के आधार पर और वहां पर कलाकार को जो मिलता है उसके आधार पर जो कलाकारी करने की प्रतिस्पर्द्धा चली हुई थी वही चली हुई थी लेकिन निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार के बाहर बैठे आकाओं की बुजदिल गुलामी से बेहतर है कि हम बिहार की 13 करोड़ जनता के सपनों की रक्षा करें, उसके संरक्षक बनें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग ने अपना अनुपूरक पेश किया है और मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह लगभग साढ़े 15 करोड़ का बजट आवंटन विभाग के द्वारा किया गया है जो दिखाता है कि बिहार

के ग्रामीण विकास के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है और जिस प्रकार की उपस्थिति विपक्ष के भाइयों की दिख रही है सदन में वह दिखाता है कि ग्रामीण विकास के प्रति इनकी कितनी संवेदना है, किसानों के प्रति इनकी कितनी संवेदना है । मुझे लगता है कि एक तिहाई से भी कम लोग यहां उपस्थित हैं, एक चौथाई से भी कम लोग उपस्थित हैं, यह बिहार के ग्रामीण विकास के प्रति संवेदना को भी दर्शाता है । महोदय, ग्रामीण विकास ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए चाहे जल-जीवन हरियाली हो, मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री क्रय स्थल योजना हो, जीविका हो इन तमाम माध्यमों से सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया है और इस प्रयास में सरकार पूरी तरह से सफल रही है ।

आज मनरेगा की बात हो रही थी और काफी लोग महात्मा गांधी की काफी प्रशंसा कर रहे थे, मुझे काफी खुशी हो रही थी । यहां पर महात्मा गांधी की न सिर्फ हत्या हुई बल्कि उनके सपनों की भी यहां पर हत्या हुई है लेकिन आज महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए ये लोग यहां पर बोल रहे थे, सुनकर बहुत खुशी हो रही थी । यह वही मनरेगा है जिसको भारत के उच्च सदन में किसी ने कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था लेकिन जब कोरोना काल आया और इस मनरेगा की जब शक्ति का पता लगा तब से किसी ने भी मनरेगा को..

(व्यवधान)

आपका देखने का अपना नजरिया है, मैं सिर्फ योजनाओं की बात कर रहा हूं । आज उसी तरह मनरेगा के माध्यम से जिस तरीके से सेवा हुई, जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है उसकी जो योजनाएं होती हैं उसका यह सफलतम उदाहरण रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा के माध्यम से सरकार ने जिस तरीके से मानव दिवसों का सृजन किया है, लगभग जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुरूप लगभग 19 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन यहां पर हुआ है । यह एक सराहनीय कार्य है, जो लक्ष्य था लगभग उसके करीब हमलोग पहुंचे हैं और इसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी ग्रामीण विकास विभाग में किया गया है, तो इसके लिए सरकार को सराहना देनी चाहिए । इसमें सुझाव देने का वक्त है, क्योंकि यह तीसरा बजट है और दो बजट बनाने में हमारे माननीय विपक्ष के साथी साथ में थे । उसी का यह एक एक्सटेंशन बजट है और इसमें अगर सुझाव देने में ये अपना समय व्यतीत करते तो शायद बिहार की जनता ज्यादा खुश होती । पूरा का पूरा समय इन्होंने इसको जाया करने में लगाया । यहां पर बहुत सारे लोग महात्मा गांधी की बात कर रहे थे और मुझे खुशी भी हो रही थी । महात्मा गांधी की बात इन्होंने की, यहां पर उनका स्तुति गान भी किया लेकिन महात्मा गांधी का क्या हश्र हुआ ये सभी

लोग जानते हैं । जो किया गया उसी पर, आदरणीय वाजपेयी जी ने जब महात्मा गांधी पर लिखा कि-

"क्षमा करो बापू तुम हमको,
वचन भंग के हम अपराधी ।"

तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने...

(व्यवधान)

देश की जनता से और अपने-अपने दल के, देश की जनता से उन्होंने माफी मांगी और अपने दल के लोगों के सामने उन्होंने महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को दोहराया और बार-बार दोहराया । आज यहां पर काफी सारे लोग महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे थे, मुझे सुनकर खुशी हो रही थी कि आपके दिलों में कम-से-कम आज महात्मा गांधी फिर से जिंदा हो गये ।...

(व्यवधान)

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सात जो उपदेश महात्मा गांधी के लिखे हुए हैं उनका पालन होता है ?

श्री राज कुमार सिंह : यह पालन करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिए ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति-शांति । बोलने दीजिए ।

माननीय सदस्य, बोलिए ।

श्री राज कुमार सिंह : देखिए, अगर खोलना शुरू करेंगे, बात जब निकलेगी तो दूर तलक जायेगी, इसलिए आप शांत रहें । आज, सभी लोगों से सुनकर काफी खुशी होती है कि महात्मा गांधी की चर्चा ये लोग करते हैं और महात्मा गांधी का हश्र इन्होंने क्या किया, तो सुनकर खुशी भी होती है और अफसोस भी होता है । आज उन्हीं के, महात्मा गांधी के लाश के सहारे ये अपनी राजनीतिक यात्रा करना चाहते हैं । उन्हीं की लाशों पर चढ़कर, उनको रौंदकर इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की है और आज ये सदन में बोल रहे हैं । वैसे महात्मा गांधी का नाम लेना इनके लिए लाजमी है नहीं लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं और इनके भी राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने कभी माना नहीं इस बात को, तो लेना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, हम सभी लोग यहां चुनकर आये हैं और जनता की उन तमाम आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यहां पर आये हैं । हमारी सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार एक ऐसा माध्यम बनी है जो बिहार को आज, आपको जानकर शायद खुशी होगी कि बिहार की आर्थिक प्रगति की जो दर है वह 10.98 प्रतिशत है । 10.98 प्रतिशत तमाम विपरीत परिस्थितियों में, केंद्र के बिना सहयोग के अगर हमलोग इस गति से विकास कर रहे हैं तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी योजना है, उनका साथ है और बिहार के प्रति उनका विश्वास है ।

..क्रमश:..

टर्न-26/हेमन्त/06.03.2023

श्री राज कुमार सिंह(क्रमश:) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण विकास विभाग ने अपना बजट पेश किया है, हम सब लोग उसकी सराहना भी करते हैं और उसके पक्ष में हम लोग हैं । क्योंकि ये हमारे राज्य को और प्रगति से आगे ले जाने की दिशा में एक और कदम होगा और हम सभी लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए । आप जितने उधर भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हम सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम लोग यहां पर बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं । राजनीति होगी, आप केंद्र की राजनीति के बारे में यहां पर उछल-कूद करने से हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाय बहुत सारे साथियों को, लेकिन इससे बिहार की जनता का हित नहीं होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप लोग माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : सर, बजट पर ही बोल रहे हैं । यह जो लगभग 15.50 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास विभाग ने अपना बजट दिया है, यह बिहार के सपने को पूरा करेगा । आपकी तमाम कुत्सित नीतियों पर, आपकी तमाम कुटिलताओं पर यह चादर डालेगा और आप इसमें विफल होकर रहेंगे । हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमको बहुत डिस्टर्ब किया गया है । मैं कई बार दुखती रग पर हाथ रख देता हूं, तो दर्द ज्यादा हो जाता है, तो ये उछल पड़ते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बोलिए, आप अपनी बात रखिये न ।

श्री राज कुमार सिंह : मेरी जुबान मेरे दिल की बात है । मेरी जुबान से पहचानिये कि मेरी दिशा कहां है और मेरा निशाना कहां पर है, यह आपको समझना चाहिए । महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की सराहना करता हूं कि इन्होंने यहां पर अपना एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है । इसमें बिहार के तमाम लोगों की और खासकर ग्रामीण जनता की, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने में हम लोग सफल होंगे, चाहे यह जीविका के माध्यम से हो और आपने तो देखा कि किस प्रकार से हमारा यह पूरा बजट बिहार के लिए एक नजीर बना और केंद्र के लिए भी नजीर बना । कैसे हमारी जल-जीवन-हरियाली जो योजना थी वह राष्ट्रीय जल मिशन बन गयी । कैसे हमारी जो अन्य योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपना सौभाग्य बनाया, वह योजना हमारी जल-जीवन-हरियाली और अन्य जितनी भी योजनाएं हैं उसका अनुकरण केंद्र की सरकार ने किया...

उपाध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : और प्रधानमंत्री ने स्वयं ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा है कि इनके जैसा समाजवादी नेता कोई आज तलक हुआ नहीं । तो आपको यह समझना चाहिए और यह समाजवादी नेता इसलिए हैं, क्योंकि इन्होंने बिहार के समाज के हित में कार्य किया है, लगातार बिहार की प्रगति की दिशा में देखा है और इनके सारे कदम बिहार की प्रगति की दिशा की ओर बढ़ते रहे हैं...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : और आगे भी बढ़ते रहेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महा नंद सिंह ।

श्री प्रणव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

उपाध्यक्ष : बोलिए ।

श्री प्रणव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपनी बात सदन में रख रहे थे...

उपाध्यक्ष : यह कोई सदन में बोलने वाली बात नहीं है । माननीय सदस्य श्री महा नंद सिंह आप बोलिए ।

श्री महा नंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हमें कुछ चंद बातें कहनी हैं । महोदय, अभी कुछ बातें हो रही थीं, केंद्र सरकार ने बिहार के साथ जो रवैया किया है वह जगजाहिर है । इस बार ही आपने देखा कि किस तरह से मनरेगा में कटौती की गयी । विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, वह विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया । पूरे देश के मामले में यह जो चल रहा है, केंद्र सरकार का जो रवैया है उस मामले में बिहार सरकार के सामने बहुत-बड़ी

चुनौती है और राज्य सरकार को अपने अंदरूनी संसाधनों और ढांचागत बदलाव और उसके विकास पर जोर देने की जरूरत है ।

महोदय, अभी चर्चा चल रही है गुजरात मॉडल की और उसके बरअक्स बिहार मॉडल की बात चल रही है । जब गुजरात मॉडल की बात हम लोग कहते हैं, तो गुजरात मॉडल पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है । लेकिन वह गुजरात मॉडल है क्या ? वह गुजराज मॉडल है हत्या, बालात्कार, सामूहिक जनसंहार, वह कॉरपोरेट लूट का मॉडल है ।

(व्यवधान)

सुनिये, सुनिये । महोदय, वह गुजरात मॉडल है चार लोगों की शासन में भागीदारी और वह चार लोगों में दो लोग बेचने वाले और दो लोग खरीदने वालों का गुजरात मॉडल है । यह गुजरात मॉडल है । गुजरात मॉडल कॉरपोरेट लूट और फांसीवादी अभियान का गठजोड़ है, महोदय । गुजरात मॉडल, अड़ाणी हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आयी, उसमें सरकार की चुप्पी है गुजरात मॉडल । महोदय, यह गुजरात मॉडल सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की लूट है और गुजरात मॉडल असमानकारी पोर्टल व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दयनीय स्थिति बनाने वाला यह गुजरात मॉडल है । महोदय, इतना ही नहीं, एक बिहार की बेटी, जो बिहार के मन मिजाज को बढ़ाने वाली, जब वह का बा लिखती है, गीत गाती है, तो उनके यहां नोटिस भिजवाने वाला यह गुजरात मॉडल है । महोदय, यह गुजरात मॉडल विपक्ष की आवाज को ई0डी0, सी0बी0आई0 के जरिये दबा देने वाला गुजरात मॉडल है और उस गुजरात मॉडल के बरअक्स हमें बिहार मॉडल स्थापित करना है । तो बिहार मॉडल में क्या है ? महोदय, आप लोगों ने देखा कि यहां जो नयी सरकार बनी है, यह नयी सरकार बनी है...

(व्यवधान)

सुनिये, यह नयी सरकार बनी है, यह बिहार मॉडल की पहली झलक है । यह बिहार की जनता किसी भी जुल्म और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती है । यह गुजरात मॉडल के बरअक्स बिहार मॉडल का नमूना है । जो कल उधर थे, आज इधर आ गये और यह चुनौतियों के साथ इधर आये हैं । तो महागठबंधन की सरकार के सामने बहुत-बड़ी चुनौती है । महोदय, उन चुनौतियों के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं । पहला, यह गुजरात मॉडल, जो सेना को अपमानित करने वाला अग्निपथ को सामने लाया, तो यह बिहार का ही मॉडल था । महोदय, बिहार के नौजवानों ने जो मॉडल पेश किया, सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, अपने भविष्य के लिए और सेना को बचाने के लिए उनका आंदोलन था और आज उनको बेवजह जेल में रहना पड़ रहा है । महोदय, यह बिहार मॉडल जब हम खड़ा कर रहे हैं, तो ये गुजरात मॉडल के खिलाफ हमें उन नौजवानों को,

जो सेना के भर्ती के सवाल पर, जो अपने भविष्य और देश की रक्षा के सवाल पर वह सड़क पर उतरे थे, देशप्रेम उनके अंदर था, उनको आज जेल में डाला गया है । महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके सारे मुकदमें समाप्त करके उनको बा-इज्जत रिहा किया जाय । महोदय, यह बिहार मॉडल सामने आयेगा । बिहार मॉडल यह होगा कि...

(..क्रमशः..)

टर्न-27/धिरेन्द्र/06.03.2023

...क्रमशः...

श्री महा नंद सिंह : महोदय, भाजपा का जो बुलडोजर राज चल रहा है, जिस बुलडोजर के चलते, जिस बुलडोजर के खिलाफ एक लड़की ने गीत गायी तो उसके यहाँ नोटिस भेज दिया गया । महोदय, हमें यदि बिहार मॉडल तैयार करना है तो यह बुलडोजर राज, ये भाजपा का बुलडोजर राज का हमें अनुकरण नहीं करना होगा, हमें भाजपा के बुलडोजर राज का विरोध करना होगा ।

महोदय, हमें नया वास-आवास योजना...

(व्यवधान)

मिर्ची क्यों लग रही है, चूप रहिये ।

महोदय, नया वास-आवास योजना हमको बनाने की जरूरत है । महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में जहाँ गरीबों के, भूमिहीनों के मकान नहीं हैं, उनको आवास बनाकर मकान देने की जरूरत है, उनको भेड़-बकरियों की तरह घर ढाह कर बाहर भेजने की जरूरत नहीं है । महोदय, यहाँ ए०पी०एम०सी० एक्ट के पुनर्बहाली की जरूरत है, फर्जी बिजली बिल जो दिया गया है उसको माफ कर नये सिरे से बिल देने की जरूरत है, छात्र युवाओं के शिक्षक की बहाली के लिए एस०टी०ई०टी० के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को व्यापक, छात्रों को, शिक्षकों को...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, हमें समाप्त करने दिया जाय । अभी मेरा 9 मिनट नहीं हुआ है, हमको 9 मिनट बोलना है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इसलिए हमें उन शिक्षकों के पुनर्बहाली की, उन्हें बहाल करने के लिए बिहार का नया मॉडल तैयार करना होगा, नया मॉडल पेश करना होगा । हमारे यहाँ अरवल में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको तो पेमेंट भी तीन-चार महीने का नहीं मिला है लेकिन पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों को पुनर्बहाली कर उनका समायोजन करना होगा और कोरोना काल में ये जो मानव बल के रूप में टेक्निशियन थे और अस्पताल में जो

स्वास्थ्य कर्मी के रूप में बहाल किये गये थे उनलोगों को समायोजन करने की जरूरत है। महोदय, यहाँ हमें यह कहना होगा कि...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, जो महिला दलितों के ऊपर हिंसा बढ़ी है, उस हिंसा पर रोक लगाना होगा । महोदय, स्कीम वर्करों को न्यूनतम मानदेय देना होगा । आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को जीने लायक मानदेय...

उपाध्यक्ष : महा नंद बाबू, अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी । आपका तीन मिनट समय है ।

(व्यवधान)

अब जीतन बाबू, खड़े हो गए ।

श्री जीतन राम मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा के पटल पर जो बिहार विनियोग विधेयक, 2023 पेश हुआ है, उस बजट के पक्ष में हम आज खड़े हैं और पक्ष में इसीलिए खड़े हैं कि जो वर्तमान सरकार विकास के कार्यों को अपने बूते से बाहर, मतलब जो इनसे हो सकता था उससे ज्यादा काम कर के बिहार के विकास की गति को बढ़ा रहे हैं । सेंट्रल सरकार को चाहिए था, पहले था 90 और 10 का अनुपात, फिर हुआ 60 और 40 का अनुपात, उसमें भी अब वे अनुपात का जो पैसा देना चाहिए अब वे नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद अपने बजट से, अपने संसाधन से और यहाँ के वित्तीय प्रबंधन से ये बिहार सरकार आगे बढ़ रही है, ये काबिले तारिफ है और इस बात का द्योतक है कि अगर हम पैसा नहीं खर्च करते तो फिर अनुपूरक विनियोग विधेयक, 2023, क्यों लाते ? कहने का मतलब है कि हम बजट बनाते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं और ठीक जगह पर पैसा खर्च करते हैं। कहने को तो बहुत है हुजूर, आज गाँव-गाँव में बात जो चल चुकी है दो चीजों के बारे में, विशेष कर कि नीतीश कुमार जी के समय में जब से ये आये हैं, तब से बिजली के क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि गाँव में 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है और सड़कों का जहाँ तक सवाल है लगभग हर गाँव सड़कों से जुड़ गये हैं और सड़क इतनी अच्छी हो गयी है कि कल ही हम पूर्णिया से 4.30 घंटे में पटना आ गए हैं तो यह सब साबित करता है कि सड़क की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गयी है लेकिन महोदय, एक बात कहना चाहते हैं कि:

सचिव, वैद्य, गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस ।
राज, धर्म, तनु तीनि कर होइ बेगिहिं नास ।।

वैसी परिस्थिति में हम मित्र हैं, हम मंत्री हैं, इसलिए इस सरकार को हम कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं और वह सजेशन यह है कि अभी एक मामूली बात है हमारे बाँके बाजार प्रखंड में, समझते होंगे श्रवण बाबू, वहाँ सात एकड़ जमीन बिहार सरकार ने

वन विभाग को दे दी और वहाँ पर अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय बनना था, मात्र ग्रामीण विकास को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 24 लाख या 28 लाख रुपया देना है, चार वर्षों से नहीं दिया है जिसके चलते अंचल-सह-प्रखंड भवन बाँके बाजार, गया जिला में नहीं बन रहा है । ये बहुत छोटी-सी बात है, इस चीज को अगर कर दिया जाता तो आज बाँके बाजार जो नक्सलाइट बेल्ट है लोग कम-से-कम समझते तो इस तरह का काम करना चाहिए, आज इसके माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । महोदय, दूसरी ओर हम यह कहना चाहते हैं कि सारे बिन्दुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी मंथन किये हैं, काम कर रहे हैं लेकिन मेरी समझ से ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ कि इनको एक तरह से दखल-दिहानी या दखल अभियान चलाना चाहिए था, उससे होता क्या कि आज जितनी जमीन हमलोगों को भूदान से मिली है, बिहार सरकार सीलिंग से दी है या पर्चा से मिली है, वह हम समझते हैं कि 15-20 प्रतिशत भी उसके कब्जे में नहीं है और वह दूसरे के कब्जे में है, जिसके चलते आज वे हमलोगों के पास आते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में क्षेत्र में गए थे, उस यात्रा में भी इनको समय मिलता था तो हमारा कहना था कि अभियान दखल-दिहानी जो वर्ष 2015 में चलायी जा रही थी और वर्ष 2015 के 30 जून तक हर हालत में ऐसी जमीनों को हम लोगों में बाँट देंगे और वह थी पाँच डिसमिल जमीन मकान बनाने के लिए...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, एक मिनट । और एक एकड़ जमीन देंगे खरीफ खेतों को खेती के लिए, तो इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, इस सरकार को करना चाहिए और एक अंतिम बात हम कहना चाहते हैं, आज वन विभाग में या कुछ और नल-जल योजना या जो सिंचाई वाली बात आयी है, उसे देखा जा रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री जीतन राम मांझी : गरीब तबके के लोग जहाँ बसे हुए हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, एक मिनट । माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, हमको याद है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है कि जो 50 वर्षों से सड़क किनारे, 50 वर्षों से पईन किनारे सब लोग रह रहे हैं, बिहार के भूदान जग की जमीन में लोग रह रहे हैं...

उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाय, बहुत टाईम हो गया ।

श्री जीतन राम मांझी : उसको बुलडोजर चला कर हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ और अंतिम बात विभाग में जो जमीन है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी । आपका 2 मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक, 2023 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार ने काम किया है और वह काम दिखाई पड़ता है । मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ जिसे सब लोग महसूस करते हैं आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं । बिहार के अंदर विकास के जो आईने हैं, आज यहाँ जो सड़कों का निर्माण हुआ और बिजली का जो काम हुआ, इसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और इसीलिए हम इस पक्ष में पूरी तौर पर खड़े हैं कि सरकार जो पेश की है उसको सर्वसम्मति से आप पारित कीजिये । इसी के साथ हम कुछ सरकार से माँग भी करना चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि...

...क्रमश:...

टर्न-28/संगीता/06.03.2023

श्री अजय कुमार (क्रमशः) : ग्रामीण विकास विभाग का जो सबसे प्रमुख काम है जो देश के गरीबों के, मजदूरों के लिए जो मनरेगा कानून बनी हुई है, इस मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए जो 210 रुपया जो मजदूरी है, वह बिहार के दैनिक मजदूरी जो आप तय किये हैं उससे कम है इसको कम से कम केरल के अंदर, जो केरल की सरकार ने 292 रुपया किए हुए है, उतना करने का हम उम्मीद करते हैं कि जब सरकार बैठेगी तो इस पर जरूर विमर्श करेगी और इसके साथ ही मैं 2-3 और सुझाव देना चाहता हूं, एक तो जो है...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री अजय कुमार : स्वच्छता मिशन जो चल रहा है उसमें जो अनुदान के पेमेंट का जो पेंचीदगी है उसको सरलीकरण करने की जरूरत है । इसके साथ ही आवास योजना में जो मिसमैच है, एक नंबर एकाउंट्स के नंबर की वजह से जो पेमेंट नहीं होता है उसके बारे में भी तकनीकी तौर पर सुधार करने की जरूरत है । एक शब्द हमको कहना है सिर्फ चूंकि चर्चा किए थे देश के चौकीदार के नाम को लेकर के, देश के चौकीदार कौन नहीं जानता वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, देश के चौकीदार । विश्वगुरू बनने चले हैं, और आज देश के हालात क्या हैं आपने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा था जब...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : तो देश का मान-सम्मान गिरती है और आज कहां चला गया है, मात्र 84-85 रुपया प्रति डॉलर...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है...

(व्यवधान)

और हिन्दुस्तान में...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त जी बोलिए ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, बिहार की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार के गांवों का विकास हुआ है । महोदय, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 36.93 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी है जिसमें लगभग 33 लाख से ज्यादा आवास पूर्ण हो चुका है । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार ने लगभग 13 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण कराया है । ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर राज्य सरकार सजग है । सरकार ने लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 122.15 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराया है । व्यक्तिगत शौचालय सुलभता के अंतर्गत सरकार ने साल 2022-23 में 1.97 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया है महोदय । ये बिहार सरकार की उपलब्धि है । महोदय, मैं इन लोगों को से जानना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : एक मिनट महोदय, जिस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी उस समय सरकार ने लागू किया था 35 किलो अनाज राशन कार्ड के माध्यम से, आज भाजपा की सरकार है, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, मात्र 5 किलो अनाज पर अटक गया है, ये लोग गरीबी विरोधी हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी गरीब विरोधी हैं, इन लोगों को हृदय पर हाथ रखकर बोलना चाहिए कि आपने...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : जनकल्याणकारी योजना केंद्र सरकार ने क्या किया है आज तक गरीबों के लिए...

उपाध्यक्ष : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी, 2 मिनट समय है आप अपनी बात को रखिए...

श्री सुर्यकान्त पासवान : आप बताइए, आपने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थीं, उसको समाप्त करने का काम किया...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बोलिए माननीय सदस्य ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने समय दिया नेता प्रतिपक्ष के साथ पातेपुर की उन तमाम जनता को मैं धन्यवाद देता हूं आभार प्रकट करता हूं जिनकी कृपा से मैं बिहार विधान सभा लोकतंत्र के मंदिर में आकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीम राव अंबेदकर मेरे रग-रग में हैं उनके बिना तो पूरा जग ही अधूरा है निश्चिंत रहिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिहार बजट है, वह बजट जो है बिहार में 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये का बजट बिहार सरकार ने लाया है साथ ही बहुत बोल रहे थे हम देख रहे थे आप सब लोगों को, बजट पर बहुत कम और बिहार के बाहर का कुछ ज्यादा बात रख रहे थे, हम बजट पर केवल आयेंगे, 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपया में उपाध्यक्ष महोदय, 60 परसेंट वह केंद्र सरकार अनुदान के रूप में बिहार सरकार को देती है जो 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपया अनुदान के रूप में केंद्र सरकार देती है और जो बजट है उपाध्यक्ष महोदय, उस बजट का 37 परसेंट जो वेतन और ब्याज पर खर्च करना है वह 2 लाख 78 हजार 48 करोड़ रुपया केवल बजट का 37 परसेंट वह केवल वेतन और ब्याज पर आपका खर्च हो जाएगा । बचा 53 हजार 937 हजार करोड़ रुपया, उसमें से ऋण के रूप में बिहार सरकार को लौटाना है जो ऋण है आप पर वह ऋण के रूप में आपको 23 हजार 959 करोड़ रुपया आपको ऋण के रूप में रिटर्न करना है, आपके पास बचा क्या, जो बचा पैसा बिहार के बजट में वह बचा 30 हजार 378 करोड़ यानी बजट का 12 परसेंट राशि ही बिहार में बच रही है उपाध्यक्ष महोदय । आप बताइए कि 12 परसेंट का मतलब हुआ 30 हजार 378 करोड़ । उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन के माध्यम से आपसे पूछते हैं कि क्या केवल 12 परसेंट की राशि से ही बिहार का विकास करना चाहते हैं आप, क्या केवल 30 हजार 378 करोड़ रुपया में ही आप सड़क, पुल-पुलिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप काम करोगे क्या, केवल मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इसी से युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार दोगे क्या ? जब आपके पास से बजट की जो राशि है लग रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है महोदय, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है । क्या है बजट में आपके, कोई जान बजट में नहीं है, इसपर मैं केवल एक शेर कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय बजट पर...

''मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है
पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं हौसलों से उड़ान होती है ।''

आपके हौसले में तो कुछ है ही नहीं, केवल 12 परसेंट आपके बजट में बचा हुआ है और उसी से आप क्या विकास कीजिएगा...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी बोल रहे थे, केवल एक बार आपसे निवेदन पूर्वक कहूंगा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मांझी जी चूंकि आप बड़े लीडर हैं बिहार के, दलितों के नेता हैं आप, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस बात को जो एस0सी0/एस0टी0 कल्याण मंत्रालय है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी आपके ही हिस्से में दे रखा है । आपका एक न्यूज हम पढ़े हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रौशन जी...

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान के रूप में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रौशन जी अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : नहीं, नहीं मेरा समय है अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़े ही होगा मेरा समय है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने कहा अब आप संक्षिप्त कर लीजिए सरकार का उत्तर जरूरी है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइये ।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास तृतीय अनुपूरक विषय पर कुल माननीय 13 सदस्यों ने अपनी बात को रखी है महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, केवल यह देख लीजिए बहुत लोग बाबा साहब भीम राव अंबेदकर के आर्शीवाद से संविधान के बल पर हम जीतकर आए हैं । इतिहास साक्षी होगा कि ये जो 2023-24 का बजट है उसमें एस0सी0/एस0टी0 कल्याण विभाग के लिए जो छात्रवृति का पैसा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली भी मिला हूं...

(क्रमशः)

टर्न-29/सुरज/06.03.2023

(क्रमशः)

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में भी मैंने इस बात की ओर ध्यान केन्द्रित किया था कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा है, वह पैसा बिहार के अंदर बंद हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मांझी जी, जिस कारण बिहार के लगभग 5 लाख से अधिक जो एस0सी0/एस0टी0 के नौजवान हैं जो पढ़ता है, लिखता है, जिसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलशिप मिलता था, जिस पैसे को लेकर वह विद्यार्थी राज्य और राज्य के बाहर पढ़ता था, वह पैसा बंद हो गया । जिस कारण से बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो

गया है और उसके बाद जो कल्याण विभाग है, उस कल्याण विभाग का जो बजट है जो बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये बजट है, उस बजट में कहीं से कोई प्रावधान नहीं है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुल 13 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, खान साहब । माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नहीं-नहीं, सरकार को बोलने के लिये मैंने कह दिया है, आप बैठ जाइये।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किया है उसको मैंने काफी गंभीरता से सुना है । चाहे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखी हो, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखी हो । दोनों पक्ष की बातों को मैंने गंभीरता से सुना है । जिन लोगों ने सार्थक सुझाव दिया है उसको निश्चित रूप से ग्रामीण विकास विभाग में सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, अब सरकार का उत्तर हो रहा है

(व्यवधान)

इसलिये तो आज बंद नहीं किया गया और जल्दी पास हो जायेगा तो आप सबलोग अपने-अपने क्षेत्र में भी जायेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा माननीय जनक सिंह जी और माननीय प्रमोद जी ने जो बातें रखी हैं उनकी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी बात को सदन सुन लिया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : पूरी बात को मैंने सुना है । इनको ग्रामीण विकास विभाग से कोई लेना-देना नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से कोई मतलब नहीं है । ये अपनी बात को शहरों में जिस तरह से ये चाहते हैं और इनके नेता जिस तरह से सिर्फ शहरों का विकास चाहते हैं उसी के इर्द-गिर्द बातों को घुमाते रह गये और दूसरे जो हमारे माननीय सदस्य, प्रमोद जी बहुत सीनियर लीडर हैं, ये तो अखबार का कतरन ही उड़ाते रह गये, तो अखबार के कतरन से विकास नहीं होगा । कुछ आपको सुझाव देना चाहिये था, आपने गांव के विकास के लिये कोई सुझाव नहीं दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो बोलते हैं, उनको गांव

के विकास से कोई लेना-देना नहीं है । जब हम गांव के विकास के लिये, गरीबों के लिये योजना बनाते हैं, उनके विकास के लिये पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं और कटौती सिर्फ विधान सभा में नहीं करते हैं, दिल्ली से भी कटौती करवाने के लिये आपलोग पैरवी करते हैं । इसी का अंदाजा मिल रहा है कि दिल्ली से हमको किस तरह से पैसा मिल रहा है । मनरेगा का मैं मामला बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कि मनरेगा में हमने मांगा था पहले 27 करोड़ मानव दिवस का प्रस्ताव दिया था भारत सरकार को तो भारत सरकार ने कितना हमको दिया मात्र 15 करोड़ मानव दिवस सृजन करने के लिये दिया, फिर जब हम 15 करोड़ पूरा कर लिये तो फिर हमने लिखा कि हमने जो 27 करोड़ मांगा था, वह 27 करोड़ मिलना चाहिये था, तब फिर कितना मिला 2 करोड़ 50 लाख मिला । फिर मैंने भारत सरकार को लिखा कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव पर विचार कीजिये तब जाकर 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य मिला और आपको सुनकर आश्चर्य होगा और सदन को मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है । जब 136 दिनों तक लगातार बिहार के मजदूर काम करेंगे और एक छदाम उसके खाते में पैसा नहीं जायेगा तो गरीब हवा पीकर रहेगा । इनकी सोच गरीबों को उजाड़ने वाली सोच है, इनकी सोच गरीबों को बर्बाद करने वाली सोच है, इनकी सोच ये है कि बिहार का जो श्रमिक है वह चला जाय दूसरे प्रदेश में और लोग यह कहेंगे, हंसेंगे कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी का शासन है वह गरीब को नहीं देखता है, मजदूर को नहीं देखता है, उनको अपने राज्य में काम नहीं मिलता है । ये काम करके साजिश के तहत ये आगे हमारे मजदूरों को भेजना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं । मनरेगा में कटौती भी किया है । सभी माननीय सदस्यों ने कहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा 40 परसेंट जा रहा है । नाम है केन्द्र प्रायोजित योजना और पैसा हमें 40 परसेंट लगाना पड़ता है । आप क्यों नहीं इसका नाम केन्द्र राज्य प्रायोजित योजना रखते हैं, क्यों नहीं अगर आप गरीबों का हक-हिस्सा देना चाहते हैं तो पूरा पैसा 100 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना में दीजिये । हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार की सरकार अलग से उसके लिये योजना चला ही रहे हैं । हम उस योजना में पैसा खर्चा करेंगे, तो नाम रखेंगे केन्द्र प्रायोजित योजना और काम होगा राज्यों के जो संसाधन हैं उसमें भी लगाना पड़ता है । दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास में हमारे कुछ जिले के लाभुक का नाम छूट गया है जिसमें मुजफ्फरपुर है, औरंगाबाद है और कुछ ऐसे जिले हैं जिसका तकनीकी कारण से हमारे आवास ऐप पर वह नहीं चढ़ सका है । हमने तो भारत सरकार को पत्र लिखा अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया और भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम इतना गरीबों का हक दे रहे

हैं, गरीबों के लिये आवास दे रहे हैं । ये गरीब के लिये देना नहीं चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करते हैं । अखबार और मीडिया से प्रचार करने से गरीब के पेट में रोटी नहीं जायेगा, गरीब को छत नहीं मिलेगा । गरीब के लिये आपको पैसा देना पड़ेगा, गरीब के लिये काम करना पड़ेगा, जो काम हमलोग बिहार में करते हैं । हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष को और सदन में भाजपा के जो माननीय सदस्य हैं...

(व्यवधान)

हल्ला करने से नहीं बनेगा..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चलाते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना चलाते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना चलाते हैं । भारत के दूसरे किसी राज्य में ये नहीं हैं जितनी चिंता हमने गरीबों के लिये किया है, उतनी चिंता देश का कोई राज्य आज गरीबों के लिये नहीं कर रहा है । महोदय, इसी प्रकार से लोहिया स्वच्छता अभियान जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने किया है और हमने जिस समय शुरू किया था, ग्रामीण विकास को यह मिला था 1 करोड़ 60 लाख परिवार के पास शौचालय नहीं था । उनके शौचालय हमने बनाने का काम किया । 1 करोड़ 20 लाख घरों में हमने शौचालय बना दिया लेकिन और भी जो बचे हुये हैं उनको भी जोड़ने का हम काम कर रहे हैं और दूसरा फेज हमारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का चल रहा है और हर ग्राम पंचायत में हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट घर से कचरा निकालकर के लायेंगे और डब्लू0पी0ओ0 में उसका छटैया करेंगे और जो वेस्टेज हैं उससे हम कुछ सामान बनायेंगे और सामान बनाकर हम बेचने का भी काम करते हैं और उसी पैसे से डब्लू0पी0ओ0 में जो काम करेंगे स्वच्छताग्रही उसको पैसा देकर के उसके मानदेय का भुगतान करेंगे । स्वच्छता का जो क्षेत्र है बहुत आसान नहीं है आपसे कहना चाहते हैं चाहे सदन में बैठे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों । सब लोग अगर मिलकर के स्वच्छता को अपनाने की बात चलायेंगे, अपनी जुबान को चलायेंगे, अपने क्षेत्रों में इसका ठीक से प्रचार-प्रसार करेंगे, तो जब स्वच्छता आ जायेगी तो गाढ़ी कमाई का पैसा जो आज बीमारी पर खर्चा कर रहे हैं, वह अपने परिवार की तरक्की पर खर्चा होगा इसलिये स्वच्छता के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिये । महोदय, जीविका के बारे में हमें क्या कहना है, जीविका के बारे में तो देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने जब नाम पुकारा बबीता गुप्ता जी का तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे बिहार की जो बबीता गुप्ता है, जो मुजफ्फरपुर के सकरा ब्लॉक की रहने वाली है और

उन्होंने जो काम किया है वह पूरा देश जानता है । किस प्रकार से गरीब घर की महिला को आज राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है और सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया ने बबीता गुप्ता का नाम लिया और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है जीविका के दीदीयों के लिये, जीविका समुह के लिये वह अद्वितीय है । बिहार में 10 लाख 35 हजार से भी ज्यादा स्वयं सहायता समुह है । 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हमलोग शामिल किये हैं और भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है । इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें । महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक के माध्यम से हम सदन के समक्ष विभिन्न कार्यक्रमों यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 217986.19 लाख (21 अरब 79 करोड़ 86 लाख 19 हजार रुपया), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 28873.00 लाख (2 अरब 88 करोड़ 73 लाख रुपये) महात्मा गांधी नरेगा (सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी हेतु 778.54 (7 करोड़ 78 लाख 54 हजार रुपये) सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु 10000.00 लाख (1 अरब रुपये) एवं प्रखंड स्थापना हेतु 732.00 लाख (7 करोड़ 32 लाख रुपये)

(क्रमशः)

टर्न-30/राहुल/06.03.2023

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (क्रमशः): अर्थात 25 अरब 83 करोड़ 69 लाख 73 हजार रुपये की स्वीकृति के लिए उपस्थित हुए हैं । मेरा आग्रह है कि सदन इस पर अपनी सहमति प्रदान करे और माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव लाये हैं उनसे आग्रह है कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और हमारे भाषण का जो पार्ट बच गया है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाय ।

(माननीय मंत्री जी के भाषण का अंश- परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

(व्यवधान)

आप कृपया शांत रहें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए हम लोग बैठे, दलितों के प्रति इनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है और लूट की छूट की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है इसलिए इनका हम बहिष्कार करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आपलोग सुनना नहीं चाहते हैं तो भागबे कीजियेगा, गरीब से कोई मतलब है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, आप शांत बैठें, इन लोगों को सुनना नहीं था, काम की बात सुनने में इन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है ।

माननीय सदस्यगण, आज आप सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही सदन की कल की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है । आप सबों को राज्य के महत्वपूर्ण त्यौहार में भाग लेने अपने-अपने क्षेत्र में जाना है इसलिए सदन की अनुमति से मैं आज के बिजनेस से संबंधित सभी प्रस्ताव अब सदन में रखता हूं ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2, अधिनियम, 2022, बिहार विनियोग संख्या-3, अधिनियम, 2022, बिहार विनियोग संख्या-4, अधिनियम, 2022 के उपबंध के अतिरिक्त 25,83,69,73,000/- (25 अरब 83 करोड़ 69 लाख 73 हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2, अधिनियम, 2022, बिहार विनियोग संख्या-3,

अधिनियम, 2022, बिहार विनियोग संख्या-4, अधिनियम, 2022 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 27,19,22,000/- (सत्ताईस करोड़ उन्नीस लाख बाईस हजार) रुपये,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 9,50,76,000/- (नौ करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 3,22,77,47,000/- (तीन अरब बाईस करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,000/- (एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 2,12,00,000/- (दो करोड़ बारह लाख) रुपये,

मांग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 33,50,000/- (तैंतीस लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 24,00,01,000/- (चौबीस करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 3,30,15,000/- (तीन करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये,

मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये,

मांग संख्या-11 पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 3,04,00,000/- (तीन करोड़ चार लाख) रुपये,

मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 4,02,22,00,000/- (चार अरब दो करोड़ बाईस लाख) रुपये,

मांग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपये,

मांग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 1,07,20,000/- (एक करोड़ सात लाख बीस हजार)

मांग संख्या-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 47,27,000/- (सैंतालीस लाख सत्ताईस हजार) रुपये,

मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1,89,49,18,000/- (एक अरब नवासी करोड़ उनचास लाख अठारह हजार) रुपये,

मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 24,39,39,00,000/- (चौबीस अरब उनतालीस करोड़ उनतालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 18,49,50,000/– (अठारह करोड़ उनचास लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 1,10,00,000/– (एक करोड़ दस लाख) रुपये,

मांग संख्या–25 सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 8,33,00,000/– (आठ करोड़ तैंतीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 1,23,12,000/– (एक करोड़ तेईस लाख बारह हजार) रुपये,

मांग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 40,00,000/– (चालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 21,42,00,000/– (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,00,000/– (दो लाख) रुपये,

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 26,92,00,000/– (छब्बीस करोड़ बानवे लाख) रुपये,

मांग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 88,00,000/– (अठ्ठासी लाख) रुपये,

मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1,00,00,00,000/– (एक अरब) रुपये,

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 6,50,00,00,000/– (छः अरब पचास करोड़) रुपये,

मांग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 46,50,00,000/– (छियालीस करोड़ पचास लाख) रुपये,

मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 2,77,99,000/– (दो करोड़ सतहत्तर लाख निन्यान्वे हजार) रुपये,

मांग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 5,00,00,00,000/– (पांच अरब) रुपये,

मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 25,83,69,73,000/– (पच्चीस अरब तिरासी करोड़ उनहत्तर लाख तिहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 10,22,60,000/– (दस करोड़ बाईस लाख साठ हजार) रुपये,

मांग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 30,53,10,000/– (तीस करोड़ तिरपन लाख दस हजार) रुपये,

मांग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 62,85,000/- (बासठ लाख पचासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 27,99,00,000/- (सत्ताईस करोड़ निन्यान्वे लाख) रुपये,

मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 15,14,09,04,000/- (पन्द्रह अरब चौदह करोड़ नौ लाख चार हजार) रुपये,

मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 39,70,00,000/- (उनतालीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये,

मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 12,48,25,98,000/- (बारह अरब अड़तालीस करोड़ पच्चीस लाख अठ्ठान्वे हजार) रुपये, से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विनियोग विधेयक, 2023 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग विधेयक, 2023 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विनियोग विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।"

महोदय, यह प्रस्ताव मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी-अभी तुरंत आप ही के माध्यम से इस सदन ने जो सरकार की तरफ से हम लोगों ने दस हजार तीन सौ इक्कीस

करोड़ और पांच लाख बावन हजार करोड़ रुपये की तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांग प्रस्तुत की थी विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग विभागों की, उसकी स्वीकृति सदन ने दी है अभी तुरंत आपके समक्ष । अब उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इतनी राशि की भी हमको जरूरत पड़ेगी जो हमको राज्य की संचित निधि से निकालनी है । हम अब उसकी इजाजत के लिए सदन के सामने इस विनियोग विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव ला रहे हैं और आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करते हैं कि जिसकी स्वीकृति सदन ने दी है उन्हीं के क्रियान्वयन के लिए यह विनियोग करने की अनुमति दे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-06 मार्च, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 49 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-13 मार्च, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX - आसन के आदेशानुसार यह अंश विलोपित किया गया ।

परिशिष्ट

①

ग्रामीण विकास विभाग
दिनांक– 06.03.2023

अध्यक्ष महोदय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में चल रहा है।

- ➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रारंभ में 27 करोड़ मानव श्रम दिवस की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया।
- ➢ उक्त प्रस्ताव के आलोक में मात्र 15 करोड़ की स्वीकृति दी गई ।
- ➢ अगस्त, 2022 में 15 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजन कर लेने के बाद पुनः पूर्व प्रस्ताव के अनुरूप 27 करोड़ की स्वीकृति का अनुरोध किया गया।
- ➢ इसमें से 2 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति मिली जिसे भी पूर्ण कर लिया गया।
- ➢ पुनः पूर्व प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुरोध भेजा गया जिसमें 7 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति मिली।
- ➢ इस प्रकार कुल 25 करोड़ मानव दिवस श्रम दिवस सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- ➢ बिहार ने अब तक 20 करोड़ 91 लाख श्रम दिवस सृजित कर लिया है।

②

अध्यक्ष महोदय,

- मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी मात्र 210 रूपया है।
- मजदूरी बढ़ाने हेतु समय–समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
- लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाई गई
- राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 350 रूपया मजदूरी दिया जाता है।
- सामग्री मद में केन्द्र एवं राज्य की राशि की अनुपात 75:25 है।
- नाम केन्द्र प्रायोजित है लेकिन राज्यों को भी 25 प्रतिशत राशि देनी होती है।
- इसलिए इस योजना का नाम केन्द्र+राज्य– राज्य संपोषित योजना रखा जाना चाहिए।
- केवल नाम देकर केन्द्र अपनी योजना बनाना चाहती है।

अकुशल मजदूरी मद

अध्यक्ष महोदय,

- केन्द्र सरकार ने अकुशल मजदूरी के मद में अब तक विभिन्न किस्तों में 5 हजार 476 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया है।
- इस उपलब्ध निधि में अब तक 4 हजार 602 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

③

सामग्री मद

- सामग्री मद में इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में मात्र 848 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है।
- सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में 2022–23 में 1 हजार 982 करोड़ से ज्यादा बकाया है।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना चलाने के पीछे मुख्य मकसद मजदूरों को काम देना है एवं राज्य के मजदूरों को पलायन से रोकना है लेकिन श्रम बजट नहीं रहने से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। जब मजदूरी का भुगतान नहीं होगा तो मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार बिहार राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए जाने को मजबूर केन्द्र सरकार करना चाहती है।

- 61 दिनों तक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान लगातार नहीं हुआ ।
- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 168 दिनों तक मजदूरों का मजदूरी का भुगतान बन्द रहा।
- यह साबित करता है कि देश में गरीबों की सरकार नहीं है, बल्कि बहलाने–फुसलाने वाली सरकार है।

(4)

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना से गरीबो के लिए हमने कई काम किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड का निर्माण करा रही है। एक तरफ जहाँ कृषि एवं किसानों के लिए चेक डैम बनाये हैं तो वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्र बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है।

अन्य राज्यों के अपेक्षा चेक डैम के निर्माण, कुआँ के निर्माण एवं तालाब के निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण में बिहार ने बेहतर काम किया है।

- नालन्दा में बने चेक डैम के मॉडल को पूरे भारत में लागू किया गया है।
- नवादा में निर्मित कुआँ के लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- मोतिहारी में निर्मित तालाब के उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार की चार महिलाओं को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया गया है।
- अमृत सरोबर की योजना तो 2022 में केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई, जबकि उसके पूर्व ही बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना से 42 हजार 618 तालाब का निर्माण (मनरेगा योजना) से कराया जा चुका है।
- अमृत सरोबर योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय "स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान "

- मुजफ्फरपुर निवासी श्रीमती **बबीता गुप्ता** को जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 को मनाये जाने वाला सप्ताह में आगामी 04 मार्च को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में **"स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023"** से सम्मानित किया जाएगा ।
- श्रीमती बबीता को यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। ।
- श्रीमती बबीता स्वयं सहायता समूह (जीविका) की सदस्य हैं ।
- प्लास्टिक कचरा आज के दौर की बड़ी समस्या है, जिससे निपटना बड़ी चुनौती है।
- मुजफ्फरपुर अंतर्गत सकरा प्रखंड के सीहो निवासी बबीता गुप्ता प्लास्टिक अपशिष्ट को नवोन्मेषी तरीके से सजावटी उत्पाद में रुपांतरण कर रही हैं।
- श्रीमती बबीता प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर तथा बेचकर धन अर्जित कर रही है ।
- **साथ ही, महिलाओं को यह कला सीखने के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित कर रही हैं** । उनकी इस मुहिम से प्लास्टिक कचरा जिसे बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं, उसका उचित निपटान हो रहा है तथा दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं ।

- पूर्व में श्रीमती बबीता गुप्ता का परिवार खुशहाल था । इसी बीच अचानक पति की दिव्यांगता के कारण परिवार पर संकट का बादल छा गये।
- श्रीमती बबीता जीविका की सदस्य बनी तथा धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर लौटने लगी। इस बीच उन्होंने प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने की कला सीखी।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है ।
- प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के तहत मुजफ्फरपुर के सकरा में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गयी है । बबीता गुप्ता इस इकाई से जुड़ी हैं ।
- इस केंद्र पर पूरे प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों से एकत्रित प्लास्टिक कचरा आता है । बबीता गुप्ता को एक ही जगह पर बहुतायत में प्लास्टिक अपशिष्ट मिल जाता है । साथ ही, इस इकाई पर बने प्रशिक्षण केंद्र पर वह प्लास्टिक कचरे से उपयोगी बस्तु बनाने का प्रशिक्षण भी देती हैं।
- श्रीमती बबीता गुप्ता द्वारा अपने समूह के उत्पादों को पटना में आयोजित विश्व शौचालय दिवस 2022 प्रदर्शनी, राजगीर महोत्सव, हाल में संपन्न “समाधान यात्रा' इत्यादि में प्रदर्शित किया गया, जिसमें उन्हें काफी सराहना मिली।

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता एवं पेयजल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' के लिए ऑनलाइन नामांकन मांगा गया था । इसमें नामांकन करने वाली महिलाओं को अपने कार्य के बारे में आलेख एवं वीडियो बनाकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वेबसाइट पर प्रेषित करने हेतु कहा गया था ।
- बिहार राज्य से 130 महिलाओं द्वारा विविध कोटि यथा- गांव को ओडीएफ प्लस बनाने योगदान, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में आवेदन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर से आए नामांकन में जलशक्ति मंत्रालय द्वारा बबीता गुप्ता को 'SHG सदस्य श्रेणी' में 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन' के क्षेत्र हेतु पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
- श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से अपशिष्ट को 'संसाधन' में बदलने तथा इसे जीविकोपार्जन का जरिया बनाने वालों का उत्साह बढेगा ।

<u>ऐसे बेकार की प्लास्टिक बन जाती है सजावटी सामग्री</u>

- बबीता गुप्ता प्लास्टिक कचरे को सूती एवं ऊनी धागे, रंगों के माध्यम से सजावटी समाग्री बनाती हैं जैसे प्लास्टिक की बोतलों से – कृत्रिम फूल के बुके, एक्स-रेफिल्म की कतरनों से फूलदानी, लटकनी, पाउच, बैग, पर्स, झोले, रंग-

बिरंगे गुलदस्ता इत्यादि बनातीं हैं । यह लोगों को आकर्षित करतीं हैं और लोग इन उत्पादों को अच्छी कीमत देकर खरीदते हैं।

- श्रीमती बबीता का जीवन जीविका के जरिये पुनः खुशहाल हो गया है ।
- बिहार के विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सोच का यह परिणाम है कि श्रीमती बबीता जैसी बिहार के लाखों महिलाएं आज जीविका से जुड कर अपने जीवन को खुशहाल बना चुकी हैं ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अध्यक्ष महोदय,

बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है कि सभी गरीबों को अपना पक्का मकान हो। आवास के लिए राज्य में

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),
- प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र और राज्य का शेयर 60:40 का है।
- राज्य का शेयर इसमें 40 प्रतिशत का है।
- ऐसे में महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का नाम 'केन्द्र +राज्य' 'राज्य संपोषित योजना' रखा जाना चाहिए। आवास योजना में बिहार सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
- स्वीकृत आवास की संख्या–9 लाख 99 हजार 688
- पूर्ण आवास की संख्या– 8 लाख 50 हजार 370
- अपूर्ण आवास की संख्या 1 लाख 49 हजार 318
- पूर्णता का प्रतिशत 85 प्रतिशत

हम प्रतिबद्ध हैं गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए और हम समय से शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर लेंगे।

②

अध्यक्ष महोदय,

तकनीकी कारणों से वंचित आवास के लाभूक

राज्य के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद एवं अन्य जिलों तथा कुछ प्रखण्डों एवं कुछ पंचायतों के गरीबों की सूची आवास प्लस ऐप लोड नहीं हो सका है। उसे जोड़ने के लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा हूँ परन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो गरीब तकनीकी कारणों से वंचित है, उन्हें आवास का लाभ मिल सके।

मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि छूटे हुए गरीबों को आवास प्लस ऐप में जोड़ने की अनुमति भारत सरकार दे।

③

अध्यक्ष महोदय,

बिहार की महागठबंधन सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिर्फ गरीबों की बात नहीं करते बल्कि गरीबों की चिन्ता करते हैं और गरीब को कैसे सहायता हो उसके लिए योजना बनाकर राज्य के गरीबों को मदद पहुँचाने का काम भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैनें कहा है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गरीबों के हित के लिए हमेशा चिन्ता करते रहते हैं इसका परिणाम है कि आवास से संबंधित

- "मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),
- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना
- मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना"

ये तीन हमारी ऐसी योजना है जो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है –

(1). 1 जनवरी 1996 से पहले दलित, महादलित एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों का घर कलस्टर में बना था जो अब रहने के लायक नहीं है उसके लिए उन्हें 1 लाख 20 हजार रूपया राज्य के खजाने से दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

(2).दूसरी योजना ऐसे लोगों के लिए हैं जो आवास के हकदार और जिनका नाम आवास सूची में शामिल है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। आहर एवं पोखर के तटबंध पर बसे हैं तो सरकार की तरफ से जमीन दी जाती है। सरकारी जमीन नहीं रहने पर उन्हें 60 हजार रूपया जमीन खरीदने के लिए राज्य के खजाने से देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की योजना भी अन्य राज्यों में नहीं है।

(3). तीसरी योजना– 1 अप्रैल 2010 से पूर्व जिनकों आवास की स्वीकृति दी गयी है और आवास आधा अधूरा रह गया है तो

(4)

उसे पूरा करने हेतु उन्हें राज्य के खजाने से 50 हजार रूपया का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की योजना बिहार के बाहर किसी अन्य राज्यों में नहीं है।

हमारी सरकार गरीबों की सरकार है गरीबों की चिन्ता करने वाली सरकार है, जुमला बाली सरकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय,

नेता प्रतिपक्ष अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का समय इस्तेमाल कर लेते हैं जबकि मैं जानता हूँ कि भाजपा के अधिकांश सदस्य अपनी बात मजबूती से रखने में सक्षम हैं। फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, जिससे भाजपा के माननीय सदस्य नेता विरोधी दल के व्यवहार से दूखी रहते हैं ।

नेता प्रतिपक्ष का काम सभी सदस्यों की भावना एवं उनके अधिकार का हनन करना नहीं है बल्कि इनका काम सदस्यों के अधिकार एवं उनकी भावना को संरक्षित करना है जो इनसे नहीं हो रहा है।

विरोधी दल का काम केवल सदन में हंगामा करना, कुर्सी फेंकना, टेबुल पटकना एवं सदन में उत्तेजना फैलाना ही रह गया है।

(3) (1)

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

अध्यक्ष महोदय,

बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संचालन कर रही है।

- व्यक्तिगत शौचालय से आच्छादित परिवार की संख्या– 1 करोड़ 22 लाख 15 हजार
- भूमिहीन परिवारों विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों एवं चलंत आबादी को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 9 हजार 716 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे हुए एवं नए परिवारों को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराया जा रहा है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण अब प्रारंभ हो चुका है। सात निश्चय – 2 अन्तर्गत 'स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मुख्यतः घरेलू स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, घर–घर से ठोस अपशिष्ट का उठाव परिवहन एवं समुचित निष्पादन का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2021–22 में 1 हजार 671 ग्राम पंचायत एवं 2022–23 में 2 हजार 593 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- अगर वार्ड स्तर पर देखें तो यह कार्य 39 हजार 693 वार्ड में चल रहा है।

②

- अब तक राज्य में 4 हजार 264 लक्ष्य के विरूद्ध 672 अपशिष्ट प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो चुका है। जबकि 1357 पर कार्य चल रहा है।
- यह कार्य ग्राम पंचायतों के देख–रेख में संचालित किया जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्वच्छता के कार्य में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।
- जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है वैसी जगहों का सर्वे कराकर वहाँ पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।
- माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि वे अपने क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय हेतु स्थल चिन्हित कर मुझे अनुशंसा करें ।
- स्वच्छता का काम इतना आसान नहीं है इसमें सभी तबके एवं समाज का सहयोग आवश्यक है।
- जन प्रतिनिधियों का सहयोग तो सबसे अधिक आवश्यक है।
- हम सिर्फ शौचालय का निर्माण नहीं करते बल्कि व्यवहार परिवर्तन कराते हैं ।
- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित जानकारी लोगों को दें ।

अध्यक्ष महोदय,

इस सदन का मैं लम्बे अर्से से सदस्य रहा हूँ । मैंने ऐसा जानदार शानदार नेता नहीं देखा है। ये जब स्पीकर के कुर्सी पर बैठते थे, तो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते थे तथा उसी के अनुरूप सदन चलाने की बात करते थे।

अध्यक्ष महोदय,

जब से नेता विरोधी दल कि कुर्सी पर बैठे हैं तब से अबतक ये अपनी ही बात करते हैं। सदन में काफी अनुभवी सदस्य भी विपक्ष में हैं । इन्हें तो उनसे भी सलाह लेकर सदन संचालन में सहयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय,

_ विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य वे काफी मेहनत कर सबाल बनाते हैं सदन में सबाल उठाते हैं । जब विपक्ष के नेता हीं सदस्यों को सबाल का जबाव नहीं लेने देते हैं तो राज्य की जनता एवं क्षेत्र की जनता के प्रति जो कमिटमेंट है वह प्रभावित होता है। इसका नुकसान माननीय सदस्यों को जयादा होता है।

जब प्रश्नकाल ही नहीं चलने देंगे, जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं होगा तो समस्या का हल कैसे होगा।

सरकार तो प्रत्येक प्रश्नों का जबाव देने के लिए तैयार बैठी है। फिर विपक्ष को क्या परशानी है। वे सिर्फ हंगामा खड़ा कर जनता का विश्वास जितना चाहते हैं ऐसा कतई संभव नहीं है।

(4) (1)

जीविका

अध्यक्ष महोदय,

बिहार सरकार राज्य की महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए 'जीविका' जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना चला रही है।

'जीविका योजना' मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जीविका की शुरूआत बिहार में किया तो इसी का अनुकरण करते हुए भारत सरकार ने भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (आजीविका) नामाकरण कर देश में चलाने का काम किया गया । यह बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है कि बिहार जो पहले सोचता है, करता है उसी का अनुकरण देश एवं अन्य प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

जीविका ने समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ–साथ समुदाय के बीच से सामुदायिक पेशेवर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित कर उनका क्षमतावर्द्धन किया है।

- राज्य में 10 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है।
- आत्म निर्भर परिवार की संख्या– 24 लाख 57 हजार
- पशुपालन से जुड़े जीविका परिवार की संख्या– 12 लाख 72 हजार
- गैर कृषि कार्य से जुड़े जीविका परिवार की संख्या– 2 लाख 24 हजार
- डैयरी से जुड़े जीविका दीदीयों की संख्या– 1 लाख 12 हजार

②

- मुर्गी पालन से जुड़े परिवार की संख्या– 1 लाख 87 हजार
- बकरी पालन से जुड़े परिवार की संख्या– 2 लाख 76 हजार
- मछली पालन से जुड़ परिवार की संख्या– 430
- मधुमक्खी पालन से जुड़े उत्पादक समूह की संख्या– 299
- मधुमक्खी पालन से जुड़े परिवार की संख्या– 7 हजार 693
- 9 लाख 67 हजार 850 बैंक खाता स्वयं सहायता समूह के खोले गये हैं।
- 27 हजार 818 करोड़ 34 लाख की राशि का ऋण मुहैया कराया जा चुका है।
- ग्राम संगठन की संख्या 68 हजार 616
- संकुल स्तरीय की संख्या– 1 हजार 450

बिहार में आज जीविका की दीदियाँ कई तरह के स्वरोजगार कर अपनी आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। जीविका की दीदी आज विभिन्न क्षेत्र में रोजगार कर रही है। उन्हें विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय,

जीविका दीदी 'दीदी की रसोई' चला रही है जो सरकारी अस्पतालों में शुद्ध, स्वच्छ एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन मुहैय्या करा रही है तथा अस्पताल में भर्त्ती रोगियों के लिए ड्रेस बनाने का जिम्मा भी जीविका दीदीयों को दिया जा रहा है।

- राज्य में दीदी की रसोई की संख्या– 89 (नवासी)
- रसोई से जुड़े स्वयं सहायता समूह के सदस्य की संख्या– 1 हजार 869

(2)

अध्यक्ष महोदय,

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में चल रहे एक मात्र मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में दीदी की रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में साफ–सफाई एवं मरीजों के परिधान की उपलब्धता भी जीविका की दीदीयों द्वारा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीविका दीदीयों ने मधुमक्खी पालन कर अब तक 2 हजार 418 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया है।

ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाकर 3 लाख 42 हजार से ज्यादा नौजवानों को रोजगार एवं नौकरी से जोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय,

- सतत जीविकोपार्जन योजना में चयनित निर्धन परिवारों की संख्या– 1 लाख 55 हजार 212
- चयनित निर्धन परिवारों में से 1 लाख 41 हजार 398 परिवारों को जीविकोपार्जन अन्तराल राशि दिया गया।
- 1 लाख 47 हजार 922 परिवारों एकीकृत परिसम्पति हस्तांतरित की गई।
- पूर्व में ताड़ी के उत्पादन एवं विक्री से जुड़े 30 हजार 657 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।
- पूर्व में शराब के उत्पादन एवं विक्री से जुड़े 12 हजार 819 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।

जल–जीवन हरियाली

अध्यक्ष महोदय

आज पूरी दुनियाँ जलवायु परिवर्त्तन से परेशान है। इस पेरशानी को दूर करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सभी दलों के साथ बैठक कर जलवायु परिवर्त्तन को रोकने की दिशा में योजना बनायी और राज्य में जल–जीवन हरियाली योजना चलाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में जोर–शोर से कार्य चल रहा है। इस योजना के तहत कुल– 11 अबयवों पर कार्य किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है :–

1. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा– तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना।
2. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार
3. सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उसका जीणोद्धार
4. सार्वजनिक कुओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचानाओं का निर्माण।
5. छोटी–छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन में अन्य संरचनाओं का निर्माण।
6. नये जलों स्त्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वालें क्षेत्रों में ले जाना ।
7. भवनों में छत वर्षा जल संचयन के संरचना का निर्माण।
8. पौधशाला सृजन एवं संघन वृक्षारोपण
9. वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य तकनीकों का उपयोग।

②

10. सौर उर्जा उपयोग का प्रोत्साहन एवं उर्जा की बजत
11. जल–जीवन–हरियाली जागरूकता अभियान

अध्यक्ष महोदय,

बिहार देश का पहला राज्य जहाँ जलवायु परिवर्त्तन को रोकने के लिए कदम बढ़ाया और बिहार की जनता को बिहार के सभी राजनीतिक दलों एवं कार्यकत्ताओं का तथा सामाजिक गतिविधियों में लोगों का पूरा सहायोग मिला।

इसके समर्थन के लिए मानव श्रृखंला बनायें गये जिसमें 5 करोड़ लोगों ने 18 हजार कि0मी0 सड़क पर खड़े होकर पूरी दुनियां में यह संदेश दिया कि हम जलवायु परिवर्त्तन को रोकेंगे और परेशानी, लाचारी एवं बीमारी से निजात पायेगें।

(6) ①

जाति आधारित गणना

केन्द्र सरकार बिहार को समय पर पैसा देने में भेदभाव करती है, उपेक्षा करती है। यह वरदास्त के योग्य नहीं है। केन्द्र सरकार ने तो बिहार का बुरा हाल कर छोड़ दिया। बिहार को अब हमें अपने बल–बुते आगे बढ़ाना होगा। जाति आधारित गणना की बार–बार माँग किए जाने के बाद भी केन्द्र सरकार ने नहीं कराया लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार की हितों की रक्षा के लिए जाति आधारित गणना का शुभारम्भ किया है, उसी प्रकार गरीबों के हितों के लिए हमें अपने संसाधन से योजना बनानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय,

हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर जिन्होनें राज्य की जनता से जो कमीटमेंट किया है उसे एक–एक कर पूरा करने में लगे हैं, और बिहार को उँचाई पर ले जा रहे हैं।

हमने कई योजनाओं में कृतिमान स्थापित किया है और अपने बलबुते, अपने संसाधन से बिहार को और उँचाई पर ले जायेंगे।

(7) 0

आधार

अध्यक्ष महोदय,

आधार पंजीकरण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में निविदा के माध्यम से चयनित ऐजेन्सी तथा स्थायी आधार के माध्यम से आधार का पंजीकरण एवं इसका अद्यतनीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

- ➢ राज्य में अब तक लगभग 12 करोड़ 26 लाख की जनसंख्या का आधार सृजित किया जा चुका है।
- ➢ अर्थात पूरी जनसंख्या का लगभग 90.26 प्रतिशत को आधार योजना से अच्छादित किया जा चुका है।
- ➢ इनमें से 18 वर्ष से उपर वयस्कों का 100% है।
- ➢ 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का 79.13 प्रतिशत है।
- ➢ 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग का 18.27 प्रतिशत है।
- ➢ इस कार्य हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों/अनुमंडलों/नगर पंचायतों/नगर परिषदों/जिला मुख्यालयों में कुल– 915 स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना की गई है।

कोरोना संकट काल में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या मजदूरों एवं कामगारों की वापसी इस राज्य में हुई। इनकी संख्या लाखों में थी। बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध से इनके खाते में अनुदान की राशि सीधे भेजी जाय। लेकिन कई लोगों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण इसमें परेशानी होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए ऑन–लाईन रजिस्टेशन एवं समय बुकिंग ई–प्रणाली प्रारम्भ की गई। कोरोनटाईन केन्द्रों पर भी आधार बनाने की सुविधा प्रारम्भ की गई थी। जिससे राज्य की जनता को काफी सुविधा प्राप्त हुई।

(8) (1)

प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

अध्यक्ष महोदय,

- राज्य में प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण के लिए 101 प्रखंडों के चयन की स्वीकृति
- जिसमें 51 प्रखंड दक्षिण बिहार के हैं तथा 50 प्रखंड उत्तर बिहार के है।
- इनमें 95 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- दो का निर्माण कार्य चल रहा है एवं 4 में अन्य कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।

प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन

अध्यक्ष महोदय,

- राज्य के 82 प्रखंडों के क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण भवनों के स्थान पर नया भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है।
- 64 प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल–सह–आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।
- राज्य में धीरे–धीरे इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य कराया जा रहा है।

अग्र में

(9)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक के माध्यम से हम सदन के समक्ष विभिन्न कार्यक्रमों यथा– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 217986.19 लाख (21 अरब 79 करोड़ 86 लाख 19 हजार रूपया), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 28873.00 लाख (2 अरब 88 करोड़ 73 लाख रूपये) महात्मा गाँधी नरेगा (सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी हेतु 778.54 लाख (7 करोड़ 78 लाख 54 हजार रूपये), सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु 10000.00 लाख (1 अरब रूपये), एवं प्रखंड स्थापना हेतु 732.00 लाख (7 करोड़ 32 लाख रूपये) अर्थात

25 अरब 83 करोड़ 69 लाख 73 हजार रूपये की स्वीकृति के लिए उपस्थित हुए हैं।

मेरा आग्रह है कि सदन इस पर अपनी सहमति प्रदान करे।